लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

अंक 42, सोमवार, 24 अप्रैल, 1978/4 वैशाख, 1900 (शक)

No. 42, Monday, April 24, 1978/Vaisakha 4, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 821, 822, 824, से 827, 829, और 830	Starred Questions Nos. 821, 822, 824 to 827, 829 and 830 .	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 823, 828, और 831 से 842	Starred Questions Nos. 823, 828 and 831 to 842 . . .	16–24
अतारांकित प्रश्न संख्या 7720 से 7749, 7751 से 7777 7779 से 7781, 7783 से 7818, 7820 से 7849, 7851 से 7855, 7857 से 7870, और 7872 से 7919	Unstarred Question Nos. 7720 to 7749, 7751 to 7777, 7779 to 7781, 7783 to 7818, 7820 to 7849, 7851 to 7855, 7857 to 7870 and 7872 to 7919 . . up to 7903	24–151
शाह आयोग के परिसर में गड़बड़ी के बारे में दक्षिणी रेलवे के स्टेशन मास्टरों द्वारा कामबंदी के बारे में ।	Disturbances in the precincts of Shah Commission . .	151–153
	Re. Stay in strike by Station Masters on the southern Railway	153
सभा पटल पर रखे गए पत्र ।	Papers laid on the Table . .	153–155
विधेयक पर अनुमति ।	Assent to Bill	156
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	156
18 अप्रैल, 1978 को बम्बई के निकट हुई रेल दुर्घटना	Train Accident near Bombay on 18th April, 1978 . .	156
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur . .	156
प्रो. मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	156
श्री आर. के. महालगी	Shri R.K. Mhalgi . .	158
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan .	158
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishnan .	159
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings—	160
7वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Seventh Report presented	160
कुछ दस्तावेजों को सभापटल पर रखने के बारे में की गई मांग के बारे में अध्यक्ष का विनिर्णय	Speaker's Ruling Re. Demand for Laying certain documents on the Table . . .	160

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कथित निर्णय	(i) Reported Decision on O.N.G.C. to slow down crude production in North-Eastern Region—	162
श्री तरूण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	162
(दो) राजकोट डीजल तेल इंजीनियरी उद्योग के समक्ष उपस्थित कथित कठिनाइयां	(ii) Reported difficulties faced by Rajkot Diesel Oil Engineering Industry—	
श्री धर्मसिंह भाई पटेल	**Shri Dharma Singh Bhai Patel**	162
(तीन) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल करने का समाचार	(iii) Reported Hunger Strike by Labourers of Central Warehousing Corporation, New Delhi	162
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	Shri Baldev Singh Jasrotia	162
(चार) चुंगी समाप्त करने के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय का समाचार	(iv) Reported Decision at the Chief Ministers' Conference about abolition of Octoi	163
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	163
(पांच) विशेषज्ञ समिति द्वारा ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा के ताप बिजलीघरों को बंद करने की सिफारिश	(v) Report of Expert Committee recommendation Closure of Thermal Power Station in Agra to save Taj Mahal from pollution	163
श्री पी. के. देव	Shri P.K. Deo	163
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grant 1978-79	163--179
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	163
श्री अमृत कासर	Shri Amrut Kasar	163
श्री वाई. पी. शास्त्री	Shri Y.P. Shastri	164
श्री महीं लाल	Shri Mahi Lal	165
श्री पी. वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	166
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	167
श्रीमती रशीदा हक चौधरी	Shrimati Rashida Haque Choudary	168
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan	169
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram	170
श्री एस. ननजेश गौंडा	Shri S. Nanejesh Gowda	171
श्री कचरूमल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	171
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	172
श्रीमती बी. जयालक्ष्मी	Shrimati V. Jeyalakshmi	173
श्री पी. वी. पेरियासामी	Shri P.V. Periasamy	174
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram	175
श्री बटेश्वर हेमराज	Shri Bateshwar Hemram	176
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	176

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री राम सागर	Shri Ram Sagar . . .	177
श्री रामधारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri .	177
श्री राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	17 7
चौ. बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh .	178
श्री वी. डी. हांडे	Shri V.G. Hande . .	178
श्री बेगाराम चौहान	Shri Bega Ram Chauhan .	179
श्री सुखेन्द्र सिंह	Shri Sukhendra Singh . .	179
देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Law and Order situation in the Country .	179
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . .	179
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	181

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार 24 अप्रैल 1978/4 वैसाख, 1900(शक)
Monday, April 24, 1978 Vaisakha 4, 1900 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रावभाजी ढांडीवा पाटिल के 9 अप्रैल, 1978 को नीमगांव (महाराष्ट्र) में हुए दुखद निधन की सूचना को देता हूं। श्री पाटिल दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वे हैदराबाद और भूतपूर्व बम्बई राज्य विधान सभा के सदस्य थे।

वे एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा वे अपने जिले की नागरिक संस्था से सम्बद्ध थे। उन्होंने हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आन्दोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हमें अपने इस मित्र के खो देने का अत्यधिक दुःख है।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ समय मौन खड़े रहे।

The Member then stood up in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

धान की फसल सुधारना

*821. **श्री अहमद एम. पटेल :**

श्री सरत कार :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धान की फसल सुधारने के लिए कोई परीक्षण किया गया है:

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी खेती के लिये किस राज्य को चुना गया है; और

(घ) इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (के) से (घ) जी हां, श्रीमान । धान पर की जा रही अनुसंधान का विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) तथा (ख) धान पर अनुसंधान देश के विभिन्न केन्द्रों पर की जा रही है । आजकल अनुसंधान कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयi, केन्द्रीय चावल अनुसंधान, कटक तथा अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, के माध्यम से किया जा रहा है । चावल अनुसंधान के प्रारंभिक वर्षों में स्थानीय "इंडिका" चावल के विकास पर बल दिया गया । 1950 के दशक में, "जापानिका" किस्मों से "इंडिका" किस्मों में उर्वरकों से अच्छी फसल होने के गुणों को लाने के लिए "इंडिका" और "जापानिका" के संकरण की शुरूआत की । विकसित प्रजातियां, जैसे कि ए डी टी 27 की पहचान इंडिका और **जापानिका** के संकरण से तैयार की गयी । इस कार्यक्रम की कुछ सामग्री से मलेसिया में एक किस्म माशुरी विकसित की गई । यह प्रजाति दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान बोयी जाने वाली किस्मों में भारत के अनेक प्रदेशों में लोकप्रिय है । वर्ष 1964 के बाद से चावल की बौनी तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास पर जोर दिया गया । देश के अनेक भागों में होने वाले प्रजनक कार्य से विभिन्न राज्यों में 20 अधिक उपज देने वाली किस्में जारी की गयीं । इन किस्मों में उर्वरकों के प्रति संवेदनशीलता तथा कट रोधिता की क्षमता है । क्योंकि चावल देश के विभिन्न भागों में तीन मौसमों में बोया जाता है, अतः अलग मौसमों तथा अलग अलग परिस्थितियों में उच्च उत्पादन की विशिष्ट किस्में विकसित करने के लिए परीक्षण किये जा रहे हैं । बोने की परिस्थितियां गहरे खड़े पानी (50 से. मी और उसके ऊपर) से विशुद्ध वर्षाश्रित उठाऊ जमीन पर बोये जाने तक की कई परिस्थितियां हैं । चावल समुद्री तल के नीचे से लगाकर जो कि केरल के कुट्टानाड में है । हिमालय में लगभग 2000मीटर की ऊंचाई तक विभिन्न ऊंचाइयों पर बोया जाता है । अतः सूखा रोधी, शीत रोधी तथा लवण रोधी किस्में जारी करने का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त कीट नियन्त्रण तथा पोषण सम्पूर्ति जिसका कि कार्बनिक तथा रासायनिक खाद तथा नीली—हरी एलजाई तथा फर्न एजोला देने से संबंध है, का समाकलित कार्यक्रम प्रगति पर है । नीम की खली का प्रयोग, दक्षिण-पश्चिमी मानसून में खाद के रिसने को रोकने में सफल पायी गई । प्रबंध की पद्धतियां—जैसे कि सामुदायिक नर्सरियों के विकास का भी मानकीकरण कर लिया गया है । कटाई के बाद के तकनीकी कार्यों में भी प्रगति की जा रही है जिसमें उनका उबाल, चावल के छिलकों का तेल निकालना धान के पुआल का संरक्षण शामिल है ।

(ग) तथा (घ) समस्त चावल उत्पादक राज्यों के चावल की खेती की नयी तकनीक अपनाने के कार्यक्रम हैं । सामुदायिक नर्सरियों के माध्यम से विकसित किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । एक चावल कीट निगरानी प्रणाली का

विकसित कर लिया गया है। वर्ष 1966-67 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के शुरू के कार्यक्रम अपनाने के पश्चात से चावल उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ी है। अधिकतम सुधार उत्तर-पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हो चुका है। राज्य जिनमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की संभावना है, वे हैं :—बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तथा असम। इन राज्यों की चावल अनुसंधान और विकास की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रदर्शन, मिनी-किट प्रदर्शन तथा परिचालन अनुसंधान प्रायोजना शुरू की जायेंगी।

श्री सरत कार : क्या मात्रा में हुए इस सुधार के कारण भूमि की उर्वरकता और धान की किस्म पर्याप्त सीमा तक खराब हो गई है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है ? क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान किया जा रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह कहना गलत है कि इससे भूमि की उर्वरकता और धान की किस्म में गिरावट आई है। हम किस्म और मात्रा दोनों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सरत कार : पूर्वी राज्यों और विशेषकर उड़ीसा में अधिक उपज वाले धान के चावल के उपयोग करने से पेट-दर्द की बड़ी शिकायत मिली है। इस सम्बन्ध में जांच की जाए।

विवरण में बताया गया है कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है। दुर्भाग्य से केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। संस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में रहते हुए भी सभी संसाधन बिना उपयोग में लाए पड़े हैं। इसका क्या कारण है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : संस्थान ने अच्छा काम किया है परन्तु उसके अनुसंधानों के खेतों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार का है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सरकार ने सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की खेती का अनुसंधान किया है यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित अलग संस्थान विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर रहे हैं। उदाहरणतः फैजाबाद और चिनसुरा स्थित संस्थान गहरे पानी में धान की खेती पर अनुसंधान कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : हरित क्रान्ति केवल हरियाणा और पंजाब के गेहूं उत्पादक राज्यों तक सीमित है। धान पैदा करने वाले क्षेत्रों में अधिक विकास कार्य नहीं हुआ है। कुछ नए प्रकार के चावल का विकास करने पर भी धान की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। राज्य सरकारें अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने में भी सक्रियता नहीं दिखाती। क्या सरकार राज्य सरकारों से अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कहेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उत्तर-पश्चिम राज्यों और दक्षिणी राज्यों में भी चावल की उपज में अच्छी प्रगति हुई है परन्तु पूर्वी राज्यों में विकास इस तेजी से नहीं हुआ है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और राज्य सरकारों पर विशेष जोर डाल रहे हैं।

श्री ओ. वी. अलगेसन : गेहूं के सम्बन्ध में हुए अनुसंधान का परिणाम तो स्पष्ट है, उसकी उपज तिगुनी हो गई है परन्तु चावल के अनुसंधान में लगता है कुछ कमी है अथवा वह पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहां दुगनी या तिगुनी उपज देने वाली किस्म तैयार नहीं की जा सकी है। यह कमी कौन सी है तथा इसे दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमने चावल के क्षेत्र में भी प्रगति की है। इस संबंध में आज वाद-विवाद के दौरान में विस्तार से बताऊंगा।

Shri Surendra Jha Suman : Whether there is any proposal to improve the paddy crop in Bihar ? Whether researcher of Pusa Institute can be of any use in the District of Darbhanga where it was instituted first ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतना समझ पाया हूं कि क्या बिहार में कोई अनुसंधान संस्थान है ?

श्री सुराजीत सिंह बरनाला : इस संस्थान में भी अनुसंधान चल रहा है। बिहार में इस समय दो संस्थान काम कर रहे हैं।

प्याज और लहसुन का उत्पादन

*322. डा. **लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष लहसुन और प्याज का बहुत उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) इस वर्ष के लिए उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

Dr. Laxminarayan Pandeya : First of all I may point out that the question has not come here in the way it was put even then I want to know estimate of the expected production of onion and garlic this year. Whether on the basis of this estimate Government have fromed a policy so as to streamline the production of these commodities and to give fair price to the growers ?

Shri Surjit Singh Barnala : In the absence of figures it will not be possible to estimate the production, but this much can be said that production of onion is very good.

Shri Ramanand Tiwari : On a point of order, I want to say that our questions are generally changed in such a way that their object ends all together. I therefore request to make some arrangement so as to stop this in future.

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई कठिनाई हो तो आप मेरे पास आकर चर्चा कर सकते हैं।

Dr. Laxminarayan Pandeya : It seems that Hon'ble Minister wants to conceal the information. Why estimated figures are not available when they are prepared regarding all the crops ? He may be not be having the final figures he must be having estimates of production of these two commodities. Last year farmers were not able to get fair price of their products. In view of this what are proposed steps of Government ?'

Shri Surjit Singh Barnala : We have got no machinery to prepare this estimate, the figures are to be collected from the States. This I have informed that this year the production of onion is good.

Dr. Laxminarayan Pandeya : I want to know the estimated production of these two commodities ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि ये आंकड़े राज्यों से आने चाहिएं जो उन्होंने नहीं दिए हैं। अतः यह अन्दाज बहुत दूर का होगा। इसके लिए उनके पास अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

Shri Ganga Singh : Onion is going to be exported. When Government do not have estimated figures regarding its production and consumptions how they are going to export it ?

Shri Surjit Singh Barnala : When due to increased production the prices of certain commodity fall then permission for its export is granted so as to check the slump in prices.

श्री डी. बी. चन्द्र गौंडा : प्याज और लहसुन की अच्छी फसल होने की संभावना के कारण क्या सरकार भविष्य में इनका निर्यात करने की अनुमति देगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने प्याज की बात कही थी लहसुन की नहीं। लहसुन की मुझे जानकार नहीं है। प्याज के निर्यात की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

Export of Betel

Shri Laxmi Narayan Nayak : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that formerly betel was exported to Pakistan but it has now been stopped for the past some time as a result of which betel growers are suffering loss ;

(b) whether Government propose to increase the production of betel and allow betel growers to export it to Pakistan ;

(c) whether betel growers of village Malahata and Maharajpur in district Chhatarpur of Madhya Pradesh have repeatedly made requests for permission to export betel to Pakistan ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Export of betel to Pakistan is allowed.

The Government of India have no proposal to increase production of betel for export purposes.

(c) Government of India in the Ministry of Commerce have not received any representation from the growers.

(d) In view of (a) and (b) the question does not arise.

Shri Laxmi Narayan Nayak : In which year, the export of betel to Pakistan was allowed and was there any restriction previously ?

Has any particular individual been allowed to export betel to Pakistan or any betel grower can do so ? Shri Matadin Chaurasia, Maharajpur, District Chattarpur has sent in his application for allowing him to export betel to Pakistan. Will he be granted permission to do so ?

Shri Surjit Singh Barnala : The trade of betel with Pakistan was resumed in 1975. Earlier, only Government agencies used to export betel but when this trade with that country picked up, private sector was also allowed to export betel after July, 1976. About Shri Chaurasia's application, I will look into it.

Shri Laxmi Narain Nayak : The Hon'ble Minister stated that the Government of India have no proposal to increase production of betel for export purposes. Doesn't this statement hurt the feelings of betel growers ? Will Government provide help to betel growers as is done in the case of persons engaged in the production of other commodities ?

Shri Surjit Singh Barnala : The Hon'ble Member had asked if we propose to increase the production of betel for export purposes, to which I replied in the negative.

Shri Laxmi Narain Nayak : My question was whether formerly betel was exported to Pakistan but it has now been stopped for the past some time and whether Government propose to increase the production of betel and allow betel growers to export it to Pakistan ?

Shri Surjit Singh Barnala : I replied that the export of betel to Pakistan has been allowed and now even private parties can export betel. As for production, we are ready to give whatever help we can.

Shri Sukhendra Singh : Will the Hon'ble Minister tell the names of the persons to whom Government has allowed to export betel to Pakistan ?

Shri Surjit Singh Barnala : These figures are not available with me. But now even private parties can export betel.

केन्द्रीय विद्यालय, शिमला

*825. **श्री वसन्त साठे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह ध्यान में रखते हुए कि शिमला में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा रक्षा कर्मचारियों की संख्या बहुत है, क्या वहां के केन्द्रीय विद्यालय में वर्तमान रिक्त स्थान बहुत अपर्याप्त हैं और अतिरिक्त कक्षाएं आरम्भ करने अथवा एक और केन्द्रीय स्कूल खोलने की जरूरत है ;

(ख) यदि हां, तो शैक्षिक वर्ष 1978-79 के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) शिमला स्थित केन्द्रीय विद्यालय में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया और क्या नियमों के अनुसार ऐसे प्रवेशों पर रोक है तथा इसके कारण क्या है ;

(घ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिमला स्थित अन्य स्कूल बहुत महंगे हैं और राज्य सरकार के अनेक कर्मचारियों के आय के साधनों के अनुकूल नहीं हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए केवल योग्यता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त कोटा निर्धारित करने पर विचार करेगी ; और

(ड़) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है अथवा किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकंटकी) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

श्री बसन्त साठे : विवरण में यह नहीं बताया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिये कितने रिक्त स्थान उपलब्ध हैं ? विवरण में उन सिविल स्टेशनों पर जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या अधिक है नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों का भी जिक्र है । वहां प्रति वर्ष चार स्कूल खोलने का विचार है और अगले शैक्षिक वर्ष के लिये निर्णय अभी लिया जाना है । ये स्कूल स्थानान्तरण होने वाले कार्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा है । लेकिन जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता तो उन्हें अपने बच्चों को कान्वेंट या अन्य पब्लिक स्कूलों में भेजना पड़ता है । ये स्कूल बहुत महंगे हैं । फिर इतने कम केन्द्रीय विद्यालय क्यों खोले जाते हैं जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अपने बच्चों को इन केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं ? बड़े पैमाने पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में आपका क्या विचार है ?

श्रीमती रेनुका देवी बरकटकी : हम एक वर्ष में केवल 12 स्कूल खोलते हैं, जिनमें से 8 रक्षा कर्मचारियों के लिए होते हैं और 4 सिविल स्टेशनों के लिए । इन 4 स्कूलों में में शिमला स्कूल सिविल स्टेशनों में से एक है । वह स्कूल केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिये ही है । धनाभाव के कारण हम और स्कूल नहीं खोल सकते ।

श्री बसन्त साठे : यदि मंत्रालय ने अपनी मांगों में इस प्रयोजनार्थ और धन मांगा होता तो सभा उसे मंजूर कर देती । अब वे अपने आबंटन में से ही और स्कूल खोल सकते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने नाम हैं । शिमला में भी पश्चिमी कमान मुख्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ।

सरकार देश में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती रेनुका देवी बरकटकी : इन केन्द्रीय विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन चलाता है जिसे सरकार सहायता अनुदान देती है ।

केन्द्रीय विद्यालय शिमला में राज्य सरकार के कर्मचारियों के 27 बच्चे दाखिल किये जाने हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि केन्द्रीय सरकार के किसी भी कर्मचारी ने अपने बच्चे को दाखिले के लिये नहीं भेजा है। फिर भी इन स्कूलों की मांग की जा रही है। इन स्कूलों का स्तर अच्छा है। अगले वर्ष यदि योजना आयोग ने उक्त संगठन को और धन दिया तो हम और स्कूल खोलने पर विचार करेंगे।

Chhabiram Argal : Will the Hon'ble Minister consider opening at least one Central School out of the 12 Central Schools opened every year, at Morena in Chambal district of Madhya Pradesh as that area has been growing neglected in this respect so far ?

श्रीमती रेनुका देवी बरकटकी : ये स्कूल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिये होते हैं। यदि कोई सरकारी उपक्रम ऐसे स्कूल चाहते हैं तो उन्हें हमें आवर्ती और अनावर्ती व्यय देना होगा। इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में यदि राज्य सरकार हमें कुछ धन राशि देने और कुछ व्यय देने का वचन देती है तो हम इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

Shri Dwarka Nath Tiwari : Two types of schools are functioning in the country There are certain good schools which include Central Schools and these are other schools which are meant for poor people and their standard is very low. Thus the wards of the poor people cannot compete with children receiving education in other good schools. Will Government consider improving the standard of these schools so that the need of the Central Schools does not arise ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का प्रश्न से कोई संबंध नहीं है

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : यह सभी स्कूलों का स्तर ऊंचा करने की बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सरकार का विषय है।

राष्ट्रीय बीज निगम

826. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी और इस निगम में कितनी सरकारी पूंजी लगी है और भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से कौन से/कितने प्रकार के बीज वितरित किये जाते हैं और ये बीज किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से अथवा निगम की ओर से किसी अन्य रजेन्सी द्वारा भारत में वितरण के लिए कुछ बीजों का आयात किया जा रहा है और यदि हां तो गत तीन वर्षों में कितने बीजों का आयात किया गया और इन बीजों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाता है ;

(घ) गांवों में उचित दर वाले बीज डिपो खोलने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ङ) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना लाभ कमाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय बीज निगम को वर्ष 1963 में स्थापित किया गया था। सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय बीज निगम में 498.72 लाख रुपये लगाये हैं। देश के विभिन्न भागों में निगम के तीन बीज फार्म, नौ, क्षेत्रीय कार्यालय और 87-उप-एकक हैं।

यह लगभग 144 किस्मों के बीजों का वितरण कर रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम के लिए इनका उत्पादन इसके द्वारा मांगपत्र के आधार पर कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम में और ठेका उत्पादकों द्वारा किया जाता है। कुछ उत्पादन निगम द्वारा अपने फार्मों पर भी किया जाता है। उत्पादन आरम्भ होने से पहले प्रायः पार्टियों के बीच हुई सहमति से गारण्टी प्राप्त मूल्यों के आधार पर बीजों की अधिप्राप्ति की जाती है।

इस उद्देश्य हेतु भारत में राष्ट्रीय बीज निगम अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिए बीजों को आयात नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य समस्त देश में कृषकों को उचित मूल्यों पर थोड़े फासले पर ही प्रमाणीकृत बीज उपलब्ध कराना है। राज्य बीज निगम के डीलरों का जाल बिछाया जाएगा। इस समय राष्ट्रीय बीज निगम के डीलरों की संख्या लगभग 3500 है। इस संख्या को बढ़ाकर 20,000 करने का प्रस्ताव है।

गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम का वित्तीय निष्पादन निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयो में)

वर्ष	लाभ/हानि (कर से पहले)	कर	लाभ/हानि (कर के पश्चात)
1974–75	253.97(लाभ)	182.27	71.70
1975–76	90.21(लाभ)	62.00	28.21
1976–77	111.60(हानि)	–	111.60(हानि)

Shri Balbir Singh : In 1974-75, there was a profit of Rs. 253,97,000. When emergency was imposed, the profit came down to Rs. 90,21,000. In the second year of emergency. this profit turned into a loss of the order of Rs. 111,60,000. Is this loss attributable to the fact that congressmen purchased seeds at low prices and made profits by selling it at higher prices.

Shri Surjit Singh Barnala : The Corporation was making profits before the imposition of emergency. Then this profits was turned into loss during emergency. But

I cannot tell as to how far the emergency had any bearing on this development. According to the Report of the Directors for the year ending 1976-77, the Corporation had some excess paddy seeds which it had to sell at low prices and, this resulted in a loss of Rs. 30 lakhs. Similarly, Corporation suffered a loss of Rs. 40 lakhs in Bajra seeds. The heavy Inter-State charges amounted to about Rs. 40 lakhs. Thus as per the said report, there was a loss of Rs. 111,60,000.

Shri Balbir Singh : If one particular type of seed is supplied for two or three years its fertility goes down and this results in less production. Will Government ensure that the Corporation supplies new seeds and the growers, who purchase seeds on contract basis are not supplied such seeds as result in less production ?

Shri Surjit Singh Barnala : It is a fact that the germination of the seeds goes down after a lapse of some period. It is our endeavour that the seeds should be changed as early as possible, say after an year or after two years.

श्री टी. ए. पाई. : इस निगम का उद्देश्य अच्छे बीज सप्लाई करना था । इन बीजों की किस्मों पर नियंत्रण करने का क्या तरीका है ? क्या सरकार बीजों की किस्मों पर नियंत्रण करने के लिये कोई स्वतंत्र एजेंसी बनायेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां बीज निगम बनाये जाते हैं वहां उनके बीजों को प्रमाणित करने के लिये एजेंसियां होती हैं । प्रत्येक बीज को ये एजेंसिया प्रमाणित करती हैं तभी यह प्रमाणित बीज के रूप में सप्लाई किया जाता है ।

Shri Ramanand Tiwari : Why was that particular seed not purchased for three years and when the Hon'ble Minister has stated that the research has revealed that the said seed can be preserved for longer period, then what are the reasons for the loss ?

Shri Surjit Singh Barnala : Sometimes the seed is produced in a larger quantity. We have to assess its projected demand for the next year. Sometimes, this assessment is not correct. It appears that there was no demand for the seed produced by the Corporation and, therefore, they had to resort to distress sale, which resulted in the loss.

श्री पी. वेंकटासुब्बैया : बीज निगम का एक उद्देश्य समस्त देश में कृषकों को उचित मूल्य पर थोड़े फासले पर ही प्रमाणीकृत बीज उपलब्ध कराना है । विवरण में कहा गया है कि निगम के डीलरों की संख्या 3500 है । क्या निगम इन डीलरों की संख्या बढ़ायेगी ताकि निगम किसानों को थोड़े फासले पर बीज उपलब्ध करा सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम इन डीलरों की संख्या को 3500 से बढ़ाकर लगभग 20,000 करने की कोशिश कर रहे हैं ।

गृह निर्माण ऋण आवेदन पत्र

***827. श्री दया राम शाक्य :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गृह निर्माण ऋण के लिये केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयवार कितने कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिये और प्रत्येक मंत्रालय ने कितने आगे भेजे ।

(ख) अधिकतम समय से विचाराधीन आवेदन पर कौन सा है उक्त ऋण की मंजूरी में असमान्य विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि उस उद्देश्य के लिए अकसर उदार ऋण देने का आश्वासन दिया गया है ;

(ग) ऋणों की मंजूरी के लिये कितनी सम्भावित अवधि की आवश्यकता होगी और कितनी राशि के ऋण दिये जायेंगे ; और

(घ) समूचे रूप में अपना नियंत्रण रखते हुए, प्रत्येक मंत्रालय को उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को ऋण मंजूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष उसको ऋणों के नियतन का काम वितरित न किए जाने का क्या कारण है ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinker) : (a) Statitsics of applications for House Building Advance are not maintained Ministry-wise. The number of applications received during the last three years are :

1975-76	10,607
1976-77	9,949
1977-78	10,792

(b) & (c) The longest pending application for initial construction advance is of October 1977. Generally, the applications have a waiting time of 6 to 8 months. This is because when funds get exhausted and more funds cannot be provided, the applications have to lie over till the receipt of funds from the next year's budget. The year thus starts with a backlog and in the next year one has to deal with old as well as new applications. The applications pending in the Ministry will get disposed of within a month and the amount involved in the sanction may be approximately Rs. 30 lakhs.

(d) The sanction of house building advance has already been decentralised with effect from 1st April 1978; and now administrative Ministries are themselves competent to sanction the advance. Funds for this purpose have also been allocated.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने इसका विकेन्द्रीयकरण कर दिया है जो एक प्रशंसनीय बात है, वे इस राशि को चालू फंड में क्यों नहीं बदल रहे हैं ताकि यह सदैव चलता रहे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : धन आबंटित किया जाता है और खर्च किया जाता है । आप इससे कुशलता का अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पुराना प्रार्थना पत्र अक्तूबर, 1971 का है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें अधिक देर की जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसाकि मैंने कहा है कि उन्हें नये बजट प्रावधान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । अतः इसका समाधान ढूंढना होगा । जिन लोगों को ऋण दिया गया है

वे अब उसे वापस कर रहे हैं। उस धन का आप क्या कर रहे हैं ? आप बजट प्रावधान की प्रतीक्षा किए बिना उस धन को किसी दूसरे प्रार्थी को दे सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : आवेदन 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' आधार पर किया जाता है। गत वर्ष बजट प्रावधान 29 करोड़ रुपए का था जबकि वास्तव में 29.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए इसका अर्थ यह हुआ कि हम अधिक खर्च करने का प्रयास करते हैं। चालू फंड की कोई आवश्यक नहीं है : धन का आबटन किया जाता है और उसे व्यय कर दिया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अपने उत्तर में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सबसे पुराना प्रार्थनापत्र अक्तूबर, 1977 का है। 7 महीने बीत गए हैं। जिन लोगों को ऋण दिया गया है अब वे ऋण वापस कर रहे हैं। यदि उस धन को चालू फंड में रखा जाए और नये बजट प्रावधान की प्रतीक्षा के बजाय उसे दूसरे लोगों को दिया जाए तो उसमें क्या कठिनाई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : हमने इस मुद्दे को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है और हमारी राय में यह जरूरी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न है, सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग सामान, विशेषकर सीमेंट, स्टोन चिप्स, रेत और ईंटों आदि के मूल्यों में गत 4-5 वर्षों में 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। अब क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है और पर्याप्त धन का आबंटन किया है ताकि कर्मचारी मिलने वाले धन से मकान बना सकें।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि वर्ष 1974-75 में मकान निर्माण ऋण पर 8 करोड़ रुपए व्यय किए गए, वर्ष 1975-76 में 20.99 करोड़ रुपए व्यय किए गए, वर्ष 1976-77 में 22.72 करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि वर्ष 1977-78 में 37.95 करोड़ रुपये व्यय किए गए। अतः क्या इससे यह पता नहीं चलता कि हमने उच्च मूल्यों वाले तथ्य को ध्यान में रखा है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा मूल प्रश्न यह है : प्रति प्रार्थी पहले कितनी राशि थी और अब कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह नहीं पूछा।

श्री वसंत साठे : उन्होंने यह पूछा कि ईंटों के मूल्य सहित जितने प्रतिशत मूल्य बढ़े क्या उसे ध्यान में रखा गया है ? माना कि उन्होंने 100 प्रतिशत अधिक राशि दी, तो क्या यह प्रयाप्त होगी ? जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया वह सही नहीं है। मूल्यों में तीन गुना वृद्धि हुई है; क्या उन्होंने अपने आबंटन में इसका प्रावधान किया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : गृह निर्माण का प्रत्येक प्रस्ताव भिन्न-भिन्न आकार तथा प्रकार का होता है। आप मुझ से सभी आंकड़ों की आशा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रत्येक योजना के लिए आबंटन में वृद्धि की गई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : जब प्रत्येक मकान के लिए आबंटन किया जाता है तो इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्रालय में काफी प्रार्थना पत्र काफी लम्बे समय से विचाराधीन पड़े हुए हैं। एक समस्या यह है कि नियोजक या नियोजन अधिकारी द्वारा मामले को प्रमाणीकृत या 'स्वीकृत या सिफारिश किये जाने' के बाद मामला मंत्रालय में रोक लिया जाता है या किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है और स्वीकृति मिलने तक मूल्य बढ़ जाते हैं। क्या मंत्री जी प्रक्रिया को उदार बनाने पर विचार करेंगे ताकि ऋण स्वीकृत किये जा सकें ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इस बात से सहमत नहीं कि ऋण स्वीकृत करने में मंत्रालय में देर लगती है। गत वर्ष में 14951 प्रार्थना पत्रों का निपटान किया गया। केवल 70 प्रार्थना पत्र शेष हैं जिनका निपटान एक महीने के अन्दर कर दिया जाएगा।

जहां तक नियमों को उदार बनाने का संबंध है, एक नया तरीका निकाला गया है; मंत्रालयों को स्वयं ऋण स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है वे विभागाध्यक्षों की शक्तियों का प्रत्यायोजन भी कर सकते हैं। यह सब मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किया जा रहा है।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Whether it is a fact that the same quantum of loan is being given today which was used to be given four years back whereas cost of construction has gone up considerably ? Construction work cannot be completed by the loan which is being given at present. Will the hon. Minister ensure that an individual is given loan by which construction work is completed ? Whether any change has been made in the maximum limit fixed in this respect ?

Shri Sikandar Bakht : Maximum limit is fixed keeping in view two factors. First thing is to see the paying capacity of the borrower. Previously it was 60 times on one's pay. Now, it has been raised to 75 times.

गोआ में काजू की खेती में सुधार

*829. **श्री अमृत कासर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काजू की खेती और उसका उत्पादन संघ क्षेत्र गोआ की एक प्रमुख फसल है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में काजू की उपज, फसल के स्तर, पोषाहार एवं शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से बेहतर किस्मों और अच्छी किस्म के काजू उत्पादन संबंधी अन्य पहलुओं का संवर्धन करने के लिए सरकार ने पूर्ण विकसित अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कसरगोड के अधीन एक बहु-उद्देशीय अनुसंधान केन्द्र की गोवा में स्थापना की है। इस केन्द्र ने काजू पर अनेक अनुसंधान परीक्षण शुरू किए हैं जैसे कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास, अधिक उपज देने वाले मत् पौधों (मदर ट्री) का चयन तथा वानस्पतिक प्रवर्धन,

आरम्भ किए हैं। फल आने की अवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस केन्द्र पर खेतों में मूल्यांकन के प्रयोग प्रगति पर हैं, और इन प्रयोगों में काजू सुधार एक मुख्य मद है।

श्री अमृत कासर : सरकार को सब कुछ मालूम होते हुए भी वह काजू की खेती तथा उसके उत्पादन में सुधार करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही। अनुसंधान केन्द्र बराय नाम है। यह केवल एक छिड़काव केन्द्र ही है। गत वर्ष काजू की फसल गोआ में नष्ट हो गई। इस वर्ष भी यही स्थिति है। 4 लाख की कुल जनसंख्या में से 60,000 लोग काजू की खेती पर निर्भर करते हैं।

काजू की खेती के दो पहलू हैं। एक काजू बीज और दूसरा काजू फल है। इस वर्ष भी काजू की फसल नष्ट हो गई है। अब किसानों को अपने फल का कुछ नहीं मिलेगा और उन्हें हानि उठानी पड़ेगी।

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह वैज्ञानिक अनुसंधान को पौधे के पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने के लिए इस केन्द्र में लागू किया गया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दुर्भाग्य से गोआ में काजू वृक्षों से काजू का उत्पादन बहुत कम है। राज्य में प्रति वृक्ष 1-2 किलोग्राम काजू उत्पादित होता है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। हमने कुछ अन्य वृक्षों का पता लगाया है जो 3.65 से 8.33 कि. ग्राम काजू का फल देते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन का काम चल रहा है। कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रति वृक्ष उत्पादन में वृद्धि की जा सके और इन वृक्षों के मालिकों को कुछ आय हो सके।

श्री अमृत कासर : गोआ में वर्तमान केन्द्र पूर्णतया विकसित अनुसन्धान केन्द्र नहीं है। क्या गोआ में कसरगोड केन्द्र को पूर्णतया विकसित किया जाएगा ताकि गोआ में अनुसंधान काम किया जा सके जिससे किसानों को लाभ हो सके।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह केन्द्र गोआ में सम्पूर्ण काम कर रहा है और कसरगोड स्टेशन की यह एक प्रकार की शाखा है। परन्तु हम प्रत्येक राज्य के लिए इतनी बड़ी संस्था नहीं बना सकते। यहां प्रति वर्ष 5400 टन का उत्पादन होता है। उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां एक केन्द्र है परन्तु संस्था बनाना सम्भव नहीं है।

श्री एडुआर्डो कैलीरो : हम प्रति वर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए का काजू आयात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार देश को इस सम्बंध में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कई एक कदम उठाए जा रहे हैं। हम कई राज्यों में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

1971 में हुए युद्ध के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति

*830. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के कारण विस्थापित हुए ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो शरणार्थियों के रूप में भारत में रह रहे हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे शरणार्थियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन सभी को अभी तक भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां, संख्या 57,784 है ।

(ख) राजस्थान में संख्या 48,524 है जबकि मध्य प्रदेश में 'शून्य' है ।

(ग) और (घ) : हाल ही में सरकार ने उनकी पात्रता पर विचार करने का निर्णय किया है और संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राजस्थान, गुजरात अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों में उनके पनर्वास के लिए समुचित योजनाएं तैयार की जाएं ।

जहां तक भारतीय नागरिकता प्रदान करने का संबंध है, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मामले की तत्काल जांच करने के पश्चात इन विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र सिंह : राजस्थान में बाड़मेर तथा अन्य स्थानों के शरणार्थी शिवरों में कितने लोगों को अभी तक नागरिकता प्रदान नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं । मुझे नकद दान तथा अन्य सुविधाओं के ना मिलने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं जिसके फलस्वरूप शरणार्थी खुश नहीं हैं । उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री सिकन्दर बख्त : नागरिकता प्रदान करने संबंधी निर्णय अब ले लिया गया है ।

दूसरे जिस प्रकार की शिकायत का उल्लेख सदस्य ने किया है वैसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है । यदि वेई शिकायत मिली तो हम उस पर विचार करेंगे और यह पता लगायेंगे कि ऐसी कठिनाई क्यों उत्पन्न हुई ।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या उनमें से कुछ ने अपने देश वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : 1600 परिवारों ने वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी । परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उन मामलों के संबंध में जो तकनीक अपनाई है वह सन्तोषजनक नहीं है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : 1971 में युद्ध का प्रभाव काश्मीर में छम्ब और जौरियां क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ा था और बहुत से लोग विस्थापित हो गए थे। 1971 में छम्ब और जौरियां से विस्थापित हुए लोगों की संख्या क्या है ? उनका पुनर्वास कहां किया जा रहा है ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है।

Shri Bhanu Kumar Shastri : You are granting citizenship to them and many of them are getting employment. Whether it is a fact that the money given to displaced persons by way of dole is being recovered from them ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह ठीक नही है कि दान के रूप में दिए गए पैसे की वसूली नहीं की जा रही है।

Shri Ugrasen : It is clear from the reply given by the hon. Minister that they are facing accommodation difficulty and they are not allowed to go back also. In these circumstances, will you provide them well alternate employment so that they could earn their livelihood and the dole being given by you could be stopped ?

श्री सिकन्दर बख्त : पुनर्वास की अनेक योजनाएं हैं। यदि वे वापस नहीं जाते तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी और यहां पर उनका पुनर्वास किया जाएगा।

Shri Ugrasen : I am asking about providing employment to them.

Shri Sikendar Bakht : The question of rehabilitation is very much related to employment.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चिलका झील में मत्स्यपालन

*823. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिलका झील में मत्स्यपालन का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : चिलका झील में मत्स्य पालन के विकास में मछली के खुले रूप से आने-जाने को सुनिश्चित करने के लिए समुद्र से झील तक का मार्ग खोलने का कार्य शामिल है, परन्तु, इससे क्षारीयता के स्तर में परिवर्तन करके परिस्थिति की सम्बन्धी स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस परियोजना को मूल रूप से विश्व बैंक के पास भेजा गया था, परन्तु, बैंक ने अधिक जांच की इच्छा व्यक्त की थी। सम्भावित विकल्पों के बारे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग मत प्रस्तुत किए गए। इस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए भेजा जा रहा है। इसमें भी विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारती डेरीनिगम

*828. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम और उनके एक चेयरमैन क्या भूमिका निभाते हैं ;

(ख) उनके अपने-अपने योगदान के लिये मुआवजे की दरों की रूपरेखा क्या है और उनकी शक्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार की ओर से दोनों के एक ही चेयरमैन द्वारा अतिशय शक्तियों का उपयोग किये जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(घ) यदि हां, तो क्या शिकायतें की गई हैं तथा राज्य डेरी विकास निकायों के प्रभावकारी तथा स्वतंत्र कार्यकरण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या कृषि मंत्रालय का कोई निगरानी और सामान्य सैल है जो इसके कार्यक्रमों को संतुलित ढंग से क्रियान्वित करने का निदेश दे सके ; और

(च) क्या राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उत्तम समन्वय और योजनाओं की क्रियान्विति में नियंत्रण रखने के लिये सरकार की कोई योजना या सुझाव है कि भारतीय डेरी निगम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मुख्यालयों को दिल्ली अन्तरित किया जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.-2171/78]

प्राथमिक सहकारी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों के अन्तर्गत लाना

831. श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक सहकारी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों के अन्तर्गत लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि वाणिज्यिक बैंक में उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में अधिक उत्साह नहीं है और इसलिए सहकारी समितियों को बैंकों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि ऋण के क्षेत्र में बल बहु-एजेंसी पहुंच के अन्तर्गत संस्थागत वित्त के प्रावधान को बढ़ाने पर है ऋण के लिए मांग इसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक है और इसलिए नीति यह है कि कृषि ऋण के प्रावधान के मामले में सहकारी सोसायटियों के प्रयासों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरा किया

जाना चाहिए । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को अपनाये जाने की योजना इस बहु-एजेंसी पहुंच का एक भाग हैं ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को वित्त देने की योजना को प्रारम्भ में 1970 में 5 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में उन इलाकों में शुरू किया गया था जिनमें केन्द्रीय सहकारी बैंक कमजोर थे । बाद में यह योजना 7 और राज्यों अर्थात् उड़ीसा जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, असम तथा त्रिपुरा में बढ़ाई गई हैं ।

(ख) जून, 1977 के अंत तक वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनाई गई प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की कुल संख्या 3435 थी ।

(ग) यह कहना सही नहीं होगा कि वाणिज्यिक बैंक योजना के कार्यान्वयन के बारे में काफी उत्साहपूर्ण नहीं हैं । विभिन्न राज्यों में योजना की प्रगति असमान रही हैं । इस योजना के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया हैं ।

Teaching of Sanskrit

†*832. **Shri S. S. Somani :** Will be the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a scheme is proposed to be included in the education programme under the Sixth Five Year Plan for simplified and modernised teaching of Sanskrit ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) and (b) : The proposals for Sixth Five Year plan are under consideration at present and details are still to be worked out.

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा पर्यावरण सुधार अभियान

*833. **श्री आर. वी. स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि आवास तथा नगर विकास निगम पर्यावरण संबंधी सुधार के लिए पहली अप्रैल, 1978 से एक नया अभियान प्रारंभ कर रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां योजना प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ख) आवास तथा नगर विकास निगम समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया है :—

(1) नगर सेवाओं की व्यवस्था, सुधार तथा उन्हें बढ़ाना : इन कार्यक्रमों में मल-जल, जल पूर्ति, सड़कें, कूड़ा-कर्कट का निपटान, सफाई आदि शामिल होंगे ।

(2) नगर नवीकरण का कार्यक्रम : यह बड़े नगर के एक विशिष्ट क्षेत्र में बहु-पक्षीय वृद्धि और सुधार का एक सीमित कार्यक्रम होगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य सुधार किए जा सकते हैं ।

(3) नई बस्तियां : हुडको बृहत योजना के अनुसार नगर के विस्तार के विकास में और भूमि अधिग्रहण और विकास और उचित निपटान नीति द्वारा उप नगरों और नगरों के विस्तार के विकासों में सहयोग भी दे सकता है ।

ये परियोजनाएं समस्त नगर विकास या क्षेत्रीय विकास का एक अंग होना चाहिए और वित्तीय रूप से व्यवहार्य और तकनीकी तौर से सुदृढ़ होनी चाहिएं । ब्याज की प्रभावी दर साढ़े आठ प्रतिशत होगी और पुनः अदायगी की अवधि 12 वर्ष होगी । इसमें विलम्बनकाल शामिल है जो केवल मूल की अदायगी पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

हुडको द्वारा दी जाने वाली सहायता परियोजना के लिए अपेक्षित निधियों के 50 प्र. श. तक सीमित होगी । शेष राशि या तो राज्य सरकार द्वारा या ऋण लेने वाले अभिकरण द्वारा अपने साधनों से जुटाई जानी है ।

Proposal to bring Additional Land under Irrigation during 1978-79

†*834. **Shri Anant Ram Jaiswal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to bring 30 lakh hectares of additional land under irrigation during 1978-79 ;

(b) the break-up thereof, State-wise both in terms of exppenditure and area ;

(c) the comparative statement in regard to irrigation facilities available in different States as on 31st March, 1978 and the extent to which this disparity will be removed on the 31st March, 1979 by implementing the above schemes in different States ; and

(d) the comparative position of irrigation facilities in different agricultural regions of Uttar Pradesh as on 31st March, 1978 and the position expected after the implementation of the aforesaid shceme ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A target of creating additional irrigation potential of 28 lakh ha. is envisaged through major/medium and minor irrigation schemes during 1978-79.

(b) State-wise details of envisaged outlays and anticipated benefits during 1978-79 are given i nthe attached Annexure I. [Placed in Library. **See No. L.T.-2172/78**].

(c) Annexure II [Placed in Library. **See No. L.T.-2172/78**] gives the State-wise position of irrigation potential created through major and medium and minor irrigation works upto March 1978, the additional potential proposed to be created during 1978-79 and the targetted potential at the end of March, 1979.

(d) The region-wise break-up of irrigation potential created as at the end of March 1978 and as expected at the end of March 1979 in the five regions adopted for planning in Uttar Pradesh is given in the attached Annexure III. [Placed in Library. **See No. L.T.-2172/78**].

'नयन रश्मि' का अनियमित प्रकाशन

*835. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा बेल लिपि में प्रकाशित मासिक पत्रिका 'नयन रश्मि' के अनियमित प्रकाशन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे नियमित रूप से प्रकाशित करने और इसके स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अनियमित प्रकाशन और घटिया स्तर की शिकायत के बारे में जांच करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड ने हाल ही में इस पत्रिका के अनियमित प्रकाशन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जांचों से पता चला है कि अप्रैल 1977 से केवल जनवरी 1978 का अंक ही देर से अर्थात् अगले मास में भेजा गया।

(ख) और (ग) : सरकार ने इस पत्रिका का नियमित प्रकाशन तथा इसकी उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक सम्पादकीय बोर्ड की नियुक्ति का आदेश दिया है।

अनुसूचित बैंकों द्वारा आवास ऋण दिया जाना

*836. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण आवासीय योजनाओं के लिए ऋण देने के लिए अनुसूचित बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं ; और

(ख)) यदि हां, तो उन ग्रामीण आवास योजनाओं की संख्या कितनी है, जिन्हें वर्ष 1977-78 के दौरान अनुसूचित बैंकों ने ऋण दिए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जून, 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को मार्ग निर्देशन जारी किए हैं कि वे ग्रामीण आवास योजनाओं सहित आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करें।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों ने दिसम्बर, 1977 के अंत तक समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए 2327.53 लाख रुपए मंजूर किए हैं और 1321.55 लाख रुपए दे दिए हैं। ग्रामीण आवास योजनाओं के बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उर्दू पढ़ाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

*837. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय में उर्दू संवर्धन ब्यूरो ने उर्दू पढ़ाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : जी हां। उर्दू संवर्धन ब्यूरो ने, उर्दू अध्यापन के लिए पत्राचार पाठयक्रम आरम्भ करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

नगरों में आवास की कमी

*838. **श्री पी. जी. मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सब नगरों में आवास समस्या को कारगर ढंग से हल करने हेतु नीति तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) ऐसे आवासीय कार्यक्रम को अपनाना जिसका उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पिछले वर्षों की आवास की कमी पूर्ण करना और जनसंख्या की वृद्धि के कारण हुई मकानों की अतिरिक्त मांग को पूरा करना तथा बेकार मकानों के स्थान पर नए मकान बनाना।

(2) सरकारी निधियों को निम्न आय के परिवारों के लिए नियंत्रण करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गए साधनों से अधिक से अधिक रियायती एककों का निर्माण किया जा सके।

(3) बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वासभूमि काश्तकार

839. **श्री बापू साहेब परूलेकर** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काश्तकारी कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत वास भूमि काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने का है।

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में वास भूमि काश्तकारों को स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और उन्हें केवल बेदखली से ही सुरक्षा मिलती है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वास भूमि में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। यह अधिकार स्थायी और परम्परागत है, लेकिन उस भूमि को दूसरे के हाथों बेचने का उसे अधिकार नहीं है। वस्तुतः सभी राज्य सरकारों ने वास भूमि पट्टेदारों के पट्टे और अन्य कानूनों के अंतर्गत मलकियत के हक या स्वामित्व के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की है।

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र के भूतपूर्व बम्बई क्षेत्रों में जमींदार की भूमि पर अपने या अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए आवास गृह में रहने वाले पट्टेदार को उस मकान का स्वामी समझा जाता है। ऐसी अधिसूचना जारी करके और जमींदार को वार्षिक किराए के 20 गुनी रकम अदायगी करके किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के शेष क्षेत्रों में, कानून में उस वास भूमि को खरीदने के लिए पट्टेदारों के लिए प्रथम विकल्प की व्यवस्था है।

(ग) भूमि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र सरकार उन क्षेत्रों में जहां यह अधिकार पहले से ही लोगों को नहीं दिया गया है उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार हेतु, राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है।

पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयों की कमी

840. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयों की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय कौन सी कम्पनियां पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयां बना रही हैं ; और

(ग) पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से जानकारी एकत्र की जा रही है और मंत्रालय में प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाबर का मुगल गार्डन

*841. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक :**

श्री जी. एस. बनतवाला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबर के मुगल गार्डन के बारे में सीनेटर मोयनीहन की पत्नी के वक्तव्य के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) स्मारक की रक्षा करने और पर्यटकों के लिए उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) धौलपुर के पास बाबर के मुगल गार्डन का स्थल खोज निकाला है ;

(ग) संबंधित पुरातात्विक अधिकारी को स्थल का सुरक्षण और अवशेषों के संरक्षण के संबंध में तुरन्त कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा

*842. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किये जाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा योजना को नया रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए राजी करने वालों को कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे 2 अक्तूबर, 1978 से शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके शुरू होने से 5 वर्षों की अवधि के अन्दर 15-35 आयु-वर्ग की लगभग 10 करोड़ की समस्त निरक्षर जनसंख्या इसमें शामिल कर ली जाएगी। यह कार्यक्रम दृष्टिकोण में लचीला, विषयवस्तु में विविधतापूर्ण और परिस्थितियों तथा पढ़ने वालों की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के साथ भी इसका घनिष्ट संबंध होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन और निरक्षर लोगों को इससे मुख्य रूप से लाभ पहुंचेगा।

(ग) और (घ) प्रेरणा देने के कार्य, जिसे स्वैच्छिक आधार पर किया जाना है, के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सभी एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे इस प्रयोजन के लिए नकदी अथवा माल के रूप में कोई प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नहीं है।

Salaries to Aided School Teachers in Delhi

†7720. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the staff in the Government aided schools in Delhi do not get their salaries in time ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) and (b) According to information furnished by Delhi Administration, disbursement of salaries to staff employed in aided schools is ensured in accordance with prescribed procedures. Occasional cases of delay which occur are promptly looked into and remedial action is taken.

Plan to Control Floods in Gujarat

†7721. **Shri Chittubhai Gamit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any master plan has been prepared by the Government of India for controlling frequent floods in Gujarat and if so, the details thereof ;

(b) the amount allocated for flood control in Gujarat in the Sixth Five-Year Plan ;

(c) whether a demand has been made for dredging in Narmada, Tapti, Purna and Ambika rivers in South Gujarat again in order to control floods in these rivers and if so, the details thereof ; and

(d) the expenditure to be incurred on dredging in these rivers and when dredging will be started and the time by which it will be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Flood Control is a State subject and as such the initiation, planning and execution of flood control schemes is the responsibility of the State Governments. The State Government of Gujarat had submitted a draft master plan for flood control to the Central Water Commission in 1968. This plan was examined in the Commission and the State Government were advised to revise it on the basis of severe floods that occurred in Gujarat during 1968 and 1973. The State Government have reported that the Master Plan is under review and reformulation at present.

(b) The State Government have a proposal to provide an outlay of Rs. 15.00 crores for flood control schemes in the Medium-term Plan 1978—83.

(c) & (d) The State Government has no proposal to undertake dredging in the rivers. A Member of Parliament had suggested in August 1977, the purchase of dredgers for use on the rivers Narmada, Tapti, Mahi and Sabarmati so that flow of water in them is regulated. This suggestion was examined and not considered to be feasible and economical for control of floods.

Rules Governing Acquisition of Religious Places

†7722. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the rules governing the acquisition of temples in the Archaeological Department ;

(b) whether before acquiring a religious place, the relevant records thereof available with the State Government or the local pujari of the temple etc. are checked ;

(c) whether the Ganeshji temple, Kund, and dharamshala in Atra, District Kota, Rajasthan have been acquired under the rules governing the acquisition of religious places, the area of the said place acquired and the reasons for this acquisition ; and

(d) whether Government are prepared to hand over the said acquired place to the public, if the said acquisition does not come within the ambit of the relevant acquisition rules and if so, when it will be done and also the expenditure incurred so far on the upkeep of the said acquired place ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) & (b) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) provides for the protection of ancient monuments which are considered to be of national importance. No religious places are acquired as such. If however such places are found to be of national importance, they are declared as protected for preservation under the said Act.

(c) The ruins of temples at Atru or Ganesh Ganj are centrally protected.

(d) The Government have no intention to deprotect this monument.

महाराष्ट्र में ऊष्ण मरूस्थल वाले क्षेत्र

7723. **श्री आर. के. महालगी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के छोटे-छोटे क्षेत्रों में ऊष्ण मरूस्थल कितने और कौन-कौन से हैं, और उनका कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपाय किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम में विश्व बैंक वित्तीय सहायता देता है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर जिलों के लिए कितनी राशि दी गई ; और

(ङ) निकट भविष्य में उक्त क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क)) महाराष्ट्र में छोटे क्षेत्रों को ऊष्ण मरूस्थल के रूप में नहीं पहचाना गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, सिंचित क्षेत्रों की कम सीमा, वर्षा का कम तथा अनियमित वितरण और सूखे की प्रचंडता जैसे उद्देश्यपूर्ण मापदंड के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, शोलापुर, सातारा, सांगली, नासिक तथा पुणे जिलों को लगातार सूखा ग्रस्त के रूप में पहचाना गया है तथा उन्हें सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ग) जी हां, विश्व बैंक द्वारा देश में छः सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम परियोजना की सहायता दी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अहमदनगर तथा शोलापुर जिलों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

	अहमद नगर	शोलापुर	योग
1975-76	98.54	62.11	160.65
1976-77	116.07	115.22	231.29
1977-78 (जनवरी, 78 तक)	66.95	96.44	163.39
योग	281.56	273.77	555 33

(ङ) राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा छोटा क्षेत्र चालू वर्ष से आरम्भ किए गए चुने खंडों के गहन विकास हेतु नए कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा सकता है, जिसमें लघु किसान विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के घटक शामिल हैं।

आवास और नगर विकास निगम का आवास कार्यक्रम

7724. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 में देशभर में और/अथवा नगरों तथा शहरों में आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड ने कुल कितने आवास तथा नगर विकास कार्यक्रम आरम्भ किये ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा नये कार्यक्रम और परियोजनाएं कहां-कहां आरम्भ की गई ;

(ग) वर्ष 1976 और 1977 में कितनी आवास परियोजनाएं पूरी की गई ; और

(घ) वर्ष 1978-79 में कुल कितनी आवास परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी तथा कहां-कहां और किन-किन स्थानों पर ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान स्वीकृत आवास योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

	वर्ष 1976-77	*वर्ष 1977-78
स्वीकृत आवास योजनाओं की संख्या	241	175
स्वीकृत आय (करोड़ रुपयों में)	71.64	67.81
उन भवनों की संख्या जिन्हें शामिल किया गया	102	113

*इसमें हुडको द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण सामग्री योजनाएं शामिल नहीं हैं ।

(ख) इन स्वीकृतियों ने शहरवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.-2173/78]

(ग) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान पूर्ण हुई आवास परियोजनाओं की संख्या 50 और 62 है । इनमें भवन-निर्माण सामग्री योजनाएं शामिल नहीं हैं ।

(घ) हुडको समस्त देश में सभी अभिकरणों से प्राप्त हुए पृथक-पृथक प्रोजेक्टों के आधार पर योजनाएं स्वीकृत करता है । किसी शहर या राज्य के लिए औपचारिक तौर पर कोई नियतन नहीं किया जाता है ।

Alkaline and Barren Land in Gujarat

7725. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4363 on 27th March, 1978 regarding area of alkaline land and production of gypsum and state :

(a) whether there is no alkaline or barren land in Gujarat; if so, whether any survey has been carried out in this regard and acreage thereof ;

(b) the steps taken to make this land cultivable ;

(c) whether Shri R. K. Shah of Chemistry Department in Gujarat University has proved through experiments that such land can be made fertile rapidly and at low cost by using sulphuric acid in place of gypsum ; and

(d) if so, whether this method will be adopted for improvement of land ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) It has been estimated that approximately 12.14 lakh ha. of soils in the State of Gujarat have been affected due to salinity and alkalinity. According to cadastral survey, the area under barren land has been estimated to be 26.9 lakh ha.

(b) It is proposed to start a pilot project for amendment of the alkali soils under the Centrally Sponsored Scheme of the Government of India. Reclamation of Coastal Saline Soils is being carried out by the Khar Land Reclamation Board, Gujarat.

(c) & (d) Shri R. K. Shah claims that sulphuric acid is useful in reclamation of saline and alkali soils. Sulphuric acid could be used in the reclamation of calcarious alkali soils and not in saline soils. The matter regarding the amount of waste sulphuric acid available and its possible use for reclamation of alkali soils is under consideration.

Hindi Advisory Committee

†7726. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b) Action is being taken to reconstitute the Hindi Advisory Committee in place of the earlier Committee whose term has expired.

पोट्टेरू बांध

7727. **श्री के. प्रधानी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना (उड़ीसा) के अन्तर्गत पोट्टेरू बांध (सिंचाई परियोजना) को पूरा करने के लिए सरकार की योजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वह सम्भवतया कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) दण्डकारण्य में पोट्टेरू सिंचाई-एवं-पुनर्वास योजना के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई राशि से पोट्टेरू सिंचाई परियोजना का निष्पादन उड़ीसा सरकार द्वारा किया जा रहा है । परियोजना की इस समय संशोधित अनुमानित लागत 25.57 करोड़ रुपए है । खरीफ के दौरान कुल 61,000 हैक्टेयर और रबी के दौरान कुल 48,850 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है । विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासियों को आबंटित की जाने वाली भूमि के क्रमशः 16,000 हैक्टेयर और 6,400 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

जहां तक परियोजना के निष्पादन की प्रगति का संबंध है, उभार बांध और हेड-रेगूलेटर सहित बराज निर्माण का कार्य पूरा हो चूका है । फरवरी, 1978 तक पांच रेडियल गेटों में से, तीन गेट स्थल पर लगा दिये गये थे । जलकपाट फाटक तैयार किये जा रहे हैं । मुख्य नहरों, शाखाओं तथा उप-नहरों में कुल 1,76,75,650 घन मीटर मिट्टी का कार्य है, जिसमें से फरवरी, 1978 तक 27,78,759 घन मीटर कार्य किया जा चुका है ।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार मार्च, 1982 तक पूरा हो जाएगा ।

नशाबन्दी लागू किए जाने का गोवा, दमण और दीव का विरोध

7728. **श्री एड्आर्डो फैलेरो :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव सरकार ने उस क्षेत्र के बहुत से लोगों द्वारा सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के लिये किये जा रहे घोर विरोध की सूचना सरकार को दी है ;

(ख) उस क्षेत्र में नशाबन्दी लागू किये जाने के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे तथा इन आंकड़ों का स्रोत क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने की कोई योजना बनाई है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्नासिंह गुलशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 4 वर्षों के भीतर मद्यनिषेध लागू करने के लिए कुछ मार्गदर्शक बातें भेज दी गई हैं । इसलिए इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि मद्यनिषेध के कारण बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी जिन्हें वैकल्पिक रोजगार देना होगा ।

Colleges and University in Sikkim

†7729. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of colleges opened in Sikkim State so far and the number of colleges proposed to be opened in future indicating the subjects to be taught therein and upto what standard ; and

(b) whether there is not even a single University in Sikkim State and students have to go to other States to get higher education ; and if so, whether Government propose to open a University there in future and when it is likely to be opened ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) There was only an evening College in Sikkim till 1977. In September, 1977, a full-fledged degree college was established at Gangtok. Proposals for provision of additional facilities for higher education through the setting up of more colleges or a University in the State have to be considered by the Givernment of Sikkim. No proposal for setting up a University has been made by the State Government so far.

Price of Onion

7730. **Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether price of onions has come down to Rs. 3 or Rs. 4 per 20 Kg. in Rajkot, Junagarh, Jamnagar, Bhavnagar, Amreli, Surendranagar districts of Saurashtra in Gujarat, resulting in considerable loss to the farmers ;

(b) whether the export of onions to other countries has been stopped so as to guard against losses to the onion-growers ;

(c) whether his Ministry has recommended to Commerce Ministry to export onions; and if so, when and the nature of the said recommendation; and if not, the reasons therefor;

(d) the quantity of onions produced or is likely to be produced during the current year in the entire country;

(e) the action taken so far or proposed to be taken by Government to prevent losses to onion-growers and when the proposed action is likely to be taken; and

(f) the price of onions per 20 Kg. paid to the onion-growers in the past or is being paid at present in the aforesaid districts of Saurashtra in Gujarat ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) In accordance with the latest information available the price of onions remained at Rs. 25 per quintal throughout March in Rajkot and at Rs. 20 per quintal during March and the first fortnight of April in Jamnagar and came down from Rs. 25 to Rs. 20 per quintal between February and March this year at Junagarh. The information about other districts is not readily available and is being collected.

(b) Export of onions to other countries was stopped w.e.f. 13-5-77 in order to arrest the rise in prices of onions in the internal markets but export of small quantities were allowed even after 13-5-77 and since that date NAFED exported 25,095 tonnes.

(c) The Ministry has been keeping liaison with the Ministry of Commerce in respect of export of onions. Recently NAFED was directed to export an additional 10,000 tonnes of onions. Government has decided to resume the exports and instructions have been issued to allow export of onions through NAFED without any quantitative restrictions.

(d) Figures of production regarding onions are not available.

(e) At present, the Government is not operating any scheme for price support for onions.

(f) In view of the fact that there is no support price for onions, the onion-growers have been selling their produce in the open market and the month-end wholesale prices of onions in respect of Rajkot, Jamnagar and Junagarh are given below :—

(Rs. per Quintal)

Centre	Variety	Year	Jan.	Feb.	March	April
Rajkot	—	1976	48	35	23	20
		1977	50	73	—	40
		1978	55	40	25 (1st Fortnight March)	25 (2nd Fortnight March)
Jamnagar	Red	1976	130	45	35	14
		1977	55	60	73	60
		1978	60	45	20	20 (14/4)
Junagarh	—	1976	—	—	—	—
Verawal		1977	35	55	30	30
		1978	35	25	20	—

राज्यों द्वारा निश्चित की गई नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

7731. **श्री सुरेन्द्र भा सुमन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा अधिनियम पारित कर दिया है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में नगरीय सम्पत्ति की क्या-क्या अधिकतम सीमाएं निश्चित की गई हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्मित शहरी सम्पत्ति पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है । यह नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 खाली भूमि पर लागू होता है । यह अधिनियम सत्रह राज्यों (अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर,, मेघालय, उड़िसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और सभी संघ क्षेत्रों में लागू है ।

(ख) खाली भूमि पर अधिकतम सीमा लागू करने के लिए नगर संकुलनों को निम्नलिखित क, ख, ग और घ श्रेणियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 500 वर्गमीटर, 1000 वर्गमीटर, 1500 वर्गमीटर तथा 2000 वर्गमीटर है ।

क—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगर क्षेत्र ।

ख—चार महानगर क्षेत्रों को छोड़कर दस लाख तथा इससे अधिक की आबादी वाले नगर संकुलन ।

ग—3 लाख और 10 लाख के मध्य की आबादी वाले नगर संकुलन ।

घ—2 लाख और 3 लाख के मध्य की आबादी वाले नगर संकुलन ।

दिल्ली में अत्यधिक किराए

7732. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में निजी मकान मालिक किराएदार से अत्यधिक किरायों के साथ-साथ 'धरोहर राशि' के रूप में जिसे 'पगड़ी' कहा जाता है, काफी बड़ी राशि वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया पर सरकार का क्या नियंत्रण है ;

(ग) क्या किरायेदारों से वसूल की गई उक्त राशि मकान मालिकों की कराधान योग्य राशि में शामिल की जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मकान मालिकों को इस राशि की मांग करने से रोकने के लिए तथा किरायेदारों की शिकायतें एवम् परेशानियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार को इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) तथा (घ) दिल्ली किराया नियंत्राण अधिनियम, 1958 की धारा 5(2)(क) में पगड़ी लेने के खिलाफ विशेष रूप से व्यवस्था है तथा इस नियम का उल्लंघन करना इसी अधिनियम की धारा 48(1)(क) के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

(ग) यह मंत्रालय से संबंधित नहीं है ।

Production of Sunflower

7733. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state ;

(a) whether a scheme has been formulated by Government for increasing the production of sunflower ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) A Centrally-Sponsored Scheme has been formulated for increasing the production of sunflower in the country. The main features of the Scheme are as under :—

(i) Extension of sunflower cultivation over an aggregate area of 4.50 lakh hectares during 1978-79 in the following States :—

1. Andhra Pradesh
2. Karnataka
3. Madhya Pradesh
4. Maharashtra
5. Orissa
6. Tamil Nadu
7. Uttar Pradsh
8. West Bengal.

(ii) Use of improved seeds and other package of practices.

(iii) Free distribution of minikits, each containing seeds sufficient for half hectare, during the first year of the implementation of the scheme.

(iv) Large scale demonstrations on farmers' fields in order to popularise the adoption of scientific methods of cultivation.

Apart from the above, in order to overcome the problem of marketing of sunflower by farmers, Government of India have announced a support price of Rs. 165 per quintal, inclusive of a promtoional premium of Rs. 10 per quintal, in respect of sunflower seed of fair average quality, for 1977-78 season. Support price operations have been entrusted to the National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED).

विजय नगर कालोनी, गाजियाबाद का शहर के साथ परिवहन सम्पर्क

7734. **श्री एस. ए. हसन अलहाज :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सहायता से 'हुडको' द्वारा विकसित विजयनगर कालोनी रेल लाइन के पार स्थित है और इसका मुख्य शहर के साथ सीधा संबंध नहीं है, अर्थात्, रेल लाइनों पर सड़क पुल नहीं है और उपरोक्त कालोनी में जिन गरीब लोगों को मकान आबंटित किए गए हैं उन्हें इस कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है ; और

(ख) क्या लोगों की कठिनाई दूर करने की सरकार की कुछ योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कब तक पूरी हो जाएंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे लाईन के पार विजय नगर कालोनी का विकास किया जा रहा है। हुडको द्वारा प्रोजेक्ट की वित्त व्यवस्था करके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सहायता की गई है।

विजय नगर कालोनी में रेलवे लाईन के पार दो रेल फाटकों के जरिये गाजियाबाद शहर से वाहनों का सम्पर्क है। इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र का रेलवे स्टेशन पर पैदल पार किए जाने वाले पुल के जरिए मुख्य शहर से सम्पर्क है।

(ख) सड़कों के नए उपरि पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किए जाने होते हैं जिन्हें उनके निर्माण की लागत को नियमों के अनुसार वहन करने के लिए भी वायदा करना होता है। राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से लागत वहन करने के आश्वासन सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर रेलवे मंत्रालय इस मामले पर कार्रवाई करेगा।

दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाया जाना

7735. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाने के मामले में गहन अध्ययन करने के लिए बहुत समय पहले एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन को शीघ्र प्रस्तुत कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च सत्ता प्राप्त बोर्ड की समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लान को कार्यान्वयन के उपाय के एक भाग के रूप में दिल्ली से सरकारी कार्यालयों, थोक व्यापार और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए 24 सितम्बर, 1974 को, एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी।

(ख) कार्यकारी दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

अध्यक्ष

(1) सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय

सदस्य

(2) संयुक्त सचिव (आवास), निर्माण और आवास मंत्रालय

(3) संयुक्त सचिव (निर्माण), निर्माण और आवास मंत्रालय

(4) संयुक्त सचिव (सम्पदा प्रभारी) निर्माण और आवास मंत्रालय

(5) वित्तीय सलाहकार, निर्माण और आवास मंत्रालय

(6) संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

(7) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय

(8) अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड

(9) संयुक्त सचिव, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(10) सलाहकार, योजना आयोग

सदस्य सचिव

(11) मुख्य आयोजक, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन

(ग) जी, हां।

(घ) कार्यकारी दल द्वारा दी गई सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) दिल्ली में सरकारी कार्यालयों का जमाव कम करना/विकेन्द्रीकरण करना।

(2) दिल्ली से औद्योगिक गतिविधियों का परिक्षेपण।

(3) वाणिज्य गतिविधियों का जमाव कम करना/विकेन्द्रीकरण करना।

(4) परिवहन तन्त्र की पुर्नसंरचना।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण उत्थान के लिए एच्छिक एजेंसियां

7736. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उत्थान के लिए एच्छिक एजेंसियों को भी लगाने की कोई योजना है, जैसा कि 3 अप्रैल, 1978 के 'नेशनल हेरल्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ग्रामीण और तहसील स्तरों पर ग्रामीण उत्थान में लगाई जाने वाली एच्छिक एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख)ग्रामीण इलाकों में स्वैच्छिक योजनाओं को प्रोत्साहन तथा सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम पांचवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में ये शामिल हैं—ग्रामीण महिलाओं तथा युवकों के समाजार्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए महिला मण्डलों तथा युवक मंडलों को मजबूत बनाना, उनके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना, निश्चित गतिविधियों को शुरु करने हेतु उनकी सहायता करना, उन्हें रख-रखाव अनुदान देना, प्रायोगिक आधार पर उनके परिसंघों को गठित करना, उनके कार्यकरण के बारे में अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना. महिला मंडलों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना और चुनी ग्रामीण महिलाओं को अगुआई प्रशिक्षण देना।

कृषि उत्पादन में सुधार, ग्राम विकास तथा ग्रामीण औद्योगीकरण के उद्देश्य वाली प्रायोगिक परियोजनाओं के गठन तथा कार्यान्वयन के लिए अनुदान तथा तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देने में अन्य स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

अन्य योजना के माध्यम से, ग्राम विकास कार्यक्रमों में औद्योगिक तथा व्यापारिक गृहों को ऐसी धनराशि पर आयकर की छूट की अनुमति देते हुए शामिल किया गया है जो सचिव (कृषि तथा ग्राम विकास) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित ग्राम विकास परियोजनाओं पर उनके द्वारा खर्च की जाती है।

(ग) ग्राम तथा तहसील स्तर पर ग्राम उत्थान में शामिल की गई/की जाने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की कोई विस्तृत सूची नहीं है क्योंकि इस मामले से राज्य सरकारें मुख्य रूप से संबंधित हैं।

उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के लिए जल-निकास योजना

7737. **श्री प्रद्युम्न बाल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में क्रियान्वित हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत की एक जल निकास योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ऐसी योजना तैयार करेगी तथा उसे एक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रुप में क्रियान्वित करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) ; (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है और इस तरह से बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के प्रारम्भन, तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत की कोई जल-निकास स्कीम केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के बृहत नदी बेसिनों में जल-निकास प्रणालियों की व्यवस्था करने की अनुमानित लागत लगभग 28.35 करोड़ रुपए है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. महानदी बेसिन	—6 करोड़ रुपए
2. ब्राहमणी बेसिन	—3.5 करोड़ रुपए
3. बैतरणी बेसिन	—4.00 करोड़ रुपए
4. स्वर्णरेखा बेसिन	—12·35 करोड़ रुपए
5. बूढ़ाबलांग बेसिन	—2.50 करोड़ रुपए

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि धनराशि के उपलब्ध होने पर ही इन स्कीमों को क्रियान्वित किया जा सकेगा।

Housing Co-operative Society for Adivasis in Gujarat

7738. **Shri Amarsinh V. Rathwa :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to make use of the forest wealth in Gujarat for the development of Adivasis there and if so, the details of the scheme in this regard ;

(b) whether it is proposed to make wood and other sources available to the Adivasis from the nearby jungle so as to enable them to construct houses for themselves and if so, the details of the scheme in this regard ; and

(c) whether it is proposed to set up a cooperative housing society for them in their areas and if so, the details thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) : The matter concerns the Government of Gujarat.

Under the programme for backward classes, there is a scheme for giving subsidy for construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The scheme is being implemented by the State Governments.

राजस्थान में शरणार्थियों को जमीन

7739. **श्री बेगा राम चौहान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 के पश्चात् पाकिस्तान से शरणार्थी पासपोर्ट पर राजस्थान में आए और सरकार ने उनको अभी तक कोई सहायता नहीं दी है ;

(ख) क्या 1947 के दंगों के दौरान पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के प्रत्येक व्यक्ति को एक 'मुरब्बा' के हिसाब से राजस्थान में जमीन दी गई थी ;

(ग) क्या गंगानगर में श्रीविजय नगर गांव में 22-जी. बी. में रहने वाले 30 हरिजन शरणार्थी परिवारों को जो 1960 में पाकिस्तान से आए थे, कोई जमीन नहीं दी गई है ;

(घ) क्या लगभग 2000 हरिजन शरणार्थी, जो 1971 में पाकिस्तान से आए थे राजस्थान के बाड़मेर जिले में रह रहे हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है ।

(ङ) क्या राजस्थान में जमीन 1955 की मतदाता सूची के आधार पर दी जाती है और मतदाता सूची में उनके नाम का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे शरणार्थी 1955 के पश्चात् आए थे ; और

(च) क्या सरकार का विचार इन शरणार्थियों को उनके पासपोर्ट के आधार पर जमीन देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के इटाहर खण्ड में फसल की हानि

7740. **श्री ए. के. राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले के इटाहर खण्ड में निरन्तर बाढ़ आती रही है और पानी जमा हो जाता है जिसके कारण वहां काफी फसल नष्ट हो जाती है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कारगर सिंचाई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के लोगों का एकमात्र व्यवसाय कृषि है और इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तथा सामाजिक तौर पर ये पिछड़े लोग हैं ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र को निरंतर होने वाली कठिनाई से बचाने के लिए केन्द्र का विचार कोई व्यापक योजना का आरम्भ करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिम दीनाजपुर में इटाहर ब्लाक का कुछ भाग नीची सतह पर है और तश्तरीनुमा आकार में धंसा हुआ है और वह बाढ़ों के दौरान जलमग्न हो जाता है । भारी वर्षापात के वर्षों में यह समस्या बड़ी गम्भीर हो जाती है जैसा कि 1975, 1976 और 1977 में हो गई थी । ब्लाक-वार ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने 69.72 करोड़ रुपए की अनुमानत लागत की तीस्ता बराज परियोजना (चरणएक) की स्कीम तैयार की है । यह स्कीम योजना आयोग द्वारा मई, 1975 में अनुमोदित की गई थी । इस स्कीम में, अन्य निर्माण-कार्यों के साथ-साथ, महानन्दा बराज के बाएं किनारे से एक नहर तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर (इटाहर सहित) और मालदा जिलों में लगभग 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने के लिए इसके वितरण प्रणाली का निर्माण शामिल है । इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मार्च, 1978 तक इस पर 14.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं । उपचारात्मक उपायों के रूप में कई छोटी स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं । महानन्दा (चरण दो) स्कीम का, जो राज्य सरकार द्वारा प्रोसेस की जा रही है, क्रियान्वयन हो जाने पर समस्याओं का स्थायी हल प्राप्त हो जाने का विचार है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः कृषिगत भूमि है और अधिकांश जनता गरीब है । इस क्षेत्र में रहने वाली 1.43 लाख के कुल जनसंख्या में से लगभग 27 प्रतिशत जनता अनुसूचित जातियों तथा लगभग 10 प्रतिशत जनता अनुसूचित जन जातियों के लोगों की है ।

(घ) बाढ़-नियंत्रण राज्य-विषय है और निम्नलिखित बाढ़-नियंत्रण स्कीमें राज्य सरकार द्वारा पहले ही हथ में ली जा चुकी हैं और ये क्रियान्वयन के विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

(1) पाजोल बाढ़ नियंत्रण स्कीम ;

(2) राजगनर हसुअर बील स्कीम,

(3) बूड़ीगंडल बील ड्रेनेज स्कीम ; और

(4) खोकर्ना बील ड्रेनेज स्कीम ।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इटाहर ब्लाक सहित पश्चिमी दीनाजपुर जिले के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महानन्दा (बस्साई ब्रांच) के बाएं किनारे पर एक तटबन्ध के निर्माण की एक स्कीम भी तैयार की है । ये स्कीमें प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित सिंचाई स्कीमों के अलावा हैं ।

सहकारिता फार्म

7741. **श्री एस. आर. दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सहकारिता फार्म चल रहे हैं ; और

(ख) उनकी भूमि का क्षेत्रफल, सदस्यता, वित्तीय सक्षमता आदि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) अपेक्षित जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत में सहकारी आन्दोलन भाग 2 (ऋण सोसायटियों के लिए) से संबंधित सांख्यिकीय विवरणों में उपलब्ध है ।

मदर डेरी (दिल्ली) द्वारा ऐसे क्षेत्रों में स्टैण्डर्ड दूध का बेचा जाना जहां दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई नहीं की जाती

7742. **श्री के. ए. राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी द्वारा 1.50 रुपए प्रति पैकट के भाव पर पोली पैकटों में खालिस दूध बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र नहीं हैं अर्थात् लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर, पोली पैकटों में स्टैण्डर्ड दुग्ध भी बेचा जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) मदर डेरी का पोली पैकटों में मानकीकृत दूध बेचने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । गीता कालोनी में स्थापित एक्स-मदर डेरी बूथों द्वारा पोली पैकेटों में शुद्ध दूध होम डिलिवरी के जरिए बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं । तथापि, इस समय लक्ष्मी नगर और शकरपुर के निवासियों ने इस प्रकार के दूध के लिए होम डिलिवरी सेवा के प्रति कोई अधिक उत्साह नहीं दिखाया है ।

उड़ीसा को छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

7743. **श्री डी. अमात** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की चालू वित्त वर्ष के दौरान छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है, जिसका विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर या परियोजना से सम्बन्ध नहीं होता । बहरहाल, 1978-79 के लिए बृहद्/मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए क्रमशः 32 करोड़ रुपए और 13.80 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुपादित किया गया है ।

फिलहाल राज्यों को 1978-79 के दौरान बृहद मध्यम या लघु स्कीमों के लिए अग्रिम योजना सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

स्वामी श्रद्धानन्द कालेज के छात्रों की शिकायतें

7744. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीपुर थाने के पुलिस अधिकारी 16 फरवरी को प्रिंसीपल की अनुमति के साथ स्वामी श्रद्धानन्द कालेज के परिसर में प्रविष्ट हुए थे और लाठी चार्ज के पश्चात् 14 छात्रों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या छात्रों ने पुलिस तथा दिल्ली परिवहन निगम की गतिविधियों की सरकार तथा उप-कुलपति द्वारा जांच की मांग को लेकर धरना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो छात्रों की शिकायतों को दूर करने और छात्रों के विरुद्ध दायर मुकद्दमों को वापस लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और तथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बीज निगम में पदों का निर्माण

7745. **श्री मही लाल** :

श्री मोहन लाल पिपिल :

श्री राजेश्वर सिंह :

श्री कल्याण जैन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के भूतपूर्व चेयरमैन ने नए पदों के निर्माण पर पूर्ण रोक लगा दी थी तथा क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने भी अपने प्रबंधकों को नए पदों के निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने का निदेश दिया था ;

(ख) क्या इसके बावजूद, प्रबंध निदेशक ने अक्तूबर, 1977 में अपनी सेवा निवृत्ति के समय राष्ट्रीय बीज निगम के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 96ग के अंतर्गत अधिकारों के अनुसार और निदेशक मंडल के ध्यान में उन्हें लाए बिना अनेक पदों का निर्माण किया था ;

(ग) क्या उच्चतर प्रबंध स्तर के उक्त कुछ पदों के लिए कोई भारती नियम नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के पास पर्याप्त अर्हताएं नहीं हैं और उनको पदों के अनुरूप अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई हैं और ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है विशेषकर जबकि 17 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार निगम का अस्तित्व संकट में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Import and Price of Chemical Fertilisers

7746. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of Chemical Fertilisers which are imported from other countries and the rates thereof and the retail price at which these are sold in the country; and

(b) the names of fertilisers which are produced in the country, their cost price and the price at which they are sold ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) During the year 1977, the following Chemical Fertilisers were imported from various countries at the rates indicated against each :

	Name of the Fertilizer	Weighted average price in Rs. per tonne (approx.)	Retail price (Rs. per M/T)
1.	Urea	1163	1650 (till 11-10-77) 1550 (since 11-10-77)
2.	DAP	1490	2210
3.	MOP	655	805
4.	SOP	1124	1295

(b) The cost of production of fertilizers produced indigenously varies from plant to plant depending upon such factors as the capital cost, feedstock used, vintage, process adopted, location, cost of utilities, etc. A statement indicating the retail prices of indigenously produced chemical fertilizers is attached.

STATEMENT

A. PRICES OF STATUTORILY CONTROLLED STRAIGHT NITOGENOUS FERTLIZERS

Name of product	Maximum retail price (Rs. per M.T.)
Urea	1550
Ammonium Sulphate	935
Calcium Ammonium Nitrate	1015

B. PRICES OF INDIGENOUS PHOSPHATIC FERTILISERS.

Name of Company	Product	Maximum retail price (Rs. per M.T.)
E.I.D. Parry Ennore	16-20-0	1700
	18-9-0	1320
Gujarat State Fertiliser Co., Baroda	19-5-19.5-0	1820
	18-46-0	2120* (*2210 outside Gujarat)
Coromandal Fert. Limited Vizag.	28-28-0	2340
	14-35-14	2230
Indian Farmers Fert. Cooperatives, Kandla	10-26-26	1890
	12-32-16	2090
	22-22-11	2100
	24-24-0	2080
Madras Fert. Ltd.	17-17-17	1810
	24-24-0	1950
	14-28-14	2045
	18-46-0	2210
Zuari Agro-Chemicals, Goa	28-28-0	2340
	19-19-19	2020
	18-46-0	2210
Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	16-20-0	1700
	20-20-0	1845
	28-28-0	2340
	17-17-17	1810
	18-46-0	2210
Rashtriya Chemicals and Fert., Trombay	15-15-15	1520
	20-20-0	1760
Southern Petro-Chemicals Industries Corporation, Ltd.	14-14-14	1620
	18-46-0	2210

तमिलनाडु में चीनी उद्योगों की स्थापना

7747. **श्री भुवारहन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी चीनी मिलों के लिए अनुरोध किया गया और उनमें से कितनी मिलों को लाइसेंस दिए गए तथा उनमें से कितनी मिलें चालू हो गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : तमिलनाडु राज्य चीनी निगम लि. द्वारा नई चीनी यूनिटें स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से किसी को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

कृषि—एक आधारभूत उद्योग

7748. **श्री हरी शंकर महाले** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को एक आधारभूत उद्योग घोषित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार काश्तकार को कृषि का द्रुत विकास करने का अधिकार देने तथा कृषकों को उचित ब्याज पर तथा उचित समय पर उदार ऋण देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्तमान सरकार कृषि को महत्व देती है।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय नीति यह है कि काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए जायें और अनेक राज्यों ने ऐसे अधिकारों को प्रदान करने के लिए कानून बनाए हैं। अन्य राज्य के कानूनों में काश्तकारों के काश्त की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्यतः भूस्वामियों द्वारा भूमि की स्वेच्छा से बेदखली कराने की स्वतंत्रता आती है जहां तक कृषि सम्बन्धी ऋण का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि कृषि के विकास के लिए संस्थागत ऋण के दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए। इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न-लिखित हैं :—

आधार स्तर पर एक सक्षम और कारगर बहुद्देशिय प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करना, तकनीकी व प्रबंध सम्बन्धी कुशलता तथा वित्तीय संसाधनों के मामले में सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत बनाना, सदस्यों और विशेष रूप से दुर्बल वर्गों के सदस्यों के लिए क्षेत्र को व्यापक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना तथा आसानी से ऋण प्रदान करने के लिए ऋण सम्बन्धी नीतियों तथा पद्धतियों की समीक्षा करना । संस्थागत ऋण एजेन्सियों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर को भी कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई जाने वाली ब्याज की विभेदक दरों की योजना को सारे देश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत, प्राथमिकता वाले कुछ वर्गों व छोटे किसानों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 1978 से वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक "साफ्ट लोन विन्डो" की व्यवस्था की है, ताकि वे छोटे किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर 2500 रु. से कम का अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण दे सकें। इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के लिए ऋण देने की दर को, अल्पकालीन ऋण के मामले में बैंक दर से 3 प्रतिशत तथा मध्यमकालीन ऋण के मामले में बैंक दर से 2-1/2 प्रतिशत कम कर दिया है। भारत सरकार ने ब्याज पर लगने वाले कर को भी वापिस ले लेने, की घोषणा की है, ताकि अनुसूचित बैंक ब्याज की दर को घटाकर ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकें।

Irrigation Scheme for Bihar

†7749. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of irrigation schemes to be undertaken in Bihar on which Central Government have accorded approval ;

(b) the amount sanctioned during the current year for the schemes which have not been completed indicating the amount sanctioned in each case ; and

(c) the details for the Sixth Five Year Plan and the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Eight multipurpose/major schemes and 15 medium schemes spilling over from earlier

plans are under execution during the current plan. Besides these, five major and 22 medium new schemes have been approved and taken up for execution in Bihar during the Fifth Five Year Plan. Of the twelve Medium Irrigation Schemes approved since April, 1977, the Government of Bihar have proposed outlay in respect of only 2 schemes during 1978-79.

(b) A statement showing the outlay proposed by the Government of Bihar for the on going schemes during 1978-79 is enclosed.

(c) The details for the Sixth Fixe Year Plan are yet to be finalised by the Government of Bihar.

STATEMENT

Outlays proposed for on going Irrigation Sechemes during 1978-79

(Rs. lakhs)

Sl. No.	Name of Scheme	Outlay proposed by State during 1978-79
1	2	3
A. PRE FIFTH PLAN SCHEMES.		
I. Multipurpose Schemes :		
1.	Kosi Barrage & Eastern Canal .	600.00
2.	Gandak	2500.00
3.	Bagmati . . .	300.00
	Total : A-I .	3400.00
II. Major Schemes		
1.	Western Kosi Canal .	800.00
2.	Rajpur Canal . .	200.00
3.	Sone H.L.C. .	600.00
	Total : AII	1600.00
III Medium Schemes		
1.	Nakti Reservoir.	10.00
2.	Udersthan	10.00
3.	Musakhand	2.00
4.	Paimar Barrage	7.00
5.	Balharna	68.00
6.	Job Reservoir	2.00
7.	Ajan Reservoir	108.00
8.	Butanduba	1.00
9.	Tajna	2.00
10.	Sunder	20.00
11.	Construction of water courses . .	20.00
	Total : A-III . . .	251.00
	Total : A(I+II+III) :	5251.00

1	2	3
	B. New Schemes of Fifth Plan	
	I. Major Schemes	
1.	Durgawati	600.00
2.	Barnar	200.00
3.	Upper Kiul	200.00
4.	Dakranala	250.00
5.	Bateswarasthan	200.00
	Total : B-I	1450.00
	II. Medium Schemes	
1.	Surajgarh pump canal	93.00
2.	Ganga pump canal	29.00
3.	Lotia Reservoir	1.00
4.	Gumani Reservoir	100.00
5.	Sugathan Reservoir	50.00
6.	Paras Reservoir	51.00
7.	Masaria Reservoir	5.00
8.	Chirgaon Reservoir	90.00
9.	Kans Reservoir	101.00
10.	Nakti Reservoir	75.00
11.	Palna Reservoir	75.00
12.	Largara Reservoir	55.00
13.	Jharjhara Reservoir	93.00
14.	Torai Reservoir	100.00
15.	Batane Reservoir	113.00
16.	Murahir Reservoir	56.00
17.	Anraj Reservoir	90.00
18.	Badua Second Supply Scheme	65.00
	Total : B-II	1242.00
	Total : B-(I+II)	2692.00
	Grand Total : (A+B)	7943.00

शैक्षिक संस्थाओं में उर्दू पढ़ाने के लिए सुविधायें

7751. **श्री अहसान जाफरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1978 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में शैक्षिक संस्थाओं में उर्दू पढ़ाने के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिये गये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 19 मार्च, 1978 को नई दिल्ली में हुई थी और यह प्रश्न कि क्या इन राज्यों की शैक्षिक संस्थानों में उर्दू के अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है उन विषयों में से एक था जिस पर बैठक में विचार विमर्श किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हिन्दी भाषी राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं में उर्दू के अध्यापन के संबंध में पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा है। मुख्य मंत्रियों ने बताया कि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत उर्दू पढ़ने के लिए उनके राज्यों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Rural Drinking Water Scheme for the Country in General and for Uttar Pradesh in particular

7752. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of villages in the country which are proposed to be supplied with drinking water during 1978-79 ;

(b) the target fixed in this regard for Uttar Pradesh ; and

(c) the fund allocated for this purpose for the current financial year ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) : Water Supply being a State subject, the targets of the number of villages in the country that may be supplied with safe drinking water during 1978-79 have to be determined by the State and Union Territories Governments including the Government of Uttar Pradesh. The target fixed by U.P. Government is not known to this Ministry.

(c) In addition to funds that may be provided for drinking water supply in rural areas by the State and Union Territories Governments under the State Annual Plan for 1978-79, a sum of Rs. 60 crores has also been provided in the Central budget for allocation to the States and Union Territories (including U.P.) under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme for problem villages only during the current financial year. State-wise allocations of funds for the Central scheme have not yet been made. The fund allocated by the State Government in its plan for rural water supply scheme is not known to this Ministry.

Production capacity of Sugar Mills and Production Cost of Sugar

7753. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in the country at present and whether a statement showing their production capacity and the production during the last three years, year-wise, would be laid on the Table of the House ; and

(b) per kilogram cost of production of sugar and whether a statement showing complete analysis of cost of production and selling price thereof including excise duty, sales tax, Octroi, freight commission etc. separately thereon would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) : At present, there are 289 installed sugar factories in the country.

(In lakh tonnes)

(Year October-September)	Installed annual sugar production capacity	Production of sugar
1974-75	44.98	47.97
1975-76	47.77	42.64
1976-77	51.65	48.43

(b) The estimated weighted average cost of production is about Rs. 2.20 per kilogram during the season 1977-78. The approximate break-up thereof is as follows :—

	Rs./Kg.
Cane cost including State levies .	1.49
Conversion charges . .	0.55
Return	0.19
	2.23
	or say Rs. 2.20

The break-up of consumer, retail price of levy sugar with effect from 1-3-1978 is as follows :

	Rs./Kg.
1. All India weighted average of ex-factory levy prices	1.87
2. Excise duty at 11.3%	0.21
3. Handling and freight charges etc. . . .	0.22
Total	2.30

माइनिंग स्कूल, क्योंझर (उड़ीसा) में छात्र

7754. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि माइनिंग स्कूल, क्योंझर (उड़ीसा) के छात्रों ने हड़ताल की है, और

(ख) यदि हां, तो विस्तार से उनकी शिकायतें क्या हैं और उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां, । हड़ताल 23-3-1978 को समाप्त हो गई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छात्रों की मांगें	संस्थान/राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाई
1 2	3
1. खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा धारियों को उसी प्रकार से छूट जिस प्रकार कि खान सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए खान इंजीनियरी में डिप्लोमा धारियों को होती है	खनन परीक्षा बोर्ड ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब मामला श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है
2. डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद खनन में डिग्री पाठ्यक्रम जारी रखने की व्यवस्था	यह प्रश्न केवल तब ही उठेगा जबकि राज्य में खान डिग्री शिक्षा के लिए सुविधाएं हों
3. सभी शाखाओं में दोहरा डिप्लोमा	यह देखते हुए कि वर्तमान तीनों शाखाओं को मिलाकर 'खनन इंजीनियरी" बनाने का प्रस्ताव राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन है, इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता
4 गैस जांच प्रमाण-पत्र परीक्षा को 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए	यह मामला डी० जी० एम० एस० धनबाद, जो कि अध्यक्ष बी० एम० ई० हैं, को विचारार्थ भेज दिया गया है
5. प्रिंसिपल के माध्यम से डी० जी० एम० एस० में फोरमैन प्रमाण पत्र	संस्थान ने मांग को स्वीकार कर लिया है
6. लिफ्ट सिंचाई पी० एच० डी०, ओ० एम० सी० "खान निदेशालय आदि जैसे विभागों में राज्य सरकार के अधीन उपयुक्त नौकरियां	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है
7 सी० एम० पी० डी० आई०, जी० एस० आई० एम० ई० सी० जैसी संस्थाओं में उत्तर-डिप्लोमा व्यावहारिक संरीक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्थान	संस्थान ने उत्तर-डिप्लोमा व्यावहारिक प्रशिक्षण का मामला प्रशिक्षण निदेशालय, बी० ओ० पी० टी० कलकत्ता तथा क्षेत्रीय केन्द्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार के पास भेज दिया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संस्थान संबंधित संगठन से सम्पर्क स्थापित कर रहा है
8. चौथे सेमेस्टर ड्रिलिंग इंजीनियरी पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण प्रश्न-पत्र-II के स्थान पर कोई और मैकेनीकल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र	वर्तमान तीन शाखाओं के प्रस्तावित संशोधन को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है
9. एक आधुनिक प्रकार की हाईड्रोलिक फीड ड्रिलिंग एक रिग संस्थान को सप्लाई किए जायें	संस्थान खनन निदेशक, उड़ीसा से एक पुरानी रिग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है

1	2	3
10.	व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी छात्रों तथा 6वें सेमेस्टर के सभी छात्रों को वजीफा	राज्य सरकार ने उन सभी छात्रों के लिए, जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से होने वाली आय 3,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वजीफा बढ़ाकर 100 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह प्रशिक्षण अवधि तथा सभी सेमेस्टरों के छात्रों के लिए लागू होता है
11.	छात्रावासों के कमरों में पंखों की सप्लाई	प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, संस्थान द्वारा इसकी जांच की जा रही है
12.	अध्ययन दौरों के लिए और अधिक स्वीकृति	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है

दिल्ली में वायु प्रदूषण

7755. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जल तथा वायु-दूषण बहुत अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में औद्योगिक अपशिष्ट प्रतिदिन अनुमान 60 लाख गैलन तथा 20 करोड़ गैलन सीवेज होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के जनरेटरों से तथा अन्य बड़े उद्योगों से वायु-दूषण होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण कुछ सीमा तक है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड "जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है कि सभी उद्योग अपने अपशिष्टों को जल में प्रवाह करने से पूर्व बोर्ड की पूर्व अनुमति लें। दिल्ली जलपूर्ति तथा मल जल व्ययन संस्थान ने जो बिना शोधन किए मलजल को नदी में बहाने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय आरम्भ किए हैं।

जहां तक वायु प्रदूषण का संबंध है, 17 अप्रैल, 1978 को लोकसभा में "वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978" लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। संसद के जरिये विधेयक के पारित होने तक, उद्योगों द्वारा स्थापित भट्टियों से संलग्न चिमनियों द्वारा छोड़े जा रहे धुएं से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन, बम्बई स्मोक

न्यूसेंस एक्ट, 1912 के अधीन तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जैसा कि उसे दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान धूल एकत्र प्रणाली और इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के बायलरों में सुधार लाने के उपाय कर रहा है ताकि चिमनी से निकलने वाली फ्लाई-एश को अनुमोदित मानकों तक कम किया जा सके।

Conversion of Sugarcane Research Institute Deoria into an Agriculture Research Institute under I.C.A.R.

7756. **Shri Ugarsen** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether he has received a suggestion for the conversion of the Sugarcane Research Institute Varnauli, Deoria (U.P.) into an Agriculture Research Institute under the I.C.A.R. ; and

(b) if so, action taken thereon ?

The Minister of Agriculture and Irrigation : (Shri Surjit Singh Barnala : (a) No, Sir ; no suggestion to convert the Sugarcane Research Institute Varnauli, Deoria into an Agricultural Research Institute under I.C.A.R. has so far been received.

(b) Question does not arise.

खाद्यान्न उत्पादन

7757. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत के प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में खाद्यान्न का अनुमानतः कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ख) भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र में खाद्यान्न की खपत के लिए कितनी मांग है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977-78 के लिये खाद्यान्न के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात अर्थात् जुलाई-अगस्त 1978 के आस पास उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि वर्तमान आसारों को देखते हुये सम्पूर्ण देश में और साथ ही अधिकांश राज्यों में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1976-77 की अपेक्षा 1977-78 में अधिक होने की आशा है।

(ख) खाद्यान्नों की आवश्यकताएं फल और सब्जियां, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, एवजी खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता, उनकी तुलनात्मक कीमतों, आय का स्तर, जनसंख्या में वृद्धि आदि पर निर्भर हैं। जलवायु संबंधी कारणों से भी विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की आवश्यकताओं में अन्तर है। इसको दृष्टि में रखते हुये भिन्न भिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों की कुल आवश्यकताओं का निश्चित अनुमान तैयार करना संभव नहीं है।

छठी योजना के दौरान कृषि संबंधी नई नीति

7758. **श्री आर. वी. स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चालू वर्ष के दौरान कृषि के लिये अधिक धन का आवंटन किया है और छठी योजना के लिये कृषि संबंधी नई योजना नीति पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के दौरान कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान कृषि संबंधी नई योजना नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) वर्ष 1978-79 के लिए योजना आयोग ने पिछले वर्ष के दौरान 1264 करोड़ रुपये की तुलना में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1754 करोड़ रुपये के अधिक परिव्यय की व्यवस्था की है। मसौदा पंचवर्षीय योजना (1978—83) में परिकल्पित कृषि नीति का मुख्य दबाव सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना तथा उन सस्य एवं कृषि पद्धतियों का विकास करना है। क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों द्वारा सिंचाई के कमान क्षेत्रों में जल साधनों के पूर्ण उपयोग पर आधारित तथा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा प्रबन्ध के सिद्धांतों पर विस्तृत कृषि योजनाएं तैयार करने की जरूरत है। योजना में ग्रामीण अवस्थापना का विस्तार करने में (जिसमें न केवल सिंचाई तथा बीजों और उर्वरकों की सप्लाई ही बल्की ऋण, भंडारण तथा विपणन का विस्तार भी समाहित होगा) पर्याप्त निवेश की व्यवस्था भी की जाएगी। भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रमों तथा चकबंदी की योजनाओं की पूर्ति को आगे बढ़ाने तथा फार्म यंत्रीकरण के विकास को न्यिमित करने का प्रस्ताव भी है। पशुपालन, बागबानी, वानिकी तथा मात्स्यीकियों के माध्यम से जहां विस्तार की और भी अधिक गुंजाइश है, अच्छी उत्पादकता तथा रोजगार की प्राप्ति करने संबंधी प्रयास भी किए जाएंगे।

उड़ीसा में केन्द्रीय पशु पालन फार्म

7759. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में कोई नए केन्द्रीय पशु पालन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चिपलिमा (सम्बलपुर) और सुनाबेड़ा (कोरापुट) में विद्यमान दो केन्द्रीय पशु पालन फार्मों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) खेती के लिए अधिक भूमि विकसित करने, सिचाई सुविधायें उपलब्ध कराने, फसल-चक्र अपनाने और मूल पशुधन तैयार करने के लिए अतिरिक्त पशु प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एक चरण-बद्ध कार्यक्रम के रूप में भवनों का निर्माण और मांग के अनुसार आवश्यक स्टाफ की भर्ती का कार्य आरम्भ किया गया है। स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

मोटे अनाज का उत्पादन

7760. **श्री डी. डी. देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के सह-निदेशक डा. जे. एस. कंवर द्वारा व्यक्त इस विचार से सरकार सहमत है कि भारत को इस शताब्दी के अंत तक कम से कम ढाई गुने अधिक मोटे अनाजों की जरूरत होगी ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक दशक के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन की बहुत कम वृद्धि दर को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को इस शताब्दी के अंत तक मोटे अनाज की संभाव्य मांग पूरी करने में डा. जे. एस. कंवर द्वारा अपनाए गए प्रणाली विज्ञान की जानकारी नहीं है। मानवीय उपभोग के लिए मोटे अनाज की मांग बहुत अधिक लचीली है जोकि चावल तथा गेंहू की उपलब्धता, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तरों, जनसंख्या की वृद्धि, शहरीकरण के विस्तार आदि पर निर्भर करती है। इसके विचार से देश में इस शताब्दी के अंत तक मोटे अनाज की समग्र आवश्यकताओं का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) देश में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं—(1) अधिक उपज वाली किस्मों। संकर/ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के मिश्रणों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना (2) उन्नत प्रबंध पद्धतियों को अपनाना जिसमें मृदा तथा नमी का संरक्षण और बड़े पैमाने पर अन्य बरानी खेती की तकनीकों को अपनाना भी शामिल है। (3) ज्वार के मामले में विशेष रूप से समेकित कृषि प्रबंध जहां पर समान परिपक्व अवधि की अधिक उपज वाली संकर किस्म की नस्लें कम समय में बहुत सघन क्षेत्रों में उगाने के सुझाव दिए जा रहे हैं) इससे पौधों में एक ही समय फूल आ सकेंगे और कृमियों को एकत्र होने से रोका जा सकेगा ; (4) कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित अधतन उत्पादन तकनीक में विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषकों को प्रशिक्षण देना ; (5) सभी आदानों (जिसमें ऋण भी शामिल है) की पर्याप्त तथा समय पर सप्लाई करना ; (6) मिनिकिट प्रदर्शन योजना जैसे समर्थन कार्यक्रमों को तेज करना ;(7) मोटे अनाज की उपज में सुधार के लिए और रोगों तथा कीट कृमियों के अवरोध का सामना करने के लिए और सहनशीलता लाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

"गेहूं उपभोक्ता की आवश्यकता" पर गोष्ठी

7761. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में "गेहूं उपभोक्ता की आवश्यकता" विषयक गोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गोष्ठी में खाद्य उत्पादों के मूल्यों में कमी लाने के लिये आटा मिलों के लिये लागू मूल्य अनुशासन पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां तो उसमें क्या निष्कर्ष निकाले और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 29 तथा 30 मार्च, 1978 को हुई गोष्ठी में चार विभिन्न तकनीकी अधिवेशनों में कई पत्र प्रस्तुत किए गये थे और उन पर चर्चा हुई थी :—

1. उपभोक्ता की प्रतिक्रिया ।
2. अगले दस वर्षों में किस्मवार अच्छे किस्म के गेहूं के उत्पादन तथा विपणन की योजना ।
3. सुरक्षित भण्डार रखने के संदर्भ में गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों की हैंडलिंग तथा उनका भण्डारण ।
4. भारतीय उप महाद्वीप में गेहूं की खपत की सम्भाव्यता ।

गोष्ठी में गेहूं की विभिन्न किस्मों की उपज बढ़ाने, गेहूं-भण्डारण काहस्टतम उपयोग करने, गेहूं की 'बल्क हैंडलिंग' तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया करने, विभिन्न 'मिल्ड' उत्पादों के उत्पादन के लिए उन्नत तथा आधुनिक तकनीकी को अपनाने आदि के बारे में बहुत सी सिफारिशें की गई हैं ।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मालूम पड़ता है कि खाद्य उत्पादों के मूल्यों को नीचे लाने के लिए आटा मिलों द्वारा अपनाये जाने वाले लागू मूल्य अनुशासन के प्रश्न पर गोष्ठी में खासतौर पर चर्चा नहीं की गई है ।

डी. डी. ए. फ्लेटों के साझे-भागों का रख-रखाव

7762. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली में डी. डी. ए. फ्लेटों के साझे-भागों के रख-रखाव के लिये गठित एजेन्सियों से इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं कि आबंटी इन एजेन्सियों के देय राशियों की अदायगी नहीं करते हैं ;

(ख) एजेन्सियों को देय इन राशियों की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है ;

(ग) क्या किसी आबंटी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) क्या ये एजेन्सियां अपना कार्य भली-भांति पूरा कर रही हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भुगतान न करने वाले सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये जा सकते हैं और इन देयताओं को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने जनकपुरी, लारेन्स रोड आदि के आबंटियों को पत्र जारी किये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अधिकांश पंजीकृत अभिकरण साझे भागों के अनुरक्षण से संबंधित अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से नहीं कर रहे हैं।

कर्नाटक द्वारा सपरेटा दुग्ध-चूर्ण के लिए अनुरोध

7763. **श्री के. मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की तुरन्त सप्लाई के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा सपरेटा दुग्ध चूर्ण के लिए की गई मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, कर्नाटक ने धारवाड़, गुलबर्गा बेलगांम, मंगलौर तथा शिमोगा स्थित सरकारी डेरियों के लिए 15 फरवरी, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक की अवधि के लिए 180 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की सप्लाई का अनुरोध किया है।

बंगलौर डेरी के निदेशक ने भी वर्ष 1978-79 के दौरान 800 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की सप्लाई का अनुरोध किया है।

(ग) 180 मीटरी टन की मांग के प्रत्युत्तर में वर्ष 1977-78 के लिए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, कर्नाटक को 50 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की मात्रा निर्मुक्त की जा चुकी है। वर्ष 1978-79 के दौरान शेष 130 मीटरी टन की मात्रा को निर्मुक्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

बंगलौर डेरी को वर्ष 1978-79 के दौरान 800 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध-चूर्ण निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में किए गये अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

Grants to Colleges in Bihar

†7764. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the total amount of grants given so far to Saharsa College Saharsa, B.S.S. College, Supaul, T.P. College, Madhipura, Nirmali College, Nirmali in Saharsa district in Bihar State separately for the construction of college and hostel buildings and the extent of building construction work completed and when the remaining amount of building grants will be given ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : According to the information furnished by the University Grants Commission, the grants paid to the colleges in question and the progress of construction are as follows :—

Name of the College	Project	Grants Paid Rs.	Progress of construction and the position relating to release of the balance
1	2	3	4
1. Saharsa College, Saharsa.	Science Laboratory.	50,000	Construction completed upto roof level at a total cost of Rs. 90,369.79 upto January, 1978. The balance of the approved grant of Rs. 1,15,795 would be released on receipt of further progress in construction.
2. B.S.S. College, Supaul	(a) Men's hostel	76,400	Construction completed. No further grant is due.
	(b) Science Laboratory	2,03,000	Ground floor of the Central block completed. Release of balance amounting to Rs. 85,600 has been withheld on receipt of complaints about misutilisation of grants, which are under investigation.
3. T.P. College, Madhipura	(a) Science Block	1,05,000	Construction work is reported to have been completed. Balance grant of Rs. 5,170 would be released when the completion certificate is received.
	(b) Teacher's Hostel	85,000	Ground floor completed. No progress report has been received since May, 1977. Balance grant of Rs. 8,696 would be released on receipt of further progress.

1	2	3	4
4. Nirmali College, Nirmali	Men's hostel	70,000	Construction was reported to be nearing completion in February, 1977. No progress has been reported since then. The balance due is Rs. 32,922 which will be paid on receipt of further progress.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सरकारी आवास का आरक्षण कोटा

7765. **श्री राम लाल कुरील :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये टाईप-1 आवास में, जिसके अन्तर्गत ग्रुप 'घ' के सब कर्मचारी आते हैं, 10 प्रतिशत तक, 10 प्रतिशत टाईप-2 में, जिसके अन्तर्गत ग्रुप 'ग' और 'घ' के कर्मचारी आते हैं और 5 प्रतिशत टाईप-3 में, जिसके अन्तर्गत अधिकांश ग्रुप 'ग' के कर्मचारी आते हैं ; आरक्षण की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी आवास के आबंटन में उक्त आरक्षण आरम्भ करने से सरकार का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ और क्या आरक्षण की उपर्युक्त प्रतिशतता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) टाईप-1 और 2 की स्पष्ट रिक्तियों में 10 प्र. श. क्वार्टर तथा टाईप 3 और 4 की स्पष्ट रिक्तियों में से 5 प्र. श. क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए आरक्षित रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, यदि वे चाहें तो उन्हें सामान्य कोटे में से भी उनकी बारी आने पर आबंटन किया जाता है ।

(ख) ये आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए किए जाते हैं । उपर्युक्त प्रतिशतताओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए ज्यादा वजीफा

7766. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि हिन्दी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए ज्यादा वजीफा दिया जाये ;

(ख) इस अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस पर प्रति वर्ष केरल में कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां।

(ख) अन्यत्र संभाव्य प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत केरल सरकार को निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए गए हैं :—

1974-75	2.00 लाख रुपये
1975-76	18,000 रुपये
1976-77	60,000 रुपये
1977-78	2.00 लाख रुपये

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में बंगाली शिक्षा माध्यम वाला उच्चतर माध्यमिक स्कूल

7767. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व ई.बी.आई.पी. कालोनी, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में बंगालियों के लिए हिन्दी शिक्षा माध्यम वाला उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में बंगाली शिक्षा माध्यम वाला प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या रुख है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में हिन्दी माध्यम का कोई विद्यालय नहीं खोला गया। इस स्थान पर चल रहे राजकीय सहशिक्षा मिडिल स्कूल में हिन्दी एवं बंगाली दोनों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आगामी शैक्षिक सत्र में विद्यमान राजकीय सहशिक्षा मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने (अपग्रेड) का प्रस्ताव है। दिल्ली नगर निगम, जिसकी केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय खोलने की जिम्मेदारी है, पहले से ही इस स्थान पर एक बंगाली माध्यम का प्राथमिक विद्यालय चला रहा है।

मद्य-निषेध लागू करने के लिए राज्यों की मुआवजा

7768. **श्री दुर्गा चन्द :**

डा. अमजी सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में मद्य-निषेध लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मुआवजा मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य से क्या ब्यौरा मिला है ;

(ग) मद्य-निषेध के लागू होने से राज्यों को कितना-कितना घाटा होगा ; और

(घ) इसके लिए प्रत्येक राज्य को कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मद्य-निषेध को लागू करने के लिए क्षतिपूर्ति मांगी है।

(ख) और (ग) तीन राज्य सरकारों ने नीचे दिए अनुसार राजस्व की हानी का ब्यौरा भेजा है :—

राज्य	1978-79 के लिए अनुमानित हानि
बिहार	7.30 करोड़ रुपए
तमिलनाडु	140.00 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश	20.00 करोड़ रुपए

(घ) केन्द्र 1977-78 के वास्तविक आबकारी राजस्व को आधार मानकर 1978-79 से प्रत्येक वर्ष स्थापित क्षति का 50 प्रतिशत तक राज्यों कि आबकारी सम्बन्धी क्षतिपूर्ति करने की आशा करता है इसमें सम्भावी वृद्धि, जोकि आबकारी में हुई, हो सकती है प्रवर्तन लागत आदि शामिल नहीं होगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

7769. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का देश में राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निम्नलिखित 10 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं जिनको मध्यम अवधि योजना (1978—83) के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है और जिनके ब्यौरा तैयार किये जा रहे हैं :—

1. राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र
2. राष्ट्रीय तोरिया-सरसों अनुसंधान केन्द्र
3. राष्ट्रीय सूरजमुखी तथा कुसुम अनुसंधान केन्द्र
4. राष्ट्रीय तिल अनुसंधान केन्द्र
5. राष्ट्रीय अरहर अनुसंधान केन्द्र
6. राष्ट्रीय जीव-उर्वरण अनुसंधान केन्द्र
7. राष्ट्रीय प्रकाश-संश्लेषण अनुसंधान केन्द्र
8. राष्ट्रीय पशु-आनुवंशिकी अनुसंधान केन्द्र
9. राष्ट्रीय पशु-पोषण अनुसंधान केन्द्र
10. राष्ट्रीय सौर-ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र।

दादरा और नागर हवेली में शिक्षा में सुधार के लिए कदम

7770. **श्री आर. आर. पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दादरा और नागर हवेली में शिक्षा संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई निरीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणूका देवी बरकटकी) : (क) उस संघ शासित क्षेत्र के स्कूल पड़ोसी राज्य गुजरात में अनुसरण की जा रही पद्धति के अनुसार कार्य करते हैं । पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के 166 स्कूलों का पर्यवेक्षण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है । पैदल आने हेतु 1.5 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्कूल खोलकर प्राथमिक स्तर पर दाखिले में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, कापियां, वर्दियां तथा मध्याह्न भोजन देकर प्रोत्साहन दिए जाते हैं । आदिवासी बच्चों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था तथा आवास व्यवस्था सहित छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । प्राथमिक स्तर पर परीक्षा सुधार

लागू किए गए हैं । व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं । अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है । 1971 के 14.97 प्रतिशत के विरूद्ध साक्षरता का वर्तमान फैलाव 29.86 प्रतिशत होने का अनुमान है ।

(ख) ऐसी कोई शिकायतें ध्यान में आई नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Sick Sugar Mills in States

7771. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether several sugar mills in Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra are sick for want of modern machinery ;

(b) if so, the number of sick sugar mills in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and other States separately ;

(c) their number in public, private and co-operative sectors, separately ; and

(d) the action being taken by Government to keep them fit for production ; whether a proposal regarding take over of such mills is under consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

(d) Government have introduced a scheme of soft loans to be administered by the Industrial Finance Corporation of India for giving loans to sugar factories having uneconomic capacities with out-moded plant and machinery for taking up modernisation, rehabilitation and expansion simultaneously. There is no general proposal for taking over sick sugar mills but requests received from the State Governments concerned are considered on merits of the individual case.

सीरा के न उठाये जाने के कारण चीनी मिलों को हो रही कठिनाइयां

7772. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान महाराष्ट्र में अनेक शराब-कारखानों के बन्द हो जाने पर सीरा का उठाया जाना रुक जाने के कारण चीनी मिलों को हो रही कठिनाइयों की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सीरा के उठाये जाने में बाधाओं को रोकने के उद्देश्य से चीनी मिलों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान सीरे का रिकार्ड उत्पादन होने की दृष्टि में, सरकार सीरे की कमी

वाले राज्यों में भेजने और उसका निर्यात करने हेतु निर्मुक्ति करने के लिए पग उठा रही हैं।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में प्रगति

7773. **श्री के. लकप्पा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है ;

(ख) क्या धन की कमी के कारण उनको पूरा करने में विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित धन उपलब्ध करने और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय कर्नाटक में 7 बृहद और 23 मध्यम सिंचाई स्कीमें क्रियांवित की जा रही हैं। इसके अलावा, 9 बृहद और 11 मध्यम सिंचाई स्कीमें भी, जिनको अभी स्वीकृत नहीं किया गया है, राज्य में क्रियांवित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) : 1974-75 तक कुछ परियोजनाओं पर कार्यों को प्रगति धन की कमी के कारण धीमी रही थी। किन्तु, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक राज्य के बृहत और मध्यम सिंचाई सैक्टर के लिए 1974-75 से अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1974-75 से इस सैक्टर के परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1974-75	22.52
1975-76	28.45
1976-77	48.81
1977-78 (प्रत्याशित)	61.89
1978-79 (योजना व्यवस्था)	68.08*

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने गैर-योजना के अन्तर्गत कावेरी बेसिन की अस्वीकृत स्कीमों के लिए 23.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

भारत सरकार ने कुछ चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति को तेज करने के लिए अग्रिम योजना सहायता भी दी है। 1975-76, 1976-77 और 1977-78

के वर्षों के दौरान क्रमशः 2.15 करोड़ रुपये, 3.55 करोड़ रुपये और 6.14 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

7774. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित नेशनल लाइब्रेरी को स्थान की कमी, धनराशि की कमी, कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या, पुस्तकों का गुम हो जाना, कर्मचारियों में व्याप्त तनाव जैसे मामलों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है ; और

(ख) उक्त उत्कृष्ट संस्था को नया रूप देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय का बजट जो 1973-74 में 42,04,300 रुपए था बढ़ाकर 1978-79 में 85,25,000 रुपए कर दिया गया है। इसी अवधि के दौरान संस्वीकृत किए गए स्टाफ की संख्या 603 पदों से बढ़ाकर 767 पद कर दी गई है। अतिरिक्त फर्श-क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए एक दूसरा उप भवन बनाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। पुस्तकों के गुम हो जाने अथवा स्टाक में किसी प्रकार के तनावे के सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

यह पता नहीं कि माननीय सदस्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में किस प्रकार के परिवर्तन का विचार रखते हैं क्योंकि सरकार द्वारा तो किसी भी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना

7775. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बकरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और संस्थान को कहां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

इसी बीच में, इस संस्थान के लिए विस्तृत प्रस्तावों को तैयार करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा एक कार्यदस्ता संगठित किया गया है। इस कार्य दस्ता की अन्तरिम रिपोर्ट में

की गई सिफारिशों के आधार पर मखदुम नामक स्थान पर जोकि मथुरा के पास है, इस संस्थान को स्थापित करने के लिए चुने जाने का सुझाव दिया गया है।

सीनेट में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

7776. **श्री भक्त राम** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें सीनेट में विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व के बारे में संशोधन संबंधी पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है।

(ख क्या उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इस बारे में विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसे अन्य विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जबकि पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा इस संबंध में पारित कोई संकल्प सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, उपकुलपति ने सूचना दी थी कि सीनेट की 23 मार्च, 1975 को हुई बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन हो जाने के पश्चात् विद्यार्थियों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(ख) और (ग) पंजाब तथा हरियाणा सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जांच पड़ताल करने तथा उनमें संशोधनों के सुझाव देने के लिए बनाई गई है। यह समिति विश्वविद्यालय निकायों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

(घ) विश्वविद्यालयों के अभिशासन से संबंधित गजेन्द्रगड़कर समिति ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों की सीनेट/कोर्ट तथा शैक्षिक परिषद् में छात्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस समिति की सिफारिश राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित कर दी गई थी। इसके लिए अनेक विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

संकर बाजरा संख्या 1 का उत्पादन

7777. **श्री जी. एस. रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में जारी किया गया संकर बाजरा संख्या 1 ने अब अधिक उत्पादन देना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बाजरे की कोई नयी संकर किस्म विकसित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान । वर्ष 1964-65 में जारी हुए बाजरे की संकर सं. 1 ने अधिक उपज देना बंद कर दिया है क्योंकि यह बाजरे के रोमिल फफूंदी (ग्रीन ईयर) तथा एरगोट रोगों के प्रति संवेदनाशील हो गयी है ।

(ख) बाजरे की अधिक उपज देने वाली और रोमिल फफूंदी को सह सकने वाली नयी संकर किस्में, जैसाकि बी. जे. 104, बी. के. 560-230 तथा पी एच बी 14 खेती के लिये जारी की गयी हैं । रोमिल फफूंदी रोधी संकर किस्मों की उपलब्धता के बाजरे के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है । एरगोट अभी भी समस्या के रूप में विद्यमान है और उसके नियंत्रण के लिए सघन अनुसंधान प्रगति पर है ।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र संघ

7779. **श्री चित बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र संघ की सदस्यता को वैकल्पिक बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Lower Irrigation Percentage in Bihar, Gujarat and M.P.

*7780. **Shri Birendra Prasad**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether only 30 per cent of the entire cultivable land is under irrigation at present ;

(b) whether States like Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh have lower irrigation percentage as compared to other States; and

(c) whether, in order to bring these three States at par with other States in matter of irrigation facility, Government propose to implement the pending irrigation scheme and accord priority in allotment of financial assistance for medium and minor irrigation schemes ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The irrigation potential created though major, medium and minor irrigation works upto the end of 1977-78 continues 29.1 per cent of the cultivable area.

(b) the percentage of irrigation potential created upto 1977-78 to the cultivable area both in the States of Gujarat and Madhya Pradesh is lower than the national average. In case of Bihar, however, the irrigation potential created forms 39 per cent of the cultivable area in the State.

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are financed by the State Governments. Central assistance to States is provided in the form of block loans and grants and is not related to individual sector of development or project.

Priority is being given to the speedy execution of on going projects for early realization of benefits and higher outlays are being provided in the annual plan of States having less irrigation facilities.

मिराज, महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से अनाज का भण्डार

7781. **श्री अण्णा साहिब गोटिखिंडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के मिराज नगर को विश्व बैंक की सहायता से अनाज के भण्डार की क्षमता बढ़ाने अथवा बनाने के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो भण्डार की कितनी क्षमता बढ़ाने अथवा बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) योजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां

(ख) 50,000 मीटरी टन क्षमता.

(ग) गोदाम निर्माण की अनुमानित लागत जिसमें रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करना शामिल है, 1.85 करोड़ रुपये है

(घ) यह आशा की जाती है कि यदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जमीन का कब्जा तुरन्त दे दिया जाता है, तो मिराज में सारी परियोजना 1979-80 के मध्य तक पूरी हो जाएगी।

सुवर्णरेखा परियोजना

7783. **श्री समर गुह :**

श्री बैरागी जैना :

श्री प्रद्युमन बाल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री सुवर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना, पर कार्य पुनः आरम्भ किए जाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण हेतु "सुवर्णरेखा" नदी के लिए बाढ़ नियंत्रण परियोजना की योजना सरकार के पास अनेक वर्षों से विचाराधीन पडी हैं ;

(ख) यदि हां, तो परयोजना की क्रियान्विति में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को अंतिम रूप कब दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम कार्यवाही क्या की गई है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) 12 दिसम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न सं० 3541 के उत्तर में यह बताया गया था कि उड़ीसा में सुवर्णरेखा के किसी एक किनारे पर तटबंधों के निर्माण की संशोधित स्कीम केन्द्र को प्राप्त नहीं हुई है तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने चांडिल जलाशय के लिए स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्टोरेज से होने वाली बाढ़-माडरेशन की अनुपस्थिति में प्रस्थापित तटबंधों का रेलपुल पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका पता लगाने के लिए बाढ़ के मार्ग से संबंधित अध्ययन और अपने क्षेत्र में तटबंधों पर ब्रीचिंग सेक्शनों की व्यवस्था करने की व्यवहारिकता के बारे में रिपोर्ट अभी नहीं भेजी है ये रिपोर्ट अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

बिहार की बहुउद्देश्यीय स्वर्णरेखा परियोजना के बारे में संबंधित राज्यों नामशः बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हो जाने के बाद परियोजना को स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा। यद्यपि बिहार और उड़ीसा के बीच समझौता हो गया है लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच अभी समझौते को अंतिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक कनिष्ठ स्टेनोग्राफर की मृत्यु

7784. **श्री राम बिलास पासवान**: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कनिष्ठ स्टेनोग्राफर श्री कमल कान्त चड्ढा की मृत्यु के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कनिष्ठ स्टेनोग्राफर श्री कमल कान्त चड्ढा की मृत्यु के बारे में जांच पूरी हो गई है और सरकार को उसकी रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) किन परिस्थितियों से बाध्य होकर श्री कमल कान्त चड्ढा ने अपना जीवन समाप्त किया था;

(ग) क्या इस जांच के संदर्भ में सरकार ने उन नियमों और विनियमों पर पुनः विचार किया है जिनके अनुसार तबादले/त्यागपत्र के बाद कर्मचारी को भारमुक्त किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी विभागों में विद्यमान ऐसी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का है जिससे ऐसा दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) मृत्यु की परिस्थितियों की तहकीकात की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी तहकीकात की रिपोर्ट के अनुसार आशुलिपिक ने कुण्ठा के कारण आत्महत्या की थी।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई पुनरीक्षण करना अपेक्षित नहीं है।

उड़ीसा तट पर मत्स्य-पत्तन के लिए सर्वेक्षण का प्रतिवेदन

7785. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा तट पर मत्स्य-पत्तन के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन ने 1970 में और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) के दल ने 1976 में सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां तो उनके प्रतिवेदन सरकार को कब मिले थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना यदि कोई है तो कब तक तैयार कर ली जायेगी और अब वह किस स्थिति में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) धमड़ा तथा नौगड़ स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में रिपोर्ट क्रमशः अप्रैल, 1972 और दिसम्बर, 1976 में प्राप्त हुई थीं। 12 मीटर लम्बे 40 मत्स्यन जलयानों की व्यवस्था करने के लिए नौगड़ बन्दरगाह पर 66 लाख रुपये की लागत जाने का अनुमान है जहाज घाट नीलामी हाल की सड़कों, जल सप्लाई तथा इमारतों का निर्माण बन्दरगाह के मुख्य अंग हैं

धमड़ा स्थित मत्स्यन बन्दरगाह 15 मीटर लम्बे 50 जलयानों की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया है। आरम्भ में भारत सरकार ने इस परियोजना को मई, 1975 में 56 लाख रुपये के लिए मंजूर किया था, जिसे दिसम्बर, 1976 में संशोधित करके 69 लाख रुपये कर दिया गया जलघाट, ड्रेजिंग स्लिपवे, सड़कों, जल सप्लाई व इमारतों का निर्माण इसके मुख्य अंग हैं

(ग) परियोजना का ब्यौरा पहले ही तैयार कर लिया गया है। धमड़ा बन्दरगाह को भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी और कार्य लगभग पूरा हो गया है। नौगड़ में मत्स्यन बन्दरगाह के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

अर्ध-सरकारी संगठनों को रियायती दरों पर आबंटित आवास

7786. **श्री हीरा लाल पटवारी** :
श्री राम कवार बैरवा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री अर्ध-सरकारी, सामाजिक और भारत सेवा समाज, इन्टक जैसे अन्य संगठनों और सेवा निवृत्त न्यायाधीशों और मंत्रियों भूतपूर्व मंत्रियों जैसे व्यक्तियों को निःशुल्क अथवा रियायती किराये पर आवंटित मकानों, फ्लैटों और कार्यालयों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे कि और यदि हां, तो उक्त आवास कहां और किन-किन दरों पर आबंटित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	व्यक्ति/अर्ध सरकारी/सामाजिक एसोसिएशन आदि का नाम	वास के टाइप के ब्यौरे	लिए गए विशेष किराए का आधार
1		2	3
1.	श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री	12-विलिंगडन क्रेसेन्ट (टी०-7)	एफ०आर०-45-बी० तथा डी० सी०
2.	श्रीमती के०डी० चट्टोपाध्याय	20 केनिंग ले (टी०-7)	एफ०आर०-45-ए०
3.	श्री के०जी० वैद्य	सी० 11/156, वैलजूली रोड (टी०-6)	-वही-
4.	श्री शिवराममूर्ति, सेवानिवृत्त निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय	सी-11/140, शाहजहां रोड, (टी०-6)	-वही-
5.	श्रीमती लीलावती लक्ष्मण, सामाजिक कार्यकर्ता	103, रगिन्द्र नगर (टी०-5)	एफ०आर० 45-बी० तथा डी०सी०
6.	श्री महावीर त्यागी, भूतसूर्व संसद सदस्य	16-डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	एफ०-आर०-45-ए० जिसमें 25 प्र०श० छूट कम कर दी है 1-5-76 से एफ०आर०-45 बी० तथा डी०सी० के अधीन
7.	डा० निवल चौधरी, अध्यक्ष, जल-प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड	76-लोधी एस्टेट (टी-7)	एफ०आर०-45-ए०
8.	भारत का संचार केन्द्र	ए०बो०-15, तिलक मार्ग (टी०-7)	-वही-
9.	अपंग तथा मानसिक तौर पर पिछड़े लोगों को पुनः बसाने वाली संस्था	29-सी०, एम०आर०एस० रोड (टी-5)	-वही-
		33-सी०,	-वही-
		35-सी०,	-वही-
		37-०सी,	-वही-
		39-सी०,	-वही-
10.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	एन०ए०ए० कम्प्लैक्स .	ए०आर० 45-ए०

1	2	3	4
11.	लेडी इर्विन कालेज शिक्षा संस्थान	5-सिकन्दर रोड (अधिगृहीत इमारत)	एफ०आर०-45-बी
12.	बेगम जाकिर हुसेन	2-मोतीलाल नेहरू प्लेस (टी०-8)	पेन्शन का 10 प्रतिशत
13.	बेगम आबिदा अहमद	19, अकबर रोड (टी०-8)	-वही-
14.	श्रीमती ललिता शास्त्री	1. मोतीलाल नेहरू प्लेस (टी०-8)	-वही-
15.	श्रीमती ललित नारायण मिश्र	4-कृष्णा मेनन मार्ग (टी०-8)	-वही-
16.	श्रीमती जसवन्त सिंह	सी० 11/128, डा० ज़ाकिर हुसेन मार्ग (टी०-6)	एफ०आर० 45-ए०
17.	श्रीमती कुमारामंगलम	सी-1/16, हुमायूं रोड (टी०-6)	-वही-
18.	श्रीमती ज़ोहरा अन्सारी	डी० 11/100, राविन्द्र नगर (टी० 5)	-वही-
19.	श्रीमती पिताम्बर पन्त	डी०-1/109, राबिन्द्र नगर (टी०-5)	-वही-
20.	श्रीमती सावित्री अग्निहोत्री	198, राउस ऐंवेन्यू (टी०-5)	नाममात्र किराया
21.	श्रीमती मेरी ए० जोसफ	सी०-11/193, लोधी कालोनी (टी०-2)	एफ०आर०-45 ए०
22.	श्रीमती आर०एफ० महमूद	2-महादेव रोड (टी-6)	-वही-
23.	श्री ए०सी० गुहा	5, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड	-वही-
24.	सी०डी० पाण्डेय	61-भारती नगर	-वही-
25.	एम०एल० द्विवेदी	13 (एल०एफ०) कालेज रोड (टी-4)	-वही-
26.	जे०सी० एम०	9-अशोक रोड (टी०-8)	-वही-
27.	मिन्टो रोड क्लब	2-डी०, कोटला रोड, (टी०-5)	-वही-
28.	केन्द्रीय सचिवालय क्लब	7-डी०, से 10-डी पार्क लेन (टी०-5)	-वही-
29.	शाहजहां रोड क्लब	डी०-11/121, शाहजहां रोड (टी०-5)	-वही-

1	2	3	4
30.	काका नगर रेजिडेन्ट एसोसिएशन	डी०-11/19, काका नगर (टी०-5)	एफ०आर०-45
31.	सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट एम्प्लाईज कोआपरेटिव स्टोर्ज	33, एन०डब्ल्यू० मोती बाग (टी० 4) 11-13, डायज स्क्वेयर (टी०-4) बी०-245, एस० नगर (टी०-2) एच०-634 सरोजनी नगर, एच०-638, एस० नगर (टी०-2) 41-11 (ए०) तिमारपुर (टी-2)	-वही-
32.	रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन प्रोबियन रोड, दिल्ली	29, प्रोबियन रोड, (टी०-3)	-वही-
33.	विलिंग्डन हौस्पीटल वैलफेयर सोसायटी	40-बी० इर्विन रोड (टी०-4)	-वही-
34.	केन्द्रीय हिन्दी परिषद	एक्स-वाई-68, सरोजनी नगर (टी-4)	-वही-
35.	श्रीमती शीला भाटिया	डी-11/17, शाहजहां रोड (टी० 5)	एफ०आर०-45-बी०डी०सी० सहित
36.	श्रीमती सपना सुन्दरी	बी०-43, पण्डारा रोड (टी०-4)	-वही-
37.	कुमारी यमनो कृष्णमूर्ति	डी-1/39, चाणक्य पुरी (टी०-5)	-वही-
38.	श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी (स्वर्गीय)	डी-1/12, भारती नगर (टी०-5)	एफ०आर०-45-ए०
39.	डी०डी० देवलाककर	डी०-1/10, लोधी कालोनी (टी०-2)	-वही-
40.	संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश	सी-2/160, मोती बाग	-वही
41.	एन०डी० एम० सी०	1 58 किदवई नगर (डब्ल्यू०) (टी०-5)	एफ०आर०-45-बी०
		2. 47-डी०, लेक स्क्वेयर (टी०-4)	-वही-
		3. सी-399, किदवई नगर	-वही-

1	2	3	4
		4. डी०-221, मोतीबाग-1 (टी०-2)	एफ०आर० 45-बी
		5. ई०-175 (1557), नेताजी नगर, (टी०-2)	-वही-
		6. कोटाह हाउस में एक हाल और गैराज	एफ०आर० 45-ए०
		7. 31-डी०, निक्सन स्क्वेयर (8)डी०-359 मोतीबाग-1	एफ०आर० 45-बी
42.	डी०एम०सी०	1. एफ०-35/37, 38 राड न० 4 इन्द्रू जगंज (टी०-3)	एफ०आर० 45-ए०
		2. सी०-482, श्रीनिवासपुरी (टी०-2)	एफ०आर०-45-बी०
		3. एस०-1/825, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		4. एस०-1/827, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		5. आई०-87, नानकपुरा (टी०-2)	-वही-
43.	संसद में कांग्रेस पार्टी	1. 15-डी०पी०, राजा बाजार (टी०-4)	एफ०आर०-45-ए०
		2. एस-4/209, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		3. एस०-4/892, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		(4) एस०-4/222, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		5. एस०-4/181, आर०के० पुरम (टी०-2)	-वही-
		6. एस०-2/598, आर०के० पुरम (टी०-1)	-वही-
44.	सी०पी०आई० (एम०)	सूट नं० 14(डबल), वी०पी० हाउस	-वही-
45.	सी०पी०आई०	309, 119 तथा 201-ए० (सिंगल सूट) वी०पी० हाउस	-वही-
46.	डी०एम०के०	सूट नं० 15 (सिंगल सूट), वी०पी० हाउस	-वही-

1	2	3	4
47.	बी०के०डी०	सूट नं० 1 तथा 2 और सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 65 तथा 20, वी०पी० हाउस	एफ०आर० 45-ए०
48.	जनसंघ	सूट नं० 23 और 24, (सिंगल) सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 56, वी०पी० हाउस	-वही-
49.	स्वतंत्र पार्टी	203 (सिंगल) वी०पो० हाउस	-वही-
50.	कांग्रेस (ओ०)	109, 219 (सिंगल) सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 44, वी०पी० हाउस	-वही-
51.	सोशलिस्ट	16, 17,104 (सिंगल) सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 40 वी०पी० हाउस	-वही-
52.	सोशलिस्ट (लोहियावादी)	310 (सिंगल), वी०पी० हाउस	-वही-
53.	जनता पार्टी	सूट नं० 507, वी०पी० हाउस	-वही-
54.	श्रीमती गायत्री देवी (भूतपूर्व (संसद सदस्य)	91, लोधी एस्टेट (टी०-6)	एफ०-आर०-45-बी० डी०सी० सहित
56.	यूनाइटिड नेशन मिलिटरी ओब-जरवर ग्रुप इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान	ए०बी०-1, पुराना किला रोड (टी०-7)	बिना किराये के
56.	गृह कल्याण केन्द्र	17, और 19, महादेव रोड (टी०-6) 137, मस्जिद मोठ (टी०-4)	10 रुपये मासिक दर से
57.	भारत सेवक समाज	गैराज नं० 109, 110 तथा 111 नार्थ एवेन्यू	एफ०आर०-45-बी०-डी०सी० सहित
58.	विमन्ज म्युचल एंड सोसाइटी	फ्लैट नं० 75, साउथ एवेन्यू	-वही-
59.	प्रेस संवाददाता	102, फ्लैट	एफ०आर०-45ए० तथा एफ०आर०-45-बी० और विभागीय प्रभार ।

समुद्री-भू-विज्ञान तथा भू-भौतिकी में शिक्षण तथा अनुसन्धान हेतु उच्च पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहायता

7787. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन विश्वविद्यालय का विचार समुद्री भू-विज्ञान तथा भू-भौतिकी में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए एक उच्च पाठ्यक्रम चलाने का है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) कोचीन विश्वविद्यालय में समुद्री-विज्ञानों का एक स्कूल है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने इस स्कूल के विस्तार का प्रस्ताव किया था। इन प्रस्तावों में समुद्री भू-विज्ञान के लिए एक प्रभाग जोड़ना भी शामिल था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेज्ञ समिति ने जिसने प्रस्तावों पर विचार किया, समुद्री-भू-विज्ञान में अल्पकालिक उत्तर एम०एस०सी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने और इस विषय में सामर्थ्य के आयोजन तथा विकास के लिए प्रोफोसर के एक पद का निर्मण करने की सिफारिश की । विश्वविद्याला अनुदान आयोग ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। अयोग को समुद्री-भू-विज्ञान और भू-भौतिकी के अध्यापन तथा अनुसंधान हेतु उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आगे और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

काम करने वाले दम्पत्तियों के लिए सरकारी आवास के आवंटन को कसौटी

7788. **श्री धर्मबीर वशिष्ठ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पति और पत्नी में से किसी एक को सरकारी आवास के आबंटन पर दोनों ही का मकान किराया भत्ता बन्द हो जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है और केवल अलाटी का ही मकान किराया भत्ता बन्द करने का है, दोनों का नहीं।

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दोनों के वेतन मिलाकर उसके आधार पर उन्हें आवास आबंटित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आवास आबंटन के प्रयोजन के लिए पति और पत्नी दोनों की वेतन परिलब्धियां को मिलाने का परिणाम यह होगा कि उनमें से किसी एक का तबादला हो जाने, इस्तीफा देने, सेवा निवृत्त हो जाने आदि के कारण उठने वाली अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त अग्रता तारीख निश्चित करने और लाइसैन्स फीस की वसूली करने में अनेक जटिलताएं उत्पन्न होंगी ।

Application for Allotment of DDA Flats

7789. **Shri Ram Kanwar Berva:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for inviting fresh applications by the DDA for allotment of residential plots (Janata and Middle Income Groups);

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Not at present, Sir. It is clarified that plots are allotted to LIG and MIG.

(b) Does not arise.

(c) Plots are not available for allotment at present.

Corruption Charges Against Punjab Wakf Board

7790. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted inquiry into the corruption charges against Punjab Wakf Board, in June, 1977;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) whether Government propose to dissolve this Wakf Board ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) On receipt of certain allegations of corruption against the Punjab Wakf Board, an officer of the Ministry of Law was deputed to ascertain the facts relating to the allegations.

(b) The report made by the Officer in this regard is under examination.

(c) Further action in the matter will be taken in the light of the decisions taken after examination of the report referred to above.

भीमकुंड परियोजना

7791. **श्री बैरागी जैना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में बैतरण नदी पर भीमकुंड परियोजना के निर्माण के लिये अपेक्षित सभी प्रतिवेदन तथा सूचना भारत सरकार को भेज दी है ;

(ख) क्या इस भीम-कुंड परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है अथवा शामिल किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस पर कार्य कब आरम्भ होगा, यदि नहीं, तो उड़ीसा में बैतरण नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ग) भीमकुंड परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हो गई है। इसकी अनुमानित लागत 165.80 करोड़ रुपये

है। आयोग में इसकी जांच की गई थी और जून, 1977 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई थीं। इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) पंचवर्षीय योजना (1978—83) में उड़ीसा सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) भीमकुंड परियोजना को निर्माण के लिए हाथ में लेने के प्रश्न का फैसला तभी किया जा सकता है जब यह तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाई जाएगी और राज्य द्वारा पंचवर्षीय योजना (1978—83) में शामिल कर ली जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

भीमकुंड बांध के निर्माण से अखुपाड़ा के नीचें बैतरणी में उच्चतम जल-प्रवाह निकास कम होकर 3 लाख क्यूसेक हो जाएगा। राज्य सरकार ने कम जल प्रवाह के निकास को ध्यान में रखते हुए 1973 में डेल्टा क्षेत्र के लिए एक बाढ़ नियंत्रण स्कीम तैयार की थी। यदि बांध पूर्ण नहीं होता है तो डेल्टा में तटबन्धों का डिजाइन अधिक 'पीक' जल-निकास के लिए तैयार किया जाएगा ।

Discrimination in compensation for land acquired for constructing Gangrail Dam

7792. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons in Raipur District were paid compensation for their land acquired for constructing Gangrail Dam in Madhya Pradesh at the rate of Rs. 2500 to 4000 per acre whereas this compensation to the persons in Bastar District was paid at the rate of Rs. 800 to 900 per acre; and

(b) if so, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh have reported that persons in Raipur District have been paid compensation for their land coming under submergence of Gangrail Dam @ Rs. 2500 to 4000 per acre. Compensation has been paid to persons in Bastar District for submergence under Mahanadi Reservoir Project at rates varying from Rs. 240 per acre to a maximum of Rs. 3074 per acre. The overall average rate however worksout to Rs. 990 per acre.

The State Government have further stated that no discrimination was made in fixing the rates for compensation of land in Raipur and Bastar districts. The land compensation rates have been fixed strictly in accordance with the Act, both for land in Raipur district and Bastar district, adopting the same specified criteria.

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

7793. **डा० बापूकालदातें:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये नये सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या राज्यों द्वारा सुझाये गये नामों में से किन्हीं नामों को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी दरकटकी) :

(क) जी, हां।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पुनर्गठित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	नाम	पदनाम	प्रतिनिधि
1.	श्रीमती लीला एस० मुलगावकर	अध्यक्ष	
2.	बाद में नामित किया जाएगा	सदस्य	आन्ध्र प्रदेश
3.	बाद में नामित किया जाएगा	सदस्य	असम
4.	श्रीमती प्रेमलता राय	सदस्य	बिहार
5.	श्रीमती इन्द्रावेन दीवान	सदस्य	गुजरात
6.	श्रीमती शान्ति देवी	सदस्य	हरियाणा
7.	श्रीमती लीला टंडन	सदस्य	हिमाचल प्रदेश
8.	बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, संसद सदस्य	सदस्य	जम्मू और कश्मीर
9.	बाद में नामित किया जाएगा	सदस्य	कर्नाटक
10.	श्रीमती रत्नकला एस० मेनन	सदस्य	केरल
11.	श्रीमती उर्मिला सिंह	सदस्य	मध्य प्रदेश
12.	बाद में नामांकित किया जाएगा	सदस्य	महाराष्ट्र
13.	कुमारी स्लिवरीन स्वेर	सदस्य	मेघालय
14.	सेकमाई की श्रीमती अकील अंगल	सदस्य	मणिपुर
15.	श्रीमती आई० चुवाला	सदस्य	नागालैण्ड
16.	श्रीमती कुन्तल कुमारी आचार्य	सदस्य	उड़ीसा
17.	श्रीमती सुरेन्द्र कौर ग्रेवाल	सदस्य	पंजाब
18.	श्रीमती उजला अरोड़ा	सदस्य	राजस्थान
19.	चांकंग की काजिनी साहिबा एलिसा मारिया	सदस्य	सिक्किम
20.	श्रीमती नूरजहां रजाक	सदस्य	तमिलनाडु
21.	बाद में नामित किया जाएगा	सदस्य	त्रिपुरा
22.	श्रीमती (डा०) सत्यवती सिन्हा	सदस्य	उत्तर प्रदेश
23.	प्रो० कनक मुखर्जी	सदस्य	पश्चिम बंगाल
24.	श्रीमती गीता कृष्णेजी .	सदस्य	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
25.	श्रीमती उषा सूरी	सदस्य	चंडीगढ़
26.	श्रीमती लालश्न तलोंगी	सदस्य	मिज़ोरम

27. श्रीमती इला भट्ट	सदस्य	
28. श्रीमती देवकी जैन	सदस्य	
29. डा० (श्रीमती) राजामल देवदास	सदस्य	
30. श्रीमती रक्षा शरण	सदस्य	
31. श्रीमती ए० बहाबुद्दीन अहमद	सदस्य	
32. श्रीमती इन्द्रा मिरी	सदस्य	
33. श्रीमती कृष्णाराव	सदस्य	
34. श्रीमती आरती दत्ता	सदस्य	
35. श्रीमती अनसूया श्रीधर लिमये	सदस्य	
36. श्री जे०ए० कल्याणकृष्णन वित्त सलाहकार	सदस्य	वित्त मंत्रालय
37. श्रीमती सरला ग्रेवाल, अपर सचिव	सदस्य	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
38. श्री बी० के० शर्मा, संयुक्त सचिव	सदस्य	ग्रामीण विकास विभाग
39. श्रीमती अंजनी दयानन्द संयुक्त शिक्षा सलाहकार	सदस्य	शिक्षा विभाग
40. श्री बी०एन० बहापुर, उप सचिव	सदस्य	समाज कल्याण विभाग
41. बाद में नामित किया जाएगा	सदस्य	योजना आयोग
42. श्रीमती कमला बहुगुणा, संसद सदस्या	सदस्य	लोक सभा
43. श्री के० सूर्यनारायण, संसद सदस्य	सदस्य	लोक सभा
44. श्रीमती प्रतिभा सिंह, संसद सदस्या	सदस्य	राज्य सभा

Public Schools

†7794. **Shri Raghavji** : Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the State-wise number of public schools in India ;

(b) the number among them run by foreign missioneries ; and

(c) the member of schools among them given grants by Government and the amount of grants given annually ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) Public Schools are taken to be those schools which are members of the Indian Public Schools Conference. Throughout the country there are at present 54 schools which are members of this Conference. The State-wise break up is as under :—

Andhra Pradesh	4
Bihar	2
Gujarat	3

Himachal Pradesh	2
Haryana	2
Jammu & Kashmir	1
Karnataka	5
Kerala	1
Maharashtra	5
Mahdya Pradesh	5
Orissa	1
Punjab	3
Rajasthan	7
Tamilnadu	2
Uttar Pradesh	6
West Bengal	1
Delhi	4
TOTAL	54

(b) None.

(c) The Ministry of Education is not giving any maintenance grant to any of the public schools. However, some State Governments are giving grants to some of the public schools located within their respective territorial jurisdictions. The Moti Lal Nehru School of Sports at Rai, which is one of the 54 public schools, is a State Government institution and the entire expenditure on this school is being met by the Government of Haryana. The Military schools, which are members of the Indian Public Schools' Conference, are under the Ministry of Defence and the expenditure on them is met out of the Defence Services Estimates. As regards Sainik Schools, no recurring grants are given to the schools by the Central Government. However, ad-hoc grants are given to some of the Sainik Schools by the Scholarship sanctioning authorities for meeting certain liabilities on the construction of buildings, purchase of equipments and furniture etc.

Allotment of Houses to persons whose Jhuggis/Houses were demolished during Emergency

7795. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of Jhuggis and pucca houses demolished in Delhi during the emergency;

(b) whether Government have promised to allot houses again to poor persons;

(c) if so, the number of persons allotted houses so far indicating the number of houses allotted to them; and

(d) the future planning in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Delhi Development Authority have reported that 1,30,222 jhuggies and 5932 semi-pucca/pucca structures were demolished during the emergency. 852 evictees were allotted flats of different categories but most of the persons were allotted 25 sq. yd. plots. The Delhi Development Authority has announced a Special Housing Scheme consisting of 5328 tenements for which the persons living in J.J.R. colonies are also eligible along with others.

(d) It is proposed to resettle families removed from residential areas in their original places. Preparation of projects for Arjun Nagar and Moti Nagar is in hand. The schemes for rehabilitation of displaced families from other colonies will be taken up subsequently.

तमिलनाडु में नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम

7796. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम के बनाये जाने के बारे में जानकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने तमिलनाडु में स्थिति का मुकाबला करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां। तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में 3 अगस्त, 1976 को बनाया गया था। यह अधिनियम अधिकांशतः केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप है।

(ग) तथा (घ) मौजूदा अधिनियम को बदलने के लिए तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक, 1976 को राज्य विधानमण्डल में 28 मार्च, 1978 को पेश किया गया था। इसके ब्यौरे तभी मालूम होंगे जब इस विधेयक को राज्य विधान मण्डल द्वारा अन्तिम रूप से पारित कर दिया जायेगा। राज्य विधान मण्डल द्वारा इसे पारित करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का गिराया जाना

7797. **श्री किरित विक्रम दव बमन** : क्या निमाण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड०, क्षेत्र, नई दिल्ली में टाईप-4 के कितने क्वार्टर गिराये जा चुके हैं या गिराये जाने हैं ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में उनके स्थान पर टाईप-4 के क्वार्टर बनाये जायेंगे जिससे गिराये गये क्वार्टरों के आबंटियों को वहां पुनः क्वार्टर दिये जा सके ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) टाईप-4 के 234 मकान गिरा दिए गए हैं और 350 मकानों को गिराने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग) : डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाईप-4 के 124 मकान पहले ही बना दिए गए है और टाईप-4 के 62 मकान बन रहे हैं। टाईत-4 क्वार्टरों के दखलकारों के लिए वैकल्पिक वास की सुविधाजनक

व्यवस्था करने हेतु सरकार ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में टाईप-4 के 250 क्वार्टरों का निर्माण करने का निर्णय लिया है किन्तु चूंकि इस समय डी० आई० यू० क्षेत्र में कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है ; अतः टाईप-4 के क्वार्टरों का निर्माण कुछ अन्य इलाकों में करने की सम्भावना है।

नारियल बोर्ड

8798. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नारियल बोर्ड ऐसे राज्य में स्थापित किया जायेगा जहां नारियल का सबसे बड़ा क्षेत्र है और अधिकतम उत्पादन होता है ;

(ख) क्या बोर्ड में इस क्षेत्र और नारियल के उत्पादन के अनुसार सम्बन्धित नारियल उत्पादक राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ; और

(ग) क्या उक्त बोर्ड में सम्बन्धित राज्यों के सदस्यों को नियुक्त करते समय राज्य सरकारों से उचित परामर्श किया जायेगा।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रस्तावित नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालयों के स्थान के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) नारियल उत्पादक राज्यों को नारियल उत्पादन की दृष्टि से उनके महत्वों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(ग) बोर्ड में उनके प्रतिनिधियों को नियुक्त करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा।

मिर्जापुर (उ० प्र०) स्थित वनवासी आश्रम को प्राप्त विदेशी सहायता

7799. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर (उ० प्र०) स्थित वनवासी आश्रम को विदेशी सहायता मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तथा (ख): जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजना में जनजाति क्षेत्र विकास एजेंसी

7800. **श्री गिरधर गोमांगी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जनजाति क्षेत्र विकास एजेंसियों के लिए परियोजनायें तैयार करने को कहा है ताकि इन कार्यक्रमों को छठी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने परियोजना प्रतिवेदन उनके मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छठी योजना के दौरान आदिवासी विकास से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएं, जिनके लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय नाडल मंत्रालय है, को गृह-मंत्रालय से संबंधित आदिवासी उप-योजना के साथ समन्वित किया जाएगा।

"बायो-गैस" का घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग

7801. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बायो-गैस" का घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है और चालू वर्ष में उसके कारण अन्य ईंधनों में कितनी बचत हुई ;

(ख) इसके व्यापक उपयोग सम्बन्धी सम्भावनाएं क्या हैं ; और

(ग) ऊर्जा के इस स्त्रोत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय जैव-गैस को मुख्यत: खाना बनाने तथा प्रकाश के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रायोगिक/मार्गदर्शी आधार पर डीजल इंजिन चलाने के सिवाए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग वस्तुत: नहीं के बराबर है।

जैब गैस का प्रयोग सामान्यत: घरों में किया जाता है अत: किसी विशेष वर्ष में अन्य ईंधनों के रूप में बचत की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत देश में लगभग 58,000 जैव-गैस संयंत्र स्थापित हैं उनसे प्रतिवर्ष लगभग 8.46 लाख घन मीटर गैस पैदा होती है जो ईंधन के तौर पर 508 लाख लीटर मिट्टी के तेल के बराबर काम देती है।

(ख) औद्योगिक उपयोग में जैव-गैस के व्यापक प्रयोग की संभावना इस समय सीमित प्रतीत होती है क्योंकि न इसका आसानी से तरलीकरण हो सकता है न इसको दबाया जा सकता है। तथापि, इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

(ग) जैव-गैस को लोक प्रिय बनाने के समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें लाभानुभोगियों को केन्द्रीय साहाय्य का अनुदान (2 और 3 घन मीटर) के छोटे संयंत्रों के लिए छोटे व सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत की दर से ; समस्त आकारों के संयंत्रों के लिए अन्य कृषकों को 20 प्रतिशत की दर से ; सामुदायिक गोबर गैस संयंत्रों के लिए 33 प्रतिशत की दर से; पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत की दर से और मल पर आधारित सामदायिक संयन्त्रों के लिएं 100 प्रतिशत की दर से देना शामिल है। इन प्रयासों में राज्य स्तर पर समन्वयन समितियों की स्थापना करना ; जैव-गैस प्रौद्योगिकी में ग्रामीण कारीगरों और विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध करना ; कृषकों को प्रेरित करने के लिए दृश्य-श्रव्य तरीकों का प्रयोग करना ; और अनुसंधान तथा विकास के जरिए कम लागत के संयंत्रों का विकास करना भी शामिल है।

दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे सहकारी बैंक

7802. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न सहकारी बैंकों में अनियमितताओं और गैर-कानूनी कार्यवाहियों के बारे में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित बैंकों के प्रबन्ध के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

(1) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि०

(2) जैन सहकारी बैंक लि०

(3) दिल्ली सहकारी शहरी बैंक लि०।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि० के निदेशक मण्डल को हटा दिया गया है तथा एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

(2) जैन सहकारी बैंक लि० की सही स्थिति का पता लगाने के लिए शिकायतों के आधार पर दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अन्तर्गत वैधानिक जांच पड़ताल करने के आदेश दिए गए हैं।

(3) दिल्ली सहकारी शहरी बैंक लि० के कार्यकरण में पाई गई अनियमिताओं के आधार पर वैधानिक जांच पड़ताल शुरू की गई है।

SURPLUS EMPLOYEES IN SCHOOLS ON INTRODUCTION OF NEW SYSTEM OF EDUCATION

7803. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether after announcing new education system in Delhi, employees working in schools have been declared surplus;

(b) if so, whether Government propose to absorb them; and

(c) if Government do not propose to absorb them anywhere, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shrimati Renuka Devi Barkataki) : (a) to (c) Some posts of teachers in Delhi schools were rendered surplus as a result of introduction of the new pattern of education. However, the surplus teachers, whether working in Government or aided schools, are being adjusted against regular vacancies and none was retrenched.

गन्दी बस्ती हटाव योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन

7804. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के झण्डेवालान स्थित कार्यालय में अन्तिम तारीख 25 जनवरी, 1978 तक प्राप्त किए गए आवेदनों को न तो श्रेणीबद्ध किया गया है और न ही क्रमांकित ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजीकृत लोगों को जानकारी देने के लिए आवेदकों को खोजा नहीं जाता है है और क्या उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों में टेंनामेन्टों के आबंटन के लिए विशेष आवास स्कीम के अन्तर्गत 25-1-78 तक आवेदन पत्र मांगे गये थे। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-3-1978 तक बढ़ा दी गई थी । यह योजना 31-3-78 तक जे० जे० आर० कक्ष में थी। इस कक्ष के दिल्ली नगर निगम में स्थानातन्रण होने के कारण अब यह कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण नहीं कर रहा है। यह विज्ञापन के द्वारा अधिसूचित किया गया था कि इस योजना से सम्बन्धित कार्य का पुनर्गठन दिल्ली विकास प्राधिकरण में में 1-5-78 तक किया जायेगा । इसके बाद आवेदकों को पूछताछ का उत्तर दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंस्टीट्यूट आफ केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता के प्रिंसिपल और प्रबन्धक वर्ग के विरुद्ध की गई शिकायतें

7805. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री इंस्टीट्यूट आफ केटरिंग टैक्नोलोजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता को केन्द्रीय सहायता के बारे में 21 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और प्रबन्धक वर्ग के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में कोई विस्तृत जांत पड़ताल की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सस्था के बोर्ड आफ गवर्नज़ के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों के बारे में उन्होंने जो अब तक जांच की है उनसे प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।

संस्था के बोर्ड आफ गवर्नज़ ने संस्था के विभिन्न शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मामलों की और जांच करने के लिए दो विशेषज्ञ उप-समितियां गठित की हैं।

कृषि फार्म यंत्रीकरण समिति

7806. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है जो यह अध्ययन करेगी कि देश में कृषि फार्मों के यंत्रीकरण को किन परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है ;

(ख) यदि हां तो समिति का ब्यौरा क्या है और उसके निदेश पद का क्या है ; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने यंत्रीकृत फार्म हैं और इन फार्मों के अधीन कितना-कितना क्षेत्र है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) केन्द्रीय यान्त्रिक राज्य फार्मों का ब्यौरा नीचे दिया गए है :

क्रम सं०	फार्म का नाम	राज्य	कृषि के अन्तर्गत का क्षेत्र
1.	केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (जिसमें सरदार गढ़ भी शामिल है)	राजस्थान	10086
2.	केन्द्रीय राज्य फार्म जेतसर	राजस्थान	3094
3.	केन्द्रीय राज्य फार्म. हिसार	हरियाणा	2509
4.	केन्द्रीय राज्य फार्म लाधोवाल	पंजाब	924
5.	केन्द्रीय राज्य फार्म रायचूर	कर्नाटक	2430
6.	केन्द्रीय राज्य फार्म चेंगम	तमिलनाडु	2430
7.	केन्द्रीय राज्य फार्म कन्नानौर	केरल	2510
8.	केन्द्रीय राज्य फार्म. कोकिलावारी	असम	700
9.	केन्द्रीय राज्य फार्म बहराइच	उत्तर प्रदेश	1862
10.	केन्द्रीय राज्य फार्म. रायबरेली	उत्तर प्रदेश	120
11.	केन्द्रीय राज्य फार्म. मिजोरम (दो एककें)	मिजोरम	227

कालेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान

7807. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई यूनिवर्सिटी कालेज लाइब्रेरियनस एसोसिएशन से कालेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के बारे में दिनांक 8 नवम्बर 1977 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां. तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और कब; और

(ग) क्या संबंधित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया गया है ; यदि हां. तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) : जी हां। सरकार को देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों और कालेज पुस्तकाध्यक्षों के संघों से अनेक अभ्यावेदन मिले हैं । जिनमें अध्यापकों के समान ही उनके संशोधित वेतनमानों में समानता की मांग की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इस मामले का पुनरीक्षण हो रहा है और निर्णय होने पर सभी संबंधितों को सूचित कर दिया जाएगा।

अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्र

7808. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता से देश में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) और (ख) 120 से भी अधिक स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी अध्यापन के लिए केन्द्र खोलने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। जिन स्थानों में ये केन्द्र खोले गए हैं उनके संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गोआ में मकानों की कमी

7809. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा के कस्बों में होने वाली मकानों की भारी कमी और किराये पर मकान उपलब्ध न होने के कारण किराये की ऊंची दरों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो उक्त क्षेत्र में निम्न और मध्य वर्ग आय के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न आय समूहों के लिए अभिप्रेत विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन गोवा, दमन और दीव आवास बोर्ड के माध्यम से टेनामेंटों का निर्माण कर रहा है । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को भी ऋण दे रहा है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोआ, दमण और दीव के लिए आवास परिव्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1975-76	35.40
1976-77	41.05
1977-78 . . .	45.00

गोआ, दमण और दीव कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड भी मकान बनाने के लिए प्राइमरी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को अग्रिम ऋण देता है ।

आवास तथा नगर विकास निगम ने मारगांव स्थित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम के निष्पादन के लिए गोआ दमण और दीव आवास बोर्ड को 8.57 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है। इसके अलावा हुड्को को 17.265 लाख रुपये की लागत के निम्न आय वर्ग के 100 मकान के निर्माण के लिए गोआ, दमण और दीव आवास बोर्ड से दूसरी योजना प्राप्त हुई है। इस योजना के बारे में बातचीत चल रही ।

Damage to Crops due to floods in Yamuna during 1978

7810. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the area of cultivable land submerged by the untimely floods in the Yamuna river in March, 1978 and the extent of damage caused to the standing crops there, crop-wise; and

(b) the amount and nature of assistance provided to the cultivators affected by those floods ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) about 41.5 hectares of river land near Bela Estate in Delhi was reported to be submerged due to the sudden rise in level of the Yamuna on March 19, 1978 damaging the vegetables of an estimated value of about Rs. 2.45 lakhs grown thereon.

(b) Delhi Administration has sanctioned gratuitous relief to the tune of Rs. 11,500 for disbursement amongst 115 affected persons.

Plantation of apple and pear in Sikkim

7811. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme regarding plantation of trees of improved varieties of apple and pear in those regions of Sikkim where they are grown in abundance; and

(b) if so, the details thereof and when the same will be executed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Government of India have no such scheme.

(b) Question does not arise.

Sugarcane arrears against certain Sugar Mills in Madhya Pradesh

7812. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether sugarcane growers have not so far been paid by the 5 sugar mills, Jabra, Mahadpur, Sihor, Kailaras, Dalho and Dabra of Madhya Pradesh for the Sugarcane supplied to them in 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) if so, the factory-wise amount to be paid by them to each grower; and

(c) whether commission is demanded from the cane-growers while making them payment against their sugarcane ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) A statement showing the position of cane price arrears outstanding as on 31-3-78 against all the 6 sugar factories of Madhya Pradesh is attached.

(c) No such complaint has come to the notice of Central Government. However, a report has been called for from the State Government and the same will be placed on the Table of the Sabha as and when received.

Statement

Statement showing cane price arrars as on 31-3-1978

Name of factory	Total price due for cane purchased during 1977-78 season upto 31-3-1978	Total price paid upto 31-3-1978	Cane price outstanding as on 31-3-1978	Arears as on 31-3-78 for cane purchased during the season	
				1976-77	1975-76 and earlier.
	Lakh Rs.	Lakh Rs.	Lakh Rs.	Lakh Rs.	Lakh Rs.
Dabra . .	142-60	101.68	40.92	0.01	0.19
Dalauda	69.21	43.06	26.15	0.08	—
Mehidpur	47.26	24.03	23.23	—	—
Sehore	105.36	58.97	46.39	0.06	0.07
Jaora	102.42	62.66	39.76	0.76*	0.03*
Morena@ . .	105.80@	64.25@	41.55@	0.01@	—

* as on 22-12-1977.

@position as on 15-3-1978.

Approval of irrigation schemes for Gujarat

7813. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the postion as on 31st March, 1978 in regard to the approval on Bhadra-Rajkot major irrigation scheme and Fulzar-II, Venu-II Mitti medium irrigation schemes of Gujarat;

(b) the dates on which approval on these schemes was accorded in each case and the names of the schemes on which approval has not so far been accorded and the reasons therefor;

(c) when approval on the schemes not approval so far will be accorded; and

(d) the expenditure to be be incurred on these schemes, plan-wise and the area of land to be irrigated thereunder ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) Fulzar II medium irrigation scheme has been approved by the Planning Commission on 11th April, 1978.

The comments of the Central Water Commission in respect of Bhadra (Rajkot), Venu-II and Mitti schemes have been sent to the Government of Gujarat, replies to which are still awaited. Further action to process these schemes can be taken only after replies of the State Government are received.

(d) The cost and benefits of these schemes are given below :

Name of the Scheme.	Estimate cost. (Rs. lakhs)	Benefits (Ha.)
MAJOR		
Bhadar .	417.29	17162
MEDIUM		
Pulzar II	38.65	688
Venu II	281.92	5520
Mitti	120.711	1070

An expenditure of Rs. 31.59 lakhs was likely to be incurred on Fulzar II scheme upto the end of March, 1978. The scheme is likely to be completed by the end of 1978-79. The State Government have envisaged an outlay of Rs. 75 lakhs and Rs. 50 lakhs for Venu II and Mitti schemes respectively for 1978-79, subject to their approval by Planning Commission. No provision has been made for Bhadar (Rajkot) major irrigation scheme for 1978-79. Outlays for the subsequent years will be decided during Annual Plan discussions for those years.

पोरन्बन्दर और जूनागढ़ (गुजरात) में आउट डोर स्टेडियम के लिए सहायता

7814. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री पोरबंदर और जूनागढ़ (गुजरात) में आउटडोर स्टेडियम के लिए सहायता के बारे में 28 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1978-79 के वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य सरकार को राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पोरबंदर नगर में आउटडोर स्टेडियम के लिये 2,69,805 रु० के कुल परिव्यय में से 1 लाख रु० तथा जूनागढ़ स्टेडियम के लिये 2,60,500 रु० के कुल परिव्यय में से 1 लाख रुपये देने का है ; और

(ख) यदि हां तो इन दोनों स्टेडियम के लिए 2 लाख रु० की राशि गुजरात राज्य सरकार को कब दी जायेगी और यदि यह राशि नहीं दी जायेगी तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) इन प्रस्तावों पर प्राप्त अथवा 1978-79 के दौरान अन्य राज्य सरकारों संघ क्षेत्रों के प्रशासनों राज्य खेल परिषद् से जुलाई 1978 के अन्त तक विचारार्थ प्राप्त होने वाले ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के साथ इन परियोजनाओं के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विचार किया जाएगा । यदि अखिल भारतीय खेल परिषद् के परामर्श से सरकार द्वारा स्वीकृती दी जाती है तो इन दोनों परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए बराबरी के आधार पर सरकार की ओर से अनुमत्य अधिकतम सहायता 1 लाख रुपये होगी । इस संबंध में निर्णय वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान किया जाएगा

Low Cost Houses by HUDCO

7815. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) has formulated a scheme to construct houses costing less than Rs. 4000 in rural areas and if so, the details thereof;

(b) the cost of various types of houses proposed to be constructed;

(c) the names of agencies, which were accorded sanction upto 31st March, 1978 to construct houses under this scheme in rural areas of Gujarat; and

(d) whether HUDCO has formulated a scheme in collaboration with Hari Om Ashram Trust, Nadiad, and if so, the details thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : Yes, Sir. The details of the Scheme are as under :—

(i) It provides for construction of dwelling units for households belonging to Economically Weaker Sections.

(ii) HUDCO's financial assistance is limited to 50 per cent of the total cost of each dwelling unit. The balance has to met out of loans/subsidy by the respective State Government either in cash or kind.

(iii) The loan carries an effective rate of interest of 5 per cent per annum.

(iv) The loan is to be rapid within 10 years reckoned from the date of release of first instalment by HUDCO.

(v) Loan assistance is available to agencies nominated by State Governments.

(b) The cost of various housing units sanctioned by HUDCO so far varies from Rs. 2255 to Rs. 4000.

(c) In the State of Gujarat, three schemes of the Gujarat Rural Housing Board were sanctioned. These involve a loan amount of Rs. 87.6 lakhs for 6000 dwellings.

(d) Yes, Sir. HUDCO jointly with Hari Om Ashram Trust, Nadiad, Gujarat, announced an All India Rural Housing Competition, to demonstrate by live projects, the best designs for rural housing. The cash prizes for this Scheme are as follows:—

First Prize : Rs. 25,000
Second Prize : Rs. 15,000
Third Prize : Rs. 10,000

The competition is open to all agencies eligible to borrow loans from HUDCO for the construction of houses in rural areas.

Allocations for Water Development

†7816. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the funds allocated to Bihar during the past three years under the head Water Development;

(b) whether the entire amount was utilised; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The outlay approved for water development for 1975-76 was Rs. 170 lakhs and Rs. 200 lakhs for each of the year 1976-77 and 1977-78.

(b) and (c) : The actual expenditure during 1975-76 and 1976-77 was Rs. 200 lakhs and Rs 205 lakhs respectively. The anticipated expenditure during 1977-78 is Rs. 200 lakhs.

मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रशिक्षक प्रशिक्षण सेंटर

7817. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री कृषि विज्ञान केन्द्र के बारे में 27 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्म प्रदेश में नये कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रशिक्षक प्रशिक्षण सेन्टर स्थापित करने के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ख) उक्त केन्द्र और सेन्टरों को स्थापित करने के लिये स्थानों का चयन करने हेतु क्या कसौटी अपनाई गई और इस बारे में भारत सरकार की मंजूरी कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्य प्रदेश में नये कृषि केन्द्र स्थापित करने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दो प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए हैं, एक तो कृषि विज्ञान केन्द्र कुमाराबन्द (जगदलपुर) बस्तर जिले में और दूसरा बिन्दौरी जिला माण्डला में स्थापित करने के लिए। तीसरा प्रस्ताव भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की ओर से बनवासी धाम महाराजपुर जिला माण्डला में आदिम जाति के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए प्राप्त हुआ है । मध्य प्रदेश में प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थानों का चयन करने के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कसौटी अपनाई जाती है :—

(i) राज्य के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए जिले जिनमें छोटे किसानों, आदिम जाति तथा पिछड़े हुए वर्गों की बहुसंख्या हो ;

(ii) सूखा तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ;

(iii) पहाड़ी क्षेत्र

(iv) एक विशेष कृषि जलवायु पट्टी या क्षेत्र की सेवा करने के लिए प्रस्ताव की राज्य सरकार तथा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा त्रिधिवत सिफारिश हो ;

(v) स्थान की सिफारिश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त एक "विजिटिंग टीम" द्वारा की जाती है ;

(vi) उस क्षेत्र में उच्च उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक संभावना हो और फलस्वरूप किसानों, मछेरों, कृषकगृहणियों तथा कृषिक युवाओं के लिए प्रवीणता के प्रशीक्षण की महती आवश्यकता हों ;

(vii) ग्रामीण विकास क्षेत्र में संस्थानों/संगठनों की प्रतिस्थापित प्रतिष्ठा और स्वैच्छिक संगठनों के मामले में निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं की उपलब्धि ।

छठी योजना विधि में नये कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । नये कृषि विज्ञान केन्द्रों का अनुमोदन सरकार द्वारा छठी योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

अपने स्वयं के मकानों वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

7818. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में अपने स्वयं की मकानों वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने को बाध्य किया गया था और ऐसा न करने पर उन्हें गत तीन वर्षों में दंड दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें दण्ड दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कर्मचारियों के किरायेदारों ने मकान-मालिकों के कहने पर मकान अथवा उसके हिस्से को खाली करने से इंकार कर दिया था ;

(घ) यदि हां तो ऐसे मकान मालिको की संख्या कितनो है जिनके मकान किराएदारों द्वारा अभी भी खाली नहीं किए गए हैं; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने सरकारी आवास तो खाली कर दिए हैं परन्तु दूसरी ओर उनके निजो मकान किराएदारों द्वारा खाली नहीं किए गए हैं संरक्षण देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिन्कदर बख्त) : (क) तथा (ख) : अपने मकान वाले अधिकारियों को यह विकल्प है कि वे या तो सरकारी मकान को खाली कर दें या सरकारी मकान को बढ़ी हुई लाईसेंस फीस का भुगतान करने पर अपने दखल में रखें। किसी व्यक्ति को सरकारी मकान खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था और उन्हें दण्ड देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(घ) सही संख्या के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) सरकारी मकान के आवंटन के लिए उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। अपने मकानों को किराएदारों से खाली करवाने के लिए अधिकारी, किराया नियंत्रण अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में विद्यमान स्थिति

7820. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1978 के 'नेशनल हैरल्ड' में 'रिसैटलमैंट कोलोनीस आल इन बैंड शेप शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 28-3-78 के नेशनल हैरल्ड में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है । तथापि, 30-3-78 के नेशनल हैरल्ड में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : 17-3-78 से 16-4-78 तक सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पुनर्वास कालोनियों में सफाई के काम पर असर पड़ा था। हड़ताल के दौरान अन्य सफाई कर्मचारी लगाकर सफाई करवाने और कूड़ा-करकट हटाने के प्रयास किए गए थे। हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद जमा हुए कूड़ा कर्कट को हटाने और सामान्य स्थिति बहाल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति काफी सुधर गई है ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

7821. **श्री प्रद्युमन बल :**
श्री पदमाचरण सामन्त :
सिंहेरा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में किन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्विति हेतु स्वीकृति दे दी है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार अभी उन पर विचार कर रही है ;

(ख) इन सभी परियोजनाओं पर कुल कितनी पूंजी लगेगी; और

(ग) इन परियोजनाओं की लागत में कौन अंशदान करेगा और कितना करेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग द्वारा पांचवीं योजना अवधि के दौरान तीन वृहद सिंचाई परियोजनाएं नामशः अपर कोलाब, रैंगाली और महानदी बराज स्वीकृत की जा चुकी है। जो बृहद परियोजनाएं अभी भी स्वीकृति के लिए पैंडिंग पड़ी हैं वे हैं अपर इन्द्रावती, बाध, भीमकुंड और बड़ा नाला ।

(ख) इन सातों परियोजनाओं (सिंचाई भाग) को अनुमानित लागत 424.67 करोड़ रुपये है ।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं को वित्त व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी विशिष्ट सैक्टर अथवा परियोजना के साथ जुड़ी नहीं होती ।

Research in respect of places of Historical and Archaeological importance in Tirhut and Darbhanga District

7822. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to sate :

(a) whether Mithila has been an important seat of Indian Culture from Vedic-upanished age to Ramayana-Mahabharata age and from Buddha-Jain age to medieval age;

(b) whether there are still places of ancient, mythological and historical importance which had been places of traditional worship and reverence the rules of which can still prove to be of historical importance ;

(c) whether Government consider it desirable to encourage research by research institutions and scholars in respect of places of historical and archaeological importance in Tirhut and Darbhanga Divisions and Kosi region; and

(d) whether any application in this connection has been received from Universities and other educational institutions; and if so, the reaction of Government hereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) : Yes, Sir.

(d) Besides other districts, Patna University, Patna, applied to explore Muzzafarpur, Vaishali and Sitamarhi in Tirhut division. Since these districts are already being partially explored under village to village survey scheme of the Archaeological Survey of India, the said University has been asked to take up explorations in Districts Gaya and Jahanabad.

Rare Sanskrit Books

†7823. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Educatiion, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether several rare Sanskrit Books published under Kakmala series by the Nirnayasagar Yantralaya (Bombay) are not available now;

(b) whether Government propose to have the above books reprinted through Sanskrit Universities and Research Centres; and

(c) if so, when and how; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) to (c) The Government are not aware of non-availability of books published under Kakmala Series by the Nirnayasagar Yantralaya (Bombay). The Government will, however, duly consider any proposal received for the reprinting of these rare Sanskrit books under the scheme of 'Reprinting of out-of-print Sanskrit books'.

CentralAssistance to States for construction of hostels for women

7824. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are implementing a scheme of providing assistance to the States for construction of hostels for the facility of working women;

(b) State-wise amount of the assistance given therefor in 1977-78; and

(c) the percentage of the assistance given to Bihar and the names of the places in Bihar where hostels are being constructed ?

Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) The Government of India has a scheme for assistance to Voluntary Organisations for the construction of working Women's hostels.

(b) During 1977-78, a sum of Rs. 120.63 lakhs was released under the scheme. Its Statewise break up is given in the Annexure.

(c) No amount was released in the year 1977-78 for any hostel construction in Bihar. However, a grant of 3.69 lakhs was sanctioned in January, 1978 for a hostel to be constructed by the All India Women's Conference at Jamshedpur. One other hostel for Bihar which was sanctioned in 1974-75 and which is now functioning, is located at Patna.

Statement

Sl. No.	Name of State/U.T.	Amount released to Voluntary Organisations for working women's hostels in the States/ U.T. durking the years 1977-78
1	2	3
		(Rs. in lakhs).
1.	Andhra Pradesh	5.49
2.	Assam	1.40
3.	Gujarat	7.21
4.	Jammu & Kashmir	1.82
5.	Karnataka	15.66
6.	Kerala	8.37
7.	Madhya Pradesh	12.16
8.	Maharashtra	8.31
9.	Manipur	1.15
10.	Orissa	0.70
11.	Punjab	16.21
12.	Rajasthan	1.80
13.	Sikkim	2.64
14.	Tamil Nadu	6.55
15.	Tripura	0.31
16.	Uttar Pradesh	6.70
17.	West Bengal	2.03
	UNION TERRITORIES	
18.	Andaman & Nicobar Islands	0.02
19.	Chandigarh	4.96
20.	Delhi	13.54
21.	Goa, Daman & Diu	0.85
22.	Mizoram	0.75
	TOTAL	120.63

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोंडा (यमुनापुरी) के ब्लाक बी 5 दिल्ली में प्लाटों का आबंटन

7825. श्री चतुर्भुज : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्रुत कार्यक्रम के अधीन घोंडा (यमुना-पुरी, के ब्लाक बी/5 में 290 प्लाटों का आवंटन किया गया था ;

(ख) क्या ये प्लाट अभी तक अविकसित पड़े हुए हैं और इस भूमि के कुछ हिस्से पर किसानों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया था और खेती कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भूमि को खाली कराने और इसका विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) अलाटियों को इन प्लाटों का वास्तविक कब्जा कब तक दिया जाएगा।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विका प्राधिकरण द्वारा केवल 124 प्लाटों का आबंटन किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचना दी है कि भूमि के अर्जन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में रोक आदेश हटा लिए हैं। जब इस भूमि के एक भाग पर खड़ी फसल को काट दिया जायेगा तो भूमि के वास्तविक पूर्ण कब्जे को लेना संभव हो जायेगा। इसी बीच कुछ विकासात्मक कार्य शुरू किए जा चुके हैं तथा कुछ की योजना बनाई जा रही है। जैसे ही यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी जायेगी, प्लाटों का वास्तविक कब्जा उनके आबंटियों को दे दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम बरेली के जिला मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

7826. श्री एस० आर० यामणी: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 मार्च, 1978 के 'टाइम्स आफ इंदिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम, बरेली के जिला मैनेजर राशन की दुकान के विक्रेताओं को सप्लाई में विलम्ब करके अव्यवस्थित स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने और उन अधिकारियों के विरुद्ध, यदि उनकी ओर से ड्यूटी में पर्याप्त लापरवाही की गई है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) तक :— भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि मार्च, 1978 के शुरू में उन्होंने बरेली डिपो का सिटी यूनिट बन्द कर देने का निर्णय किया था क्योंकि इसे भण्डारण के लिए अनुपयुक्त समझा गया था तब से इसी यूनिट से उचित दर की दुकानों को गेंहूं और चीनी दी जा रही थी। इससे बरेली की उचित दर की दुकानों के दुकानदार परेशान हो गये और उन्होंने 22-3-1978 को आन्दोलन शुरू कर दिया और यहां तक कि कलटरबकगंज के वैकल्पिक डिपो में खाद्यान्नों के ट्रकों के प्रवेश को भी जबरदस्ती रोका। इस घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर लखनऊ के भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को तुरन्त बरेली भेजा गया जिन्होंने स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से 23-3-1978 को निकटवर्ती डिपों से स्टाक की व्यवस्था की और कुछ दिन के लिए सिटी यूनिट से उचित दर की दुकानों को सप्लाई बहाल की ताकि होली के त्यौहार के दौरान उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा सके।

सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए नियत की गई राशि

7827 **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्षों में दिल्ली तथा अन्य राज्यों की राजधानियों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु कितनी राशि नियत की गई है और यह निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के क्वार्टरों के लिए दी गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन निधियों में जहां कहीं आवश्यक हो भू-अर्जन की भी व्यवस्था है। वर्ष 1979-80 में दी जाने वाली राशि का पता केवल तभी लग सकता है जब आगामी वर्ष का बजट पेश किया जाएगा तथा पास कर दिया जाएगा। तथापि इस मंत्रालय का प्रस्ताव है कि वर्ष 1979-80 में कम से कम 1834.66 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, चण्डीगढ़ और शिमला में क्वार्टर पहले ही निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1978-79 के दौरान 22,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी देने का प्रस्ताव है जिसमें 16,000 मकान दिल्ली में, 2600 बम्बई में, 2000 कलकत्ता में, हैदराबाद में 500 और बंगलौर, मद्रास व चण्डीगढ़ प्रत्येक शहर में 300 मकान बनाये जाने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में जगह चुनी जा रही है जिसके बाद सरकार द्वारा प्राक्कलन तैयार किए जायेंगे और मंजूरी दी जायेगी। गोहाटी, शिलांग अगरतला इम्फाल और कोहिमा में भू-अर्जन के लिए कार्यवाही की गई है तथा भूमि अर्जित किए जाने के बाद क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

विवरण

शहर का नाम	वर्ष 1978-79 में दी गई राशि
	(लाख रुपयों में)
दिल्ली	929.85
बम्बई	316.11
कलकत्ता	429.00
मद्रास	35.00
बंगलौर	31.50
चण्डीगढ़	44.00
शिमला	22.20
हैदराबाद	15.00
गोहाटी	2.00
शिलांग	2.00
अगरतला	2.00
इम्फाल	2.00
कोहिमा	2.00
पोर्ट ब्लौयर	2.00
कुल :	1834.66

दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले की जांच

7828. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापकों ने विज़िटरों को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सामान्यता विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने और विशेषकर इतिहास तथा दर्शन विभागों की जांच कराने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) सामान्य रूप से समूचे देश के बीच के विश्वविद्यालयों में और विशेषकर इस विश्वविद्यालय में आन्तरिक राजनीति का कहां तक हाथ है; और

(घ) सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है जिससे विश्वविद्यालयों को उचित ढंग से और उच्च वातावरण में चलाया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के कार्य काल के दौरान इतिहास तथा दर्शन शास्त्र के विभागों में शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के मामले में अनियमितताओं के आरोप तथा शैक्षिक कारणों को छोड़ कर अन्य कारणों से एक अनावश्यक पद पर उनकी प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के आरोप शामिल हैं। इसमें कुछ विद्यार्थियों के अंकों तथा पी० एच० डी० शोध निबन्ध के लिए परीक्षकों की नामिका में हेराफेरी, व्यक्तिगत कारणों से कुछ पात्र व्यक्तियों पर अत्याचार इत्यादि के आरोप भी हैं।

(ग) आन्तरिक राजनीति किसी विश्वविद्यालय विशेष को कहां तक खराब कर रही है इस बात का न तो मूल्यांकन ही संभव है और न ही इसे बताना।

(घ) विश्वविद्यालय स्वायत निकाय हैं तथा अपने-अपने अधिनियमों तथा संविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रशासित होते हैं। तथापि, संबंधित अधिनियमों तथा संविधियों का संशोधन, जब कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिससे ऐसे संशोधन आवश्यक हो जाएं, केन्द्र/राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र का वास्तविक सर्वेक्षण-कार्य

7829. **श्री के० ए० राजन**: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की यमुनापार क्षेत्र की (एक) लक्ष्मी नगर (दो) शक्करपुर और (तीन) पांडव नगर की कलोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में वास्तविक सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया जाएगा;

(ग) इस सर्वेक्षण-कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) वर्ष 1978-79 के दौरान उपरोक्त कालोनियों के प्रत्येक क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) :

विकास नक्शे तैयार करने के लिए लक्ष्मी नगर, शकरपुर तथा पाण्डवनगर का वास्तविक सर्वेक्षण एक महीने में शुरु करने की सम्भावना है । तत्पश्चात इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 महीने लग सकते हैं।

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Purchase of Machines by National Centre of Blind, Dehra Dun during its closure

7830. **Shri Nawal Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite closure of many units of the National Centre for the Blind, Dehra Dun, during the years 1969 to 1976, machines were continued to be purchased; and

(b) the justification for procurement of these machines during the above period and circumstances ?

The Minister of State in the Ministry of Educatiion, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

एम० एवन्यू, विनय नगर, नई दिल्ली में एक मन्दिर का गिराया जाना

7831. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ऐन्यू, विनय नगर, नई दिल्ली में 29 जुलाई, 1975 को भगवान महावीर और शिव का मन्दिर तथा श्री लक्ष्मीकान्त झा निवास स्थान गिरा दिए गए थे;

(ख) क्या 6 जनवरी, 1978 के दिल्ली पुलिस ने दोबारा मन्दिर के एक मकान को गिरा दिया गया था और मन्दिर को इस प्रकार घेर दिया था कि इसमें प्रवेश का रास्ता वस्तुतः बन्द हो गया था ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

(ग) श्री लक्ष्मी कान्त झा को उनकी रिहायशी तथा धार्मिक संरचना, जो अनधिकृत थी, के बदले में, खानपुर जे० जे० कोलोनी में वैकल्पिक प्लाट का आबंटन करने के लिये डिमोलीशन स्लिप जारी की गई थी।

विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

7822. **श्री प्रद्युमन बल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमेन रिसोर्सेस डिवेलपमेंट) ने देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में और वृद्धि न करने के लिये सावधान किया है और राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिये पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार की निन्दा की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां। इस आशय की रिपोर्ट समाचार पत्र में छपी है।

(ख) सरकार पांचवीं योजना से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं की गैर-योजनाबद्ध वृद्धि का विरोध करती आ रही है। छठी योजना में पहले ही यह निर्णय किया जा चुका है कि उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक स्कूल पाठ्य-पुस्तकों का संबंध है, रा०शै० अ०प्र० परिषद् केवल ऐसी आदर्श पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करती है जिन्हें अपनाने/अनुकूलन के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं। अतः यह कहना कि स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में रा०शै०अनु०प्र० परिषद् का कोई एकाधिकार है, सही नहीं है।

Religious Institutions on Unauthorised Lands

7833. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be ppleased to state :

(a) the number of mosques, tombs, temples, gurudwaras in Delhi constructed on unauthorised lands along with the names of places where they have been constructed and the period for which they have been in existence ;

(b) whether the present trustees of such places of worship do not possess proofs, such as registration deeds, etc. and their 'maulavis', 'mahants' etc. have changed, but their proofs are available in official records; and

(c) if so, whether action will be taken to regularise all such temples, gurudwaras, mosques etc.

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation(Shri Sikander Bakht) : (a) According to survey conducted in 1976 of the area then under the control of the Land and Development Office, there were 267 unauthorised religious shrines The Delhi Development Authority have reported the existence of 344 encroachments and the New Delhi Municipal Committee 41. There have been subsequent encroachments as well. It would need a comprehensive survey to ascertain the exact magnitude of the problem of unauthorised construction on public land by religious shrines. It will not be possible to verify with exactitude the period of their existence.

(b) At the time of allotment of land, applications are invited from the Associations/Trusts administering religious shrines. It is for them to prove that they are registered Associations/Trusts. In any case, verifications of their antecedents would be done only when it is decided to allot land to a particular Association/Trust.

(c) A Committee has been set up consisting of representatives of Government organisations, local bodies, religious institutions, etc. for making recommendations for removal/regularisation of unauthorised encroachments on public land by religious shrines. Further action will depend upon the recommendations of this Committee and merits of each case.

Drought Prone Area Programme

7834. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Tehsils of each State covered under D.P.A.P. Scheme after 1972 and when these were covered under the said scheme ;

(b) Government's policy in regard to inclusion of new Tehsils in the D.P.A.P. Scheme and what norms have been fixed in this regard ;

(c) whether drought and famine prone Tehsils have not been covered under D.P.A.P. scheme and if so, whether Government propose to cover them under the said scheme ; and

(d) if not, the reasons therefor and whether famine affected Tehsils are likely to be provided with some sort of assistance and the steps proposed to be taken by Government for their development like other places ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No new Tehsil was covered under D.P.A.P. after 1972.

(b) to (d) : On the basis the Report brought out in 1973 by the Task Force on Integrated Rural Development set up by the Planning Commission a policy decision has been taken that no new areas would be included under D.P.A.P. during the Fifth Plan. Areas has been selected earlier for inclusion under D.P.A.P. in consultation with State Governments, based on objective criteria like frequent occurrence of droughts, low and erratic rainfall and low extent of irrigation. Any block, considered famine affected by the State Government, can be taken up under the new programme for intensive development of selected blocks, launched from the current year, which will have the components of special programme like Small Farmers' Development Agency, Drought Prone Areas Programme and Command Area Development Programme.

Funds for Residential Land for Advvasis in Gujarat

7835. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Works and Housing and Supplyyyy and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the district-wise number of Adivasis and Harijans who asked for residential land in the Gujarat State from 1972 to 1977 and the number, out of them, who were provided with the same;

(b) the time by which the remaining ones will get the land for the purpose and the details of the concrete steps being taken by Government in this regard;

(c) the funds demanded by Gujarat Government for the purchase of land for these people, the amount given so far and when the remaining amount will be given; and

(d) whether Government propose to grant long-term loans to the people for the construction of houses from the nationalised banks and if so, the details thereof ?

The Minister of Works and Housing and Suppply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) According to the information received from the Government of Gujarat, the number of rural landless persons including Adivasis and Harijans eligible for allotment of house-sites in the State is about 4 lakhs. Separate estimate for landless Adivasis and Harijans is not available with the State Government. Out of about 4 lakh eligible persons, 3,34,200 persons including 1,65,250 Adivasis and Harijans have been provided with house-sites.

(b) The remaining persons will be covered in coming years as the Scheme will continue under the National Programme of Minimum Needs.

(c) This Ministry has not received any such request from the State Government. However, funds for implementation of the Scheme are specifically earmarked by the Planning Commission in the Annual Plan Outlays of the State Governments/Union Territories Administration. The outlay is expected to be used for acquisition of land, wherever necessary, and for development of house-sites.

(d) The State Government have arranged long-term loans from nationalised banks at the rate of Rs. 1,000 per landless family. A sum of Rs. 1.02 crores has been sanctioned by the nationalised banks so far to landless families who have been allotted house-sites.

साउथ अरकोट धर्मपुरी में आटा मिल की स्थापना

7836. **श्री जी० भुवारहन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मपुरी जिले में साउथ अरकोट जिले में जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, आटा मिल आरंभ करने के लिये लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस प्रकार का उद्योग आरम्भ करने के लिये क्या नियम हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) साउथ अरकोट और धर्मपुरी जिलों में पलोर मिल लगाने के लिए लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और न ही ऐसा लाइसेंस जारी करने के लिए कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है। रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग में नये यूनिटों की स्थापना या मौजूदा यूनिटों में विस्तार पर फरवरी, 1973 में इसलिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया था क्योंकि उस समय गेहूं सप्लाई की स्थिति कठिन थी और समूची लाइसेंसशुदा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था। यह प्रतिबन्ध जारी है। तथापि, मौजूदा सुगम उपलब्धता स्थिति और क्षमता के उपयोग के संदर्भ में प्रतिबन्ध हटाने/ढील देने के प्रश्न की समीक्षा की गई है।

पैर और मुख रोग के लिये टीके का निर्माण

7837. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैर और मुख रोग के लिये टीके का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त टीके के लिये निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय संस्थाओं में भी उक्त टीके की जानकारी उपलब्ध है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) फर्मों के नाम व उनकी अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार है :

1. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	80 लाख मोनोवलेन्ट खुराकें
2. होचेस्ट फार्मास्युटिकल प्रा० लि०	100 लाख चतुर्योजक खुराकें
3. भारतीय कृषि उद्योग फाऊन्डेशन प्रा०लि०	32 लाख चतुर्योजक खुराकें

(ख) कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए ।

(ग) खुर पका मुंह पका रोग के टीके के निर्माण के लिए तीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है अर्थात् (1) फ्रेन्कल पद्धति; मोनोलयर टीशू कल्चर पद्धति और (3) कोश तिलम्बन कल्चर पद्धति। प्रथम दो पद्धतियों के लिए तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है। कोश निलम्बन पद्धति का देश में मानकीकरण हो रहा है ।

उर्दू के बारे में गुजराल समिति

7838. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्दू का प्रसार करने के बारे में गुजराल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय लेने के बाद ही मुख्य सिफारिशों पर कार्रवाई करने का प्रश्न उठेगा ।

Dam Construction Scheme pending with Government

†7830. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise names of major dam construction schemes pending with the Central Government for approval and when the Central Government received Jamne Orchha Hydel dam scheme for Tikamgarh district in Madhya Pradesh for approval ;

(b) when Jamne Orchha hydel scheme will be approved and the estimated cost involved therein; and

(c) whether it is a fact that fertile land any big village will not be submerged as a result of the construction of this dam ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A statement [placed in library See No. L.T.—2174/78] indicating names of major dam construction schemes under scrutiny of the Central Government is attached. Out of 90 projects comments on 22 have been sent to State Government while the remaining 68 projects are in various stages of scrutiny.

The Department of Power who deal with single purpose hydro-electric schemes have reported that the Jamne Orchha Hydel dam scheme for Tikamgarh, District in Madhya Pradesh has so far not been received by the Central Electricity Authority from the Government of Madhya Pradesh.

(b) & (c) Do not arise.

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी जंगपुरा, नई दिल्ली

7840. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी की स्थापना कब हुई थी और इस फेक्टरी में कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या इसकी स्थापना के समय से ही इस हाउसिंग फैक्ट्री को घाटा हो रहा है, यदि हां, तो अब तक इसे कितना घाटा हुआ है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या इस फैक्ट्री में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और यदि हां, तो वर्तमान कर्मचारियों का और अधिक लाभप्रद उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, जिसे अब हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड कहते हैं, अगस्त, 1955 में पूर्ण रूपेण वर्तमान सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित की गई थी। सरकार ने अब तक 56.99 लाख रुपये साम्य पूंजी के रूप में खर्च किए हैं।

(ख) जी, नहीं। इस हाउसिंग फैक्टरी ने अगस्त, 1955 में अपनी स्थापना से ही लाभ कमाया है तथा वर्ष 1973-74 तक लाभ में चलती रही। वर्ष 1974-75 में यह घाटे में चलने लगी। वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में क्रमशः 39.84 लाख, 36.13 लाख रुपये तथा 64.51 लाख रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 1977-78 में 71 लाख रुपये के घाटे का अनुमान है। कुल घाटा 31 मार्च, 1978 तक संचित निधि निकालने पर 173.08 लाख रुपये होगा।

(ग) घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जो कि एक प्रमुख खरीददार था, वित्तीय कठिनाई के कारण बिजली के खम्बों की खरीद निलम्बित कर दी जिसके लिए इसने 2.6 करोड़ रुपये का आदेश दिया था।

(2) उपर्युक्त आदेश के निलम्बन के फलस्वरूप विलयन किए जा सकने वाले उपरि प्रभारों के कारण तथा पंच निर्णय के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंहगाई भत्ते की दर के साथ जोड़ देने से फैक्टरी के उत्पादन की कीमत बढ़ी।

इस मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है कि वे कंक्रीट के स्लीपरों के लिए उपयुक्त दरों पर आर्डर दें। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने भी सरकार तथा प्रबंधकों के परामर्श से विद्युत खम्बों को लेना आरम्भ कर दिया है। इस फैक्टरी के लिए उपयुक्त तथा मितव्ययी उत्पादन लाइन ढूंढने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। फैक्टरी के उत्पादन में हाल ही में कुछ सुधार हुआ है। और अधिक आर्डर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि फालतू श्रमिक आदि के कारण बढ़े हुए ऊपरि प्रभारों को पूर्ण रूपेण आत्मसात किया जा सके।

(घ) कारोबार में मन्दी के कारण कुशल व अकुशल श्रेणी के लगभग 219 कामगर फालतू हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रेलवे स्लीपरों, बिजली के खम्बों तथा चैनल यूनिटों आदि के काफी आर्डरों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि बेकार बैठे श्रमिकों को पूर्ण रूपेण इसमें खपाया जा सके ।

Variation in the cost price of DDA flats in Ashok Vihar, New Delhi Phase-II

7841. **Shri Daya Ram Shakyya :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the price fixed of the MIG flats constructed by the Delhi Development Authority under the Ashok Vihar Phase II ;

(b) whether their price has been fixed higher than that charged for the Middle Income Group in the same area allotted in the beginning there; and

(c) if so, the reasons for the difference in prices of same type of quarters in the same area ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Presumably the reference is to Ashok Vihar Phase III. The disposal cost of 114 flats was Rs. 55,400 to Rs. 61 900 and that of 180 flats was Rs. 59,000 to Rs. 66,200 in Phase III.

(b) Yes Sir.

(c) Differences in construction cost and plinth area.

Scheme for purchase of crops breed cows on loans basis

†7842. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme to enable the poor people in the rural areas to purchase cross breed cows whose annual milk yield is 2000 litres, by offering them loans and raise the loans from them in the form of milk;

(b) whether as a result of this scheme, the hundreds of cows can be saved from being slaughtere dand their breed can be changed and Government can effectively enforce the ban on cow slaughter also; and

(c) if answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative the number of cross breed cows in the country at present and the steps being taken by Government for their distribution ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) There is no proposal at present to advance loans to rural poor for purchasing cross-bred cows yielding 2000 litres of milk annually and to recover the loan in the form of milk.

(b) In view of (a) above, it is not applicable.

(c) Answers to parts (a) and (b) above, being in the negative, the question does not arise. According to an estimate (Report of Working Group on Animal Husbandry, Dairying and Milk Supply, 1973) nearly 2.5—3.0 million cross-bred cows would be available in the country by 1978-79.

Uniform Tax Policy fo rth allottees of DDA flats at Munirka

7843. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be please dto state :

(a) whether the Munrika Residents Welfare Association has requested the Delhi Municipal Corporation to adopt a uniform house tax policy in respect of Middle and Low Income Group flats constructed by D.D.A.; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the present criteria on the basis of which the house tax policy is formulated ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is receiving attention and a decision will be taken shortly. The criteria for assessing the self-occupied properties which have never been let out in the past and where assessments are being made for the first time, is on the basis of 8-5/8 per cent of the aggregate amount of reasonable cost of construction and the market price of land comprised in the premises on the date of commencement of construction. In the case of D.D.A. flats, it is 8-5/8 per cent of the price paid by the allottees to the D.D.A.

स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम

7844. **श्री अमृत कासर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक स्नातक विश्वविद्यालयों में सीधे प्रवेश और पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) भारत में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम हैं;

(ग) इस समय उक्त पत्राचार पाठ्यक्रम किन-किन विषयों में चलाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों में और अधिक विषय शामिल करने का है जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने में सहायता मिल सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला, विश्वविद्यालयों और कालेजों में कुल दाखिले का लगभग 10 प्रतिशत है।

(ख) आठ विश्वविद्यालय और एक समझा जाने वाला विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर जिन विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं वे हैं :
वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, फ्रेंच, रूसी और जर्मन जैसी भाषाएं।

(घ) इस मामले पर विश्वविद्यालयों द्वारा निर्णय किया जाना है। तथापि, जब कभी विश्वविद्यालयों द्वारा, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में बिजली और पानी की खपत के गलत बिल बनाया जाना

7845. **श्री माधवराव सिंधिया**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली और पानी की खपत के गलत बिल बनाये जाने के बारे में विट्ठलभाई पटेल हाउस रफी मार्ग, नई दिल्ली के निवासी सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) विट्ठलभाई पटेल हाउस में दो और एक कमरों वाले सेट में बिजली और पानी की औसत खपत क्या है;

(ग) क्या सदस्यों को साउथ एवैन्यू और मीना बाग जैसे बस्तियों की तुलना में विट्ठलभाई पटेल हाउस के बिजली और पानी के बिल बहुत अधिक बनते हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सही मीटर रीडिंग देने और बिलों में उचित शुल्क लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1977-78 के बिजली प्रभारों के बारे में निवासी सदस्यों से पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) मीटर के किराये सहित प्रतिमास औसत खपत निम्नलिखित हैं :—

	इकहरे सूट	दोहरे सूट
जल	9.70 रुपये	10.90 रुपये

बिजली : प्रत्येक सूट में इस्तेमाल किए जाने वाले उपस्करों के अनुसार बिजली प्रभार अलग अलग होते हैं।

(ग) से (ङ) विट्ठलभाई पटेल हाउस में बिजली की खपत के लिए प्रभार 29 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूल किए जा रहे हैं जबकि साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू तथा मीनाबाग जैसे अन्य कालोनियों में 27 पैसे प्रति यूनिट की दर पर वसूल किये जा रहे हैं। इस समय वसूल की जा रही 29 पैसे प्रति यूनिट की दर को घटाकर 27 पैसे प्रति यूनिट करने का मामला नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है जिन्होंने उप राज्यपाल को प्रस्ताव पेश कर दिया है। विट्ठलभाई पटेल हाउस के दखलकारों से जल के प्रभारों की वसूली सीधे नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उन्हीं दरों पर की जाती है जिन दरों पर अन्य स्थानों के दखलकारों से की जाती है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रावी और ब्यास नदियों के जल का उपयोग

7846. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा पानी छोड़ने का ब्यौरा क्या है और 1960 की "इंडस" जल सन्धि के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रावी और व्यास नदियों के जल का अलग-अलग कितना उपयोग किया गया; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ब्यास नदी पर तलवाड़ा बांध के निर्माण के बाद राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को सिंचाई के लिये स्टोर किये गये जल की अलग-अलग कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सिंधु जल संधि, 1960 में की गई व्यवस्था के अनुसार 31 मार्च, 1970 को संक्रमण अवधि की समाप्ति पर रावी और व्यास के जल का पूरा प्रवाह भारत को किसी प्रतिबंध के बिना प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गया था। इन दोनों नदियों का कुल वार्षिक औसत प्रवाह लगभग 19 मिलियन एकड़ फुट है, जिसमें से भारत उपर्युक्त संक्रमण अवधि के अन्त में औसत रूप से लगभग 9.5 मिलियन एकड़ फुट पानी का समुपयोजन कर रहा था। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दो नदियों के लगभग जितने जल का समुपयोजन किया गया उसके आंकड़े मिलियन एकड़ फुट में नीचे दिए गये हैं :—

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	राजस्थान	पंजाब	हरियाणा*
1974-75	5.483	5.557	0.980
1975-76	6.108	5.487	0.977
1976-77	6.220	5.136	1.028

*भूतपूर्व सरहिंद फीडर से भाखड़ा क्षेत्रों में रावी-व्यास के जल के उपयोग के बदले भाखड़ा में संचित और प्रयुक्त जल का हिस्सा।

रावी और व्यास के पानी का समपयोजन इकट्ठा होता है और नदी वार तथा संचित और मुक्त प्रवाह की सप्लाई के बारे में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Major and medium Irrigation Projects in Loss

†7847. **Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether he is aware that major and medium irrigation projects in each State are running in loss ;

(b) if so, the amount of loss suffered in each State during the financial year 1977-78 and the State-wise estimated loss to be suffered during the financial year 1978-79;

(c) the causes of the loss in various States; and

(d) whether Government have under consideration any proposal to ensure that loss is not suffered and it is reduced ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) The latest information available, regarding the State-wise losses for 1976-77 incurred on multipurpose river valley projects is attached.

(c) The main reasons for low revenues to the State Governments which are not adequate to meet the financial burden of the irrigation projects are as follows :—

1. Low water rates being charged by the State Governments.
2. Non-recovery of betterment levy by several States where betterment levy act has been enacted.
3. Longer gestation period taken by the irrigation projects for completition due to several reasons.
4. Lag in the utilisation of irrigation potential created.
5. Substantial increase in the cost of construction and maintenance.

(d) Irrigation is a State subject and water rates for irrigation supplies are fixed by the State Governments. These vary from State to State and in some cases even from project to project in the same State. The rates charged at present are not adequate to meet the total working expenses and interest charges. The question of increasing and rationalising the water rates has been considered at a number of Conferences and Meetings. The State Governments have been requested to set-up Inter-Departmental Water Rates Review Boards to evolve a rational rates structure keeping in view the socio-economic objectives.

Statement

State-wise break-up of losses on Commercial and Non-Commercial Irrigation Works and Multi-purpose River Valley Projects in 1976-77.

(Rs. Crores)

Sl. No.	Name of State.	Losses on Irrigation Works in 1976-77		
		Irrigation Commercial	Irrigation Non-Commercial	Total
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	31.47	—	31.47
2.	Assam	—	1.28	0.28
3.	Bihar	10.25	—	10.25
4.	Gujarat.	22.01	—	22.01
5.	Haryana	14.33	0.46	14.79
6.	Himachal Pradesh	—	—	—
7.	Jammu & Kashmir.	0.90	0.42	1.32
8.	Karnataka	19.08	0.92	20.00
9.	Kerala	3.30	—	3.30
10.	Madhya Pradesh	15.98	—	15.98
11.	Maharashtra	22.76	—	22.76
12.	Manipur	—	—	—
13.	Meghalaya	—	—	—
14.	Nagaland	—	—	—
15.	Orissa	6.10	2.15	8.25
16.	Punjab	7.55	—	7.55
17.	Rajasthan	15.49	2.98	18.47
18.	Sikkim	—	—	N.A.
19.	Tamil Nadu	8.83	1.78	10.61
20.	Tripura	—	0.22	0.22
21.	Uttar Pradesh	40.36	0.02*	40.34
22.	West Bengal	16.64	—	16.64
	TOTAL STATES	235.05	9.19	244.24

*indicates profit.

राष्ट्रीय नेत्रहीन-केन्द्र के एक अधिकारी को नेहरू-सोवियत लैण्ड पुरस्कार

7845. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री मनोहरलाल :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी लेखकों की पुस्तकों के ब्रेल लिपि में अनुवाद तथा प्रकाशन के लिये राष्ट्रीय नेत्रहीन केन्द्र के एक अधिकारी को नेहरु सोवियत लैण्ड पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों के नाम क्या हैं जिनका लेखक ने रुसी भाषा से भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया हैं ;

(ग) उन भारतीय भाषाओं के नाम क्या हैं जिनमें ये पुस्तकें प्रकाशित हुई ;

(घ) ब्रेल लिपि के भारतीय प्रकाशकों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या प्रकाशन लागत सरकार ने वहन की थी।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) से (ङ) दृष्टिहीनार्थ राष्ट्रीय केन्द्र के ब्रेल सम्पादक, जो सरकारी कर्मचारी हैं, को सोवियत लैंड नेहरु पुरस्कार दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उनको सरकार की ओर से औपचारिक अनुज्ञा अभी नहीं दी गई है। सरकार को ब्रेल सम्पादक द्वारा किसी पुस्तक को रुसी भाषा से भारतीय भाषाओं में अनुवाद किये जाने की कोई जानकारी नहीं है। दृष्टिहीनार्थ राष्ट्रीय केन्द्र के एक यूनिट, केन्द्रीय ब्रेल प्रेस ने दिसम्बर, 1968 में माइकेल शोलोखोव द्वारा रचित "एण्ड क्वाइट फ्लोऊज दि डांन" रुसी गौरवग्रंथ का श्री रामवृक्ष बनीपुरी का हिन्दी संस्करण "डांन के किनारे" को ब्रेल लिपि में तैयार किया था। ब्रेल संस्करण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी।

कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल

7849. **श्री वी० पी० मण्डल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) कुल कितने क्षेत्र पर वास्तविक रूप से खेती होती है और उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) कृषि योग्य, कुल कितनी भूमि बंजर पड़ी है और उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) इस समय कुल कितना क्षेत्र नहर सिंचित और नलकूप-सिंचित हैं और उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) कुल कृषि योग्य भूमि, कुल क्षेत्र जिसमें खेती की गयी है तथा कृषि योग्य क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान खेती नहीं की जा सकी, से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण 1 में दिए गए है।

(घ) विभिन्न राज्यों में नहरी-सिंचाई तथा नलकूप-सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र की मात्रा से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण (एक)

भारत में राज्यवार कृषि योग्य तथा कृष्य क्षेत्र--1974-75

(हजार हैक्टार)

राज्य	कुल कृषि योग्य क्षेत्र*	कुल कृष्य क्षेत्र**	अकृष्य कृषि-योग्य क्षेत्र (स्तम्भ 2-3)***
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	15,837	13,511	2,26
आसाम	3,223	2,653	570
बिहार	11,696	10,052	1,644
गुजरात	12,653	10,077	2,576
हरियाणा	3,777	3,735	42
हिमाचल प्रदेश	776	600	176
जम्मू और काश्मीर	1,075	800	275
कर्नाटका	12,784	11,278	1,506
केरल	2,424	2,233	191
मध्य प्रदेश	72,356	19,328	3,028
महाराष्ट्र	21,117	19,128	1,989
मनीपुर	164	140	24
मेघालय	1,100	229	871
नागालैंड	112	112	—
उड़ीसा	8,029	6,759	1,270
पंजाब	4,287	4,215	72
राजस्थान	24,920	17,176	7,744
तमिलनाडु	8,553	7,285	1,268
त्रिपुरा	337	245	92
उत्तर प्रदेश	21,086	18,164	2,922
पश्चिम बंगाल	7,220	6,420	800
अखिल भारत	184,995	154,843	30,152

नोट :

* कृषि-योग्य क्षेत्र में, कुल बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, विभिन्न वृक्षों एवं उपवनों के अन्तर्गत क्षेत्र, जो वास्तविक बोए गए क्षेत्र तथा कृषि योग्य बंजर क्षेत्र, में सम्मिलित नहीं किया गया हैं, शामिल हैं।

** कृष्य क्षेत्र में वास्तविक बोया गया क्षेत्र तथा वर्तमान परती क्षेत्र शामिल हैं।

*** कृषि योग्य परती भूमि में अन्य परती भूमि, विभिन्न वृक्षों एव उपवनों के अन्तर्गत क्षेत्र, जो वास्तविक बोए गए क्षेत्र तथा कृषि योग्य बंजर भूमि में सम्मिलित नहीं किया गया है, शामिल हैं।

विवरण (दो)

नहरी सिंचाई एवं नलकूप सिंचाई के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्रफल 1974—75

(हजार हैक्टार)

राज्य	नहरी सिंचाई क्षेत्र*			नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र
	नहर	तालाब	कुल	
आन्ध्र प्रदेश .	1,590	950	2,540	126
असम (ख) .	362	—	362	—
बिहार .	887	106	993	703
गुजरात (ग) .	197	37	234	130
हरियाणा .	1,031	1	1,032	704
हिमाचल प्रदेश .	1	(क)	2	2
जम्मू और काश्मीर	279	(क)	279	2
कर्नाटक .	482	369	851	1
केरल	238	76	314	—
मध्य प्रदेश	679	153	832	23
महाराष्ट्र	339	232	571	—
उड़ीसा	606	230	836	उ० न०
पंजाब	1,410	—	1,410	1,590
राजस्थान	881	161	1,042	35
तमिलनाडु	887	594	1,481	67
त्रिपुरा	—	2	2	—
उत्तर प्रदेश . .	2,624	345	2,969	3,115
पश्चिम बंगाल (घ) .	960	303	1,263	—
अखिल भारत . .	13,484	3,561	17,045	6,546

(क) 500 हैक्टार से कम।

(ख) वर्ष 1953-54 से सम्बन्धित है।

(ग) समय पर रिपोर्टिंग योजना के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अनुमानित।

(घ) वर्ष 1967-68 से सम्बन्धित।

उ० न० उपलब्ध नहीं।

* उपर्युक्त नहरी सिंचाई के आंकड़ों में सिंचाई के "अन्य साधनों" में शामिल नहरें द्वारा सिंचित क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

नोट :—उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त "अन्य कुओं" तथा "अन्य साधनों" द्वारा सिंचाई किया जाने वाला अखिल भारतीय क्षेत्र क्रमशः 7712 तथा 2427 हजार हैक्टार है।

इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला

7851. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च अध्ययन संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज) शिमला में गत तीन वर्षों में जो निदेशक और सकाय सदस्य (प्रोफेसर आदि) रहें है उनके नाम क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में वहां प्रत्येक विषय में कितने छात्र और प्रशिक्षणार्थी रहे हैं।

(ग) इन तीन वर्षों में वहां कितना खर्च किया गया है ; और

(घ) क्या इस संस्थान के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो, कब, कैसे और किसके द्वारा और उसके क्या निष्कर्ष और सिफारिशें हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रो० एस० सी० दुबे मार्च, 1972 से 30 जून, 1977 तक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक थे। उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, संस्थान एके कफेलो प्रो० बी० बी० लाल को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 1 जुलाई, 1977 से इस पद पर कार्य कर रहे है।

सस्थान के शैक्षिक स्टाफ में फेलो और अतिथि फेलो हैं। शैक्षिक वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान जिन फेलों/अतिथि फेलाओं ने संस्थान में कार्य किया, उनकी एक सूची संलग्न है।

(ख) संस्थान में अध्यापन अथवा प्रशिक्षण कायक्रमों की व्यवस्था नहीं है। अतः इन वर्षों के दौरान संस्थान में कोई छात्र अथवा प्रशिक्षार्थी नहीं थे।

(ग) संस्थान ने 1975-76 के दौरान 29,56, 700 रुपये और 1976-77 के दौरान 31,85,900 रुपये का खर्च किया। संस्थान को 1977-78 के दौरान 35,00,000 रुपये का अनदान दिया गया।

(घ) सरकार ने 1969 से संस्थान के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने और संस्थान की भावी नीति, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संबंध में सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है।

विवरण

फेलोज :

1. डा० एस० आर० मेहरोत्रा
2. प्रो० बी० बी० लाल (इस समय कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं)
3. डा० एस० टी० लोखंडवाला
4. डा० एस० सी० मलिक

विजिटिंग फेलोज :

1. डा० एम० जी० अनदिगा (30-6-75 तक)
2. प्रो० वाई० बी० दामले (15-6-75)
3. डा० के० एन० सहाय (30-11-75 तक)
4. डा० के० एन० वर्मा (21-4-75 तक)

5. डा० जे० आर० सिवाच (15-7-75 तक)
6. श्री के० एस० सुब्रमनियन (1-5-75 तक)
7. डा० वी० बी० जोन (30-11-75 तक)
8. डा० भास्कर आर० घोष (23-7-75 तक)
9. श्रीमती रेखा ओलिव धन (29-7-76 तक)
10. डा० बी० बी० मिश्र (30-11-75 तक)
11. डा० शान्ति स्वरूप गुप्त (14-3-77 तक)
12. डा० एस० टी० लोखंडवाला (28-12-75 तक)
13. डा० एस० सी० बाजपई (14-3-77 तक)
14. डा० सूरज भान (14-3-76 तक)
15. श्री० अहसन जान कैसर (8-4-75 तक)
16. श्री सिबाजिवन भट्टाचार्य (30-6-75 तक)
17. डा० ए० जी० के० वारियर (14-3-76 तक)
18. प्रो० ए ए० सुरूर (14-3-77)
19. डा० गोपी नाथ कौल (14-3-77 तक)
20. डा० सतीश कुमार सिक्का (14-3-77)
21. डा० राम मोहन रे (14-3-77 तक)
22. श्री के० डी० शर्मा (10-11-75 तक)
23. श्री एम० ए० कुरेशी (30-11-77 तक)
24. या० बी० बी० अग्रवाल (30-6-75 तक)
25. डा० सुरेश चन्द्र (30-11-77 तक)
26. डा० (श्रीमती) देवहुति (26-7-76 तक)
27. डा० के० एम० जार्ज (29-2-76 तक)
28. डा० एम० कबीर (30-11-75 तक)
29. डा० जियाउद्दीन खान (30-11-77 तक)
30. श्रीमती अमिता मलिक (29-2-76 तक)
31. श्री पी० सी० माथुर (30-11-77 तक)
32. डा० पी० एच० प्रभु (30-11-77 तक)
33. डा० आशा राम (30-11-77 तक)
34. डा० आर० एन० सकसेना (30-11-77 तक)
35. डा० एस० एन० शुक्ल (30-11-78 तक)
36. डा० बी० के० तामुली (30-11-76 तक)
37. डा० एस० ए० आर० जैदी (30-11-77 तक)
38. श्री बी० बी० गोस्वामी (30-1-78 तक)
39. श्री एस० वेनुगोपाल राव (31-1-78 तक)

40. डा० एम० होरम (10-12-76 तक)
41. प्रो० एस० पी० वर्मा (30-11-76 तक)
42. श्री अरशद अली अज्मी (31-1-78 तक)
43. डा० प्रभाती मुखर्जी (31-1-1978 तक)
44. डा० ओ० पी० वर्मा (30-11-77 तक)
45. डा० (श्रीमती) उमा पांडे (31-1-78 तक)
46. डा० (श्रीमती) ज्यूडिथ कोल (31-1-78 तक)
47. डा० पी० बी० माचवे (31-1-78 तक)
48. कु० गीता कपूर (31-1-78 तक)
49. प्रो० वी० के० कोथुरकर (31-1-78 तक)
50. डा० (श्रीमती) बीना चटर्जी (31-1-78)
51. डा० एस० एस० बारलिंग (4-8-77 तक)
52. डा० डी० एल० जैन (30-11-76 तक)
53. डा० एस० एम० पाठे (1-12-76 तक)
54. डा० आई० जे० सिंह (31-1-78 तक)
55. कु० अमृता रंगासामी (31-1-78 तक)
56. डा० शान्ति स्वरूप गुप्त (30-11-78 तक)
57. डा० टी० एन० खजांची (31-1-78 तक)
58. डा० बलरामजी श्रीवास्तवा (31-1-78 तक)
59. डा० चेतन करवानी (31-1-78 तक)
60. डा० सुरेश सी० घोष (30-11-77 तक)
61. डा० रंजन राय (30-11-78 तक)
62. डा० आर० यूसफ अली (30-11-78 तक)
63. डा० बी० एन० सरस्वती (30-1-78 तक)
64. श्री बिक्रम जीत हसरत (30-6-76 तक)।

ओलम्पिक खेलों में भाग लेने से पूर्व भारतीय दलों का प्रशिक्षण

7852. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री के० मालन्ना :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई और आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने से पूर्व भारतीय दलों को विशेष प्रशिक्षण देने की कोई विशेष प्रबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन): (क) और (ख) 1978 के एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय टीमों को तैयार करने के लिये सरकार के खर्च पर निम्नलिखित खेलों में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से अधिक से अधिक चार चार सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण शिविरों, जिनकी संख्या तीन तक हो सकती है, के आयोजन द्वारा प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं :—

(1) एथलेटिक्स
(2) बैडमिंटन
(3) बास्केटबाल
(4) मुक्केबाजी
(5) फुटबाल
(6) व्यायाम
(7) हाकी
(8) तैराकी
(9) टेनिस (लान)
(10) वालीबाल
(11) भारोतोलन
(12) कुश्ती
(13) नौकाविहार (यार्चिंग)

2. 1980 के ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने हेतु भारतीय टीमों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर 1978 के एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद विचार किया जायेगा।

आटा मिलों द्वारा गेहूं की बनावटी कमी उत्पन्न करना

7853. श्री डी० डी० देसाई: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोलर फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं के उत्पादों की कृत्रिम कमी पैदा करने और उनकी कीमतों में वृद्धि करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस शोषण को रोकने के लिये क्या भारतीय खाद्य निगम अपनी आटा मिलें खोलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं के उत्पादों की कृत्रिम कमी पैदा करने और उनकी कीमतों में वृद्धि करने की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर गेहूं के उत्पादों के संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के कारण, खुले बाजार में गेहूं के उत्पादों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादों के मूल्य, मामूली मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर, उचित स्तर पर स्थिर हो गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा फ्लोर मिलें स्थापित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

जे० के० पेपर मिल्स, उड़ीसा द्वारा अवशिष्ट पदार्थ

7854. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में नागपति नदी के किनारे पर बसे उन गांवों के बारे में कोई जानकारी एकत्र की है जिस पर जे०के० पेपर मिल्स के अवशिष्ट पदार्थों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) इस बारे में भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) उड़ीसा सरकार के अनुसार नागपति नदी के साथ लगने वाले 50 ऐसे गांव हैं जो मैसर्स जे० के० पेपर मिस, रायागाडा, उड़ीसा अपशिष्ट के निस्त्राव के फलस्वरूप नदी के जल से प्रदूषण के कारण प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा रीवर बोर्ड जो "उड़ीसा रीवर पोल्यूशन प्रीवेन्शन एक्ट, 1953 के अधीन राज्य में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है, ने मिल के प्राधिकारियों को निदेश दिया है कि वे पेयजल सुविधायें देने के लिये 10,000 रु० के प्रत्येक कुएं के लागत के हिसाब से सभी 50 गावों में खुले कुओं की व्यवस्था करें। संबंधित उद्योग द्वारा 2.00 लाख रुपये की राशि मुख्य इंजीनियर (लोक स्वास्थ्य) को दे दी गई है जिससे अब तक 20 खुले कुएं उपलब्ध कराये गये हैं। उद्योगों को मुख्य इंजीनियर लोक स्वास्थ्य) के विशिष्टियों के अनुसार शेष कुओं की व्यवस्था करने के निदेश दिये गए हैं।

(ख) मामलों का संबंध राज्य सरकार से है और भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गलत विशिष्टियों के एन० एम० आर० स्पैक्ट्रो मीटरों की खरीद

7855. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खरीदे गये पांच स्पन्दन वाले एन० एम० आर० स्पेक्ट्रो मीटरों को प्राप्त होने पर गलत विशिष्टियों का पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) मैसर्स स्पेक्ट्रोसपिन्स, पश्चिमी जर्मनी से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पी० 201 माडल का एन० एम० आर० स्पेक्ट्रो-मीटर खरीदने के लिये आदेश भेजा था। फिर भी, जो उपकरण प्राप्त हुए थे उन पर 'पी० 101' का लेबल लगाया हुआ था। कम्पनी ने आश्वासन दिया था कि यह उपकरण वास्तव में 'पी० 201' थे और गलती से उन पर 'पी० 101' का गलत लेबल लगा दिया गया था। फर्म के यह वचन देने पर कि अगर कोई अन्तर पाया गया तो फर्म उसके लिये उत्तरदायी होगी, उस माल को स्वीकार कर लिया गया, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया की सहायता से इस माडल और इसके विनिर्देशों के सही होने की जांच पड़ताल की जा रही है।

महाराष्ट्र में राज्य भू-जल संगठन

7857. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य भू जल संगठन को सुदृढ़ करने की केन्द्र प्रायोजित योजना, महाराष्ट्र के लिये मंजूरी दे दी गई है ;

ख) यदि हां, तो कब तक;

ग) उक्त योजना ने अब तक किस प्रकार की प्रगति की है; और

घ) उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बलनाला) : (क) जी हां.

(ख) महाराष्ट्र के भूमिगत जल संगठन (लघु सिंचाई) को सुदृढ़ करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को 5 फरवरी, 1977 को भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने इस योजना को अपनी ओर से 18-8-1977 को स्वीकार कर लिया है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत तीन प्रभागों, अर्थात् (1) जल विज्ञान प्रभाग (2) भूभौतिकीय प्रभाग (3) अभियन्त्की डिजाइन प्रभाग ने निम्नलिखित वास्तविक प्रगति की है।

(1) जल विज्ञान प्रभाग :—छः मौसम विज्ञान सर्वेक्षण केन्द्रों में अनुसंधान कार्य तथा भूमिगत जल को कृत्रिम रुप से रिचार्ज करने के लिये आंकड़े एकत्रित करना।

(2) भूभौतिकीय प्रभाग :—324 मामलों में सूक्ष्म परीक्षण किए गए।

(3) अभियन्ती डिजाइन प्रभाग :—नलकूपों के डिजाइन के लिये अध्ययन किए गए :

(घ) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के लिये 52 लाख रुपये की कुल लागत की एक योजना मंजूर की गयी है। इस अवधि के दौरान 50 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना के लिये बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय अनुदान के लिये निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गयी है :

वित्तीय वर्ष	निर्मुक्त की गयी धनराशि (रुपए लाखों में)
1976-77	शून्य
1977-78	6.50

बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिवेदन

7858. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय संघ से वित्तीय सहायता के लिए बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कुछ (मल्टी सैक्टरल') परियोजनाओं के प्रस्ताव के बारे में महाराष्ट्र सरकार से 13 दिसम्बर, 1977-78 दिसम्बर, 1977 का एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन निर्माण और आवास मंत्रालय के निदेशक (नगरीय विकास) को प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत रहने वाले शहरी गरीबों के लिए उक्त परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उक्त कार्यवाही कब की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण है और यह कार्यवाही कब की जाएगी ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने "बम्बई महानगर क्षेत्र में कल्याण, थाने और भिवण्डी उप क्षेत्रों के लिए मल्टी-सेक्टरल परियोजनाओं पर एक प्रस्ताव भेजा था । "प्रस्ताव पर बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श किया गया और राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे विचार विमर्श के लिए एक संशोधित विस्तृत परियोजना भेजें । इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि शहरी गरीबों को नगर निगम की सीमाओं के भीतर लाया जाए ।

दिल्ली में गैर-मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल

7859. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के कितने स्कूल काम कर रहे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है ;

(ख) क्या इन स्कूलों के प्रबन्धकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें मान्यता दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रति क्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Grants to U.P. by Central Social Welfare Board

7860. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Social Welfare Board had given amount in the form of grants to the institutions in Uttar Pradesh during 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) the district-wise details thereof; and

(c) the names of the institutions in Bareilly Division which have been given the amount indicating the amount given to each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Bar Kataki) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the requisite information is attached as Annexure I [Placed in Library. See No LT.—2175/78]

(c) Another statement giving the requisite information is attached as Annexure II. [Placed in Library. See No. L.T.—2175/78].

Government Accommodation in Delhi

7861. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of quarters constructed for Government employees in Delhi so far:

(b) the amount of annual rent received therefrom; and

(c) the expenditure incurred on the maintenance of the said quarters in 1976-77 ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) and (b) 41,913 quarters/bungalows are in the General Pool in Delhi for which licence fee of Rs. 346.92 lakhs was realised during 1976-77. These figures do not include accommodation placed at the disposal of other Departments like Delhi Administration, Lok Sabha, Government of India Press, etc.

(c) The amount spent on maintenance during 1976-77 is Rs. 2,52,56,529.

Projects for under ground water with U.N. Collaboration in States

7862. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a special Project has been set up in Rajasthan by the Exploratory Tube-wells Organisation under the groundwater assessment programme in collaboration with the United Nations Development Programme ;

(b) if so, the number of such projects set up in other States with the aid of F.A.O. ; and

(c) the States where such projects are proposed to be set up and when ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) The first Project for Ground Water Survey in Rajasthan with U.N.D.P. assistance was undertaken by the Exploratory. Tubes-wells Organisation (now Cenrtal Ground Water Board) from 1967 to 1971. The second project for Ground Water Survey in Rajasthan and Gujarat with U.N.D.P. assistance was undertaken by the Central Ground Water Board from 1971 to 1974. The third Project on Ground Water Exploration in Ghaggar River Basin in Punjab, Haryana and Rajasthan, in collaboration with UNDP, was undertaken by the Board from the 1st November, 1975 for a period of three years.

(c) Two projects—(i) Artificial Recharge in Gujarat and (ii) Water Balance Study in Subarnarekha river Basin in Bihar, West Bengal and Orissa, with U.N.D.P. assistance are under consideration for being undertaken during 1978-79 and 1979-80 respectively.

भारत के बड़े नगरों में गन्दी बस्ती हटाने संबंधी परियोजनायें

7863. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद और मद्रास जैसे बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु आवास परियोजनाओं की क्रियान्वित के बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) सरकार का विचार समस्त देश में गन्दी बस्ती क्षेत्रों को कैसे समाप्त करने का है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) गन्दी बस्ती क्षेत्र में गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार और पर्यावरणीय सुधार की योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। इन दोनों योजनाओं की आयोजना वित्त व्यवस्था तथा निष्पादन का उत्तरदायित्व सरकारों की है। गन्दी बस्तियों में सुधार लाने और विकसित स्थलों को समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को देने पर अधिक बल दिया जा रहा है क्योंकि गन्दी बस्तियों की समस्या सामाजार्थिक है और आवास की कमी से ही संबंधित नहीं है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए कोई यथार्थ समय सारणी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

Procurement of Gur by F.C.I.

7864. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Food Corporation of India has not been able to procure gur from gur producers ;

(b) whether prices of gur are going down day-to-day ; and

(c) if so, the efforts being made by Government in this regard keeping in view the interests of gur producers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) A statement showing wholesale weekly prices of gur prevailing during the months of January, February, March and April, 1978 (upto 15-4-78) in selected centres of the country is attached. [Placed in library see **No. L.T.—2176/78**]

(c) Gur is being purchased by Central Government agencies, i.e. the Food Corporation of India and N.A.F.E.D. on a fairly large scale.

Apart from this, all restrictions on export have been withdrawn and margins on bank credit reduced to help the producers/traders to dispose of their stocks by export and to increase their holding power.

Talks Between India and Nepal on Joint River Valley Project

7865. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether talks have been held between India and Nepal over the joint river valley project ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the schemes to be implemented and the extent of benefits likely to accrue to India as well as to Nepal therefrom ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) In the joint communique issued at the conclusion of the visit of the Prime Minister of India to Nepal the following decisions were included;

(i) Karnali Project :

The terms of reference for the Committee on Karnali project should be finalised and the Committee should meet within a period of three months and submit its recommendation within one year so that the execution of the project could be taken up expeditiously for mutual benefit.

(ii) Pancheshwar Hydro-Electric Project :

Both the countres should nominate their representatives within a period of three months to start the joint investigations of this project.

(iii) Rapti Project :

Experts of two countries should meet within a month to finalise the arrangements for conducting detailed investigations and preparing details project estimates within two years.

The terms of reference of the Committee on Karnali Project have been finalised. The first meeting of the Committee was held in the first week of April, 1978. It was decided to form two joint groups and two separate groups in each country to study the different aspects of the project.

As regards Pancheshwar Hydro-Electric Project the first meeting of the Joint Experts Groups was held on 11th and 12th April, 1978. It was agreed to set up a joint technical team to prepare terms of reference for the investigations to be carried out and the estimates of cost thereof.

A Nepalese delegation visited India in January, 1978 and the manner in which detailed investigations in respect of Rapti Project should be carried out was discussed.

A team of engineers from India and Nepal has recently met to finalise the detailed estimates for field investigations and preparation of detailed project report.

As all these projects are in investigation stage the extent of benefits likely to accrue to India and Nepal cannot be indicated at this stage.

Involvement of Business and Industrial Commercial Houses in Rural Development Programme :

7866. **Shri Ram Hazari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the need for involving business and industrial/Commercial houses in the programmes of rural development;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :

(a) Government is consious of the need for involving business and industrial/ commercial houses in the programme of rural development.

(b) & (c) With a view to encouraging compasies and co-operative societies to involve themselves in the work of rural welfare and uplift, the Finance (No. 2) Act, 1977 introduced a new section 35CC in the Income Tax Act, under which companies and co-operative societies are entitled to a deduction in the computation of their taxable profits of the expenditure incurred by them on any programme of rural development. A number of companies have come forward in response to this concession to undertake rural development programmes. A number of others have, however, represented that it would be more convenient if they are allowed to participate in this laudable task by associating themselves with and contributing to voluntary agencies which are doing very good work in this direction. The Finance Bill, 1978 provides that sums paid by any taxpayer carrying on business or profession to any association or institution, which has as its object the undertaking of programmmes of rural development will be allowed as a deduction in computing the taxable profits, where such sums are to be used for carrying out a programme of rural development.

Harijan and Adivasi Student/Teachers in Central Schools

†7867. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the percentage of Harijan and Adivasi students and teachers in the Central Schools in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to open a Central School only for Harijans and Adivasis in the areas predominantly inhabited by them in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) :

(a) The percentage of students and teaching and non-teaching staff belonging to Scheduled Cahstes and Scheduled Tribes in the Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in Madhya Pradesh is 6.07 and 7.74 respectively.

(b) As Kendriya Vidyalaya (Central Schools) are primarily meant for providing uninterrupted education facilities to the children of transferable Central Government employees, there is no proposal with the Kendriya Vidyalaya Sangathan for opening a Kendriya Vidyalaya (Central School) only for Harijans and Adivasis in Madhya Pradesh.

मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में रिक्त तकनीकी पद

7868. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1978 को कृषि, खाद्य, ग्रामीण विकास तथा सिंचाई विभागों में श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो के कितने तकनीकी पद रिक्त पड़े थे;

(ख) इन पदों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये पद कब से खाली पड़े हैं (प्रत्येक रिक्त पद का विभाग-वार ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाये); और

(ग) इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और विभिन्न चरणों में कितने मामले लंम्बित पड़े हैं, (विभाग-वार स्थिति का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाये) ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) इन विभागों के सम्बन्ध में जानकारी को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी०-2177/78]।

Free Education to Girls

7869. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleasde to state :

(a) the names of States where girls are given free education;

(b) whether some States are providing free education to girls upto University level; and

(c) if so, the names of such States ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) to (c) According to the information available, the position regarding free education for girls is as follows :—

(1) Free education upto elementary Stage (classes I-VII/VIII) is available in all States/Union Territories.

(2) Free education upto class XII is available in Orissa, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Dadra and Nagar Haveli. Free education upto class XI is available in Gujarat, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, A and N Islands and Pondicherry and Karaikal regions of Pondicherry. Free education upto class X is available in Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Kerala, U.P. and Mahe and Yenam regions of Pondicherry.

(3) In Jammu and Kashmir and Lakshadweep, free education for gfiirls is available at all levels. In Pondicherry free education for girls is available also in P.U.C.

एक नए प्रकार की बैलगाड़ी का विकास

7870. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1978 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि 'साल विस' नामक बम्बई की एक फर्म ने एक नई प्रकार की बैलगाड़ी का विकास किया है जो परम्परागत बैलगाड़ी से हल्की और अधिक टिकाऊ है; और

(ख) यदि हां, तो इसका टिकाऊपन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत कितनी है और इसे हर राज्य में गरीब किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मुलन्द, बम्बई के इडस्ट्रियल एस्टेट में, साल्वी स्ट्रक्चर वर्कशाप, द्वारा विकसित "साल विस" बैलगाड़ी को इसके टिकाऊपन तथा लागत के मूल्यांकन के लिए, महाराष्ट्र के कृषि विश्वविद्यालयों को भेजा जायेगा।

वर्ष 1978-79 में खाद्य व्यापार निगम के गोदामों के निर्माण की योजना

7872. **श्री चतुर्भुज : क्या** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास वर्ष 1978-79 में खाद्य व्यापार निगम के गोदामों के निर्माण की कोई योजना है, और यदि हां, तो इसका क्या आधार है और इसके लिए सिद्धान्त रूप से क्या शर्त रखी गई है ;

(ख) किन-किन राज्यों में ऐसे गोदाम बनाये जायेंगे;

(ग) क्या राजस्थान में, जहां प्रायः अकाल की स्थिति रहती है, ऐसे गोदामों की आवश्यकता है; और

(घ) क्या राजस्थान के गग नहर और चम्बल नहर के क्षेत्रों में अनाज का बहुत उत्पादन होता है और यदि हां, तो इसे शुरू करने की भारत सरकार की व्यवस्था क्या है और क्या राजस्थान को चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की 1978-79 के दौरान अपने गोदामों का निर्माण करने के कार्य को जारी रखने की योजना है। इसके अलावा, निगम ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में गैर सरकारी पार्टियों के माध्यम से गारन्टी योजना के अधीन निर्माण कार्यक्रम के चरण-III को शुरू किया है। इस योजना के अधीन, गैर सरकारी पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निगम के साथ करार करने से छः महीनों के अन्दर गोदामों को पूरा करें। प्रार्थना पत्र 31-3-1978 तक प्राप्त होने की संभावना थी।

स्थान प्राप्त करते समय वसूली, वितरण, संचलन आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) विभिन्न संगत बातों को ध्यान में रखकर, भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में भी अपनी स्वयं की क्षमता तैयार कर रहा है। तथापि, हालांकि राजस्थान में गैर सरकारी पार्टियों द्वारा निर्माण के पहले चरणों के अन्तर्गत कुछ क्षमता को ले लिया गया है, लेकिन गारन्टी योजना के अधीन राजस्थान में क्षमता में कोई और वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। राजस्थान में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

Water-Logged Area in Bihar due to Kosi and Gandak Projects

†7873. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the area of land which has been water logged after the commissioning of Kosi and Gandak Projec's and the details of Government's scheme to remove this water logging and the amount allocated to Bihar under the said scheme ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : The drainage congestion in Kosi and Gandak Projects is mainly due to natural depressions and unfavourfable outfall conditions during monsoon.

Area affected by drainage congestion in the command of Eastern Kosi Canal has been reported to be 1.12 lakh ha. Provision for drainage in the aproved Kosi Project was Rs. 1.32 crores only which has now been increased in the revised project estimate to Rs. 20 crores which would benefit an area of 0.85 lakh ha. Works on Western Kosi Canal are in progress. With the experience of Eastern Kosi Canal, the earlier provision of Rs. 9.12 lakhs for drainage has now been increased to Rs. 14.20 crores. This would enable necessary drainage facilities to be provided during the construction stage to avoide any adverse effects later on.

It has been reported by the Government of Bihar that about 2.94 lakh ha. of area in the command of the Gandak Project during Kharif season and 0.81 lakh ha. during Rabi season are affected by drainage congestion. The sanctioned Gandak Project provided only Rs. 42 lakhs for drainage. This provision has been increased to Rs. 27 crores in the revised project estimates. The works to be executed are on completion expected to benefit 1.45 lakh ha. during Kharif and 0.75 lakh ha. during Rabi affected by water-logging at present.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्किल दो में जमादारों के रिक्त पद

7874. **श्री रामलाल कुरील** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्किल दो में फायरमैन से पदोन्नत कर भरे जाने वाले जमादारों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं यद्यपि आरम्भ से ही योग्य उम्मीदवार पदोन्नति के लिये उपलब्ध हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) फायर जमादार के दो पद जनवरी, 1973 से खाली पड़े हुए हैं। 6 महीने से ज्यादा पुरानी रिक्तियों के भरे जाने पर इस समय प्रतिबन्ध लगा होने के कारण ये पद खाली पड़े हुए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकनों के आबंटन में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिये आरक्षण

7875. **श्री राम लाल कुरील : क्या** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध सप्लाई योजना ने दूध के टोकनों के आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये कोई आरक्षण नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : **(क) जी नहीं।**

(ख) अब तक जारी किए गए सरकार के किसी भी आदेश के अधीन, किसी समुदाय अथवा जाति के लिए दूध के टोकनों के आवंटन के मामले में कोई आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आवंटित किए गए प्लाट

7876. **श्री आर० एल० कुरील : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित किए गए अधिकांश प्लाट अभी तक सवर्ण हिन्दुओं के कब्जे में ही हैं जबकि कागजों में उन्हें आवंटियों के नाम में दिखाया गया है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में जिलेवार कितने मामलों में प्लाट वास्तविक रूप से आवंटियों को सौंपे गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी जिससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे शेष सभी प्लाटों का कब्जा आवंटियों को मिल जाए;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) इन मामलों के जिलावार आंकड़े जिन में ऐसे प्लाटों को वास्तविक रूप में आवंटियों को दिया जा चुका है, उपलब्ध नहीं हैं। उन पात्र परिवारों को आवास स्थलों का वास्तविक दखल देने के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार एक विवरण, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार शामिल हैं, सलग्न है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिये योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अधिक सतर्कता बरतने का अनुरोध किया गया है कि भूमिहीन ग्रामीणों को वास योग्य क्षेत्रों में आवास स्थल दिये जाएं और यह कि उन्हें आवंटित आवास स्थलों का वास्तविक दखल दे दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवास स्थल आवंटित परिवारों को दिये गये वास्तविक दखल के बारे में स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन परिवारों की संख्या जिन्हें आवास स्थलों का वास्तविक दखल दिया जा चुका है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं हुए*
2.	असम	प्राप्त नहीं हुए
3.	बिहार	प्राप्त नहीं हुए*
4.	गुजरात	3,20,338
5.	हरियाणा	2,07,533
6.	हिमाचल प्रदेश	4,499
7.	जम्मू तथा कश्मीर	प्राप्त नहीं हुए*
8.	कर्नाटक	7,23,611
9.	केरल	90,000
10.	मध्य प्रदेश	6,68,656
11.	महाराष्ट्र	3,61,900
12.	उड़ीसा	19,298
		(आंशिक सूचना)
13.	पंजाब	3,03,731
14.	राजस्थान	8,52,725
15.	तमिलनाडु	प्राप्त नहीं हुए*
16.	त्रिपुरा	प्राप्त नहीं हुए*
17.	उत्तर प्रदेश	12,02,175
18.	पश्चिम बंगाल	2,46,672
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2,823
2.	चण्डीगढ़	50
3.	दादर और नगर हवेली	592
4.	दिल्ली	11,572
5.	गोआ, दमन और दीव	1,093
6.	पाण्डेचेरी	6,010

*ब्यौरे राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए।

Allotment of Quarters under the Slum Clearance

7877. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilition** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to allot quarters under the Slum Clearance Scheme to all those persons who have got themselves registered upto 25th January, 1978 ;

(b) if so, whether the number of applications received in the office is loewr than those expected by Government ; and

(c) if so, the reasons therefore and the measures proposed to be taken by Government ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Applications were invited by the Delhi Development Authority upto 25th January, 1978 under the special housing scheme and not under the slum clearance Scheme, for Allotment of tenements in the resettlement colonies.

(b) & (c) The number of applications received upto 25th January, 1978 was less than the number of tenements proposed for allotment. Further applications were, therefore, invited up to 30th March, 1978. The Delhi Development Authority has reported that the applications now received are a little more than the tenements proposed for allotment.

केरल में केन्द्रीय डेयरी विकास परियोजना

7878. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल में केन्द्र-प्रायोजित डेयरी विकास परियोजना के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर केन्द्रीय सरकार कुल कितना खर्च करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) केरल में केन्द्रीय प्रायोजित डेरी विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केरल सरकाष के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। परियोजना के 486 लाख रु० की अनुमानित लागत के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

केरल को उबला हुआ चावल

7879. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल को उबला हुआ चावल सप्लाई करेगी जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है;

(ख) राज्य को उबले चावल की सप्लाई में कमी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) चावल की कुल सप्लाई का कितने प्रतिशत उबला हुआ चावल उसे दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) केन्द्रीय पूल में उबला चावल की सीमित उपलब्धता होने और अन्य राज्यों की उबला चावल की जरुरतों जैसे, कि पश्चिमी

बंगाल की जरूरतों को भी पूरा करना होता है, को देखते हुए, राज्य सरकार को उनकी जरूरतों के मुताबिक उबला चावल सप्लाई करना इस समय सम्भव नहीं है।

(ख) पहले केरल को उबला चावल अधिक मात्रा में सप्लाई करना सम्भव था क्योंकि तमिल नाडु से केरल को और केरल में आन्ध्र धान के कस्टम मिलिंग द्वारा भी उबला चावल की अतिरिक्त सप्लाई सुलभ की जाती थी। क्योंकि यह स्टाक समाप्त हो गया था इसलिए राज्य सरकार को देने के लिए उबला चावल की उपलब्धता कम हो गयी जिससे कम सप्लाई की गई थी।

(ग) क्योंकि उबला चावल की सप्लाई केन्द्रीय पूल में समय-समय पर उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसका इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार को उनकी कुल मासिक जरूरतों के प्रति उबला चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की जाएगी, यह बताना सम्भव नहीं है। तथापि, उबला चावल की सप्लाई में जितनी कमी होती है उतनी मात्रा में कच्चा चावल सप्लाई किया जाता रहेगा।

अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण के लिये सहायता

7880. **श्री जॉर्ज मैथ्यू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिये सहायता के केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी राशि मंजूर की जा रही है और

(ग) उसकी मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) केरल सरकार ने दिसम्बर, 1977 में लगभग 143 लाख रुपए की लागत वाले पंचवर्षीय बृहत कार्यक्रम के लिए, जो माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा के भौतिक शास्त्र, जीवन विज्ञान, गणित और भूगोल पढ़ाने वाले लगभग एक लाख शिक्षकों को सेवा के दौरान शिक्षा देने से सम्बन्धित है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की कि कार्यक्रम की कुल लागत का 75 प्रतिशत रा०शै०अ० एवं प्र०प० वहन करे रा०लं०अ० एवठ प्र०प० ने शिक्षकों की स्थिति निर्धारण की आवश्यकता का महत्व समझत हुए भी वित्तीय कठिनाईयों ख कारण कोई ठोस सहायता देने में अपनी असमर्थता के बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया है। तथापि, 1976 में रा०शै०अ० एवं प्र०प० ने केरल की राज्य सरकार को 31 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि की सहायता दी थी।

इसके अलावा, रा०शै०अ० एवं प्रशिक्षण परिषद् को उच्चतर स्तर पर कम से कम कुछेक सौ ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रस्ताव राज्य शिक्षा संगठन केरल के निदेशक से प्राप्द हुआ था, जो पहले ही से संसाधन व्यक्तियों के रूप में उक्त क्षेत्रों में मौजूद थे, ताकि उन्हें नई पाठ्यचर्या के नए प्रणाली विज्ञान और मूल्यांकन में तैयार किया जा सके। पन्द्रह-पन्द्रह दिन की अवधि वाले, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान गणित, भूगोल, के लिए एकबएक अर्थात् कुल पांच आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर 60,000 रुपए का अनुमान है। इस प्रस्ताव पर रा०शै०अ०प्र०प० की कार्यकरिणी समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम पर आरोप

7881. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या कृषि और सिंचाई** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम पर सहयोग न देने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार लगाये गये आरोप क्या हैं; और

(ग) खाद्य निगम के उचित रूप से कार्य करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अनुदान

7882. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया;

(ख) उक्त अवधि में इस विश्वविद्यालय ने कुल में से कितने अनुदान का उपयोग किया;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देते समय किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है;

(घ) हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को उनसे सम्बद्ध कालेजों के लिए जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं अनुदान देने क मामले में कोई प्राथमिकता ढी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदान तथा इसके द्वारा प्रयोग की गई राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

अनुदान का उद्देश्य	दिए गए अनुदान			कुल	प्रयोग की गई राशि
	1974-75	1975-76	1976-77		
1. पुस्तकें या पत्रिकाएं .	4.00	--	0.50	4.50	3.09
2. उपकरण	3.60	1.50	0.50	5.60	3.60
3. भवन .	2.00	4.50	7.50	14.00	0.18
4. अनियत अनुदान	--	0.25	0.27	0.52	0.39
5. शोध कार्य का प्रकाशन	--	(दो वर्षों के लिए)		0.40	--
6. अतिथि संकाय .	--	--	0.50	0.50	--

(ग) विश्वविद्यालयों को अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त अतिथि समितियों की सिफारिशों पर स्वीकृत विकास कार्यक्रमों तथा उन पर विश्वविद्यालयों द्वारा किए खर्चे की प्रगति के आधार पर आयोग द्वारा दिए जाते हैं।

(घ) तथा (ङ) आयोग ने पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों क पक्ष में छात्र नामांकन तथा अध्यापक सख्या के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तों में छूर दे दी है। इन रियायतों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों का एक कालेज आयोग से विकास सहायता के लिए हकदार होगा यदि इसमें क्रमशः 400 तथा 20 की सामान्य अपेक्षा क विरुद्ध 200 छात्र तथा 10 अध्यापक हों।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें

7883. **श्री दुर्गाचन्द: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जल सप्लाई योजना के लिये हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि दी जायेगी और क्या उस राज्य को इसके पर्वतीय भूप्रदेश के कारण कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सम्भवतः यह प्रश्न समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति की केन्द्रीय योजना के अधीन राज्यों को दिये गये अनुदानों के बारे में है । यदि ऐसा है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इस वर्ष अभी तक कोई ऐसी राशि नहीं दी गई है । निधियों का नियतन, पिछले वर्ष कार्यान्वियन में प्राप्त प्रगति पर निर्भर करगा । पर्वतीय देश होने के कारण इस राज्य को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को निर्माणार्थ सहायता

7884. **श्री दुर्गा चन्द: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश को आवास योजना के लिये गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि में से कितनी राशि का राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उपयोग किया; और

(ग) केन्द्र द्वारा दी गई राशि से राज्य में उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने मकान बनाये गये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : 'राज्य सरकारों को सभी राज्य क्षेत्र कायक्रमों के लिये जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष के संबद्ध नहीं है । राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये निधियां अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं । पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये आवास पर प्लान परिव्यय क्रमशः 109 लाख रुपये, 110 लाख रुपये और 125 लाख रुपये था । इन वर्षों के दौरान अर वास परिव्यय क्रमशः 112.18 लाख रुपये, 109.09 लाख रुपये और 228.58 लाख रुपये (प्रत्याशित) था । आवास तथा नगर विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न निर्माण अभिकरणों को 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 वर्ष के लिये क्रमशः 79.40 लाख रुपये, 17.94 लाख रुपये तथा 14.17 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये थे। स्वीकृत ऋण राशि में

से, इन वर्षों के दौरान ली गई राशि क्रमशः 38.35 लाख रुपये, 55.25 लाख रुपये और 21.38 लाख रुपये थी ।

(ग) 1975-76 और 1976-77 के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मकानों की कुल संख्या क्रमशः 1218 और 304 मकान थी । विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के दौरान निर्मित मकानों की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई है । 541 स्वीकृत मकानों में से हुडको द्वारा दी गई धन राशि से पूरे किये गये कुल मकानों की संख्या 147 है ।

राज्यों में भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजनाएं

7885. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में परियोजना के अन्तर्गत कितनी भूमि को खेती योग्य बनाये जाने की संभावना है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य को कितनी राशि सहायता के रूप में देगी; और

(घ) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को वित्तीय सहायता देने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) क्षारीय तथा तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि के सुधार के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य	1977-78 के दौरान सुधार किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टर)	1978-79 के लिये प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1. पंजाब	80,000	214
2. हरियाणा	1,200	32
3. उत्तर प्रदेश	23,200	104
4. मध्य प्रदेश	3,000	50
5. राजस्थान	7,015	60
6. गुजरात	3,600	32

(घ) भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण परियोजनाओं के मामले में पहाड़ी राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इन राज्यों में प्रमुख नदियों के ऊपरी स्रवण क्षेत्र आते हैं । नदी-घाटी परियोजनाओं के स्रवण-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, हिमालय के क्षेत्रों में समेकित मृदा तथा जल संरक्षण की योजना और बेकार भूमि तथा उजड़े हुए वन क्षेत्रों में वन रोपण की एक योजना

हिमाचल प्रदेश में चालू है । वर्ष 1977-78 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोदी गई कुल सहायता 158 लाख रु० के लगभग थी, जिसमें से 109 लाख रु० अनुदान और 48 लाख रु० ऋण था ।

निम्नतर स्तर से विज्ञान का शिक्षण

7886. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह आग्रह किया गया है कि विज्ञान के शिक्षण में निम्नतम स्तर में परिवर्तन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई मूल पाठ्यचर्या एवं ईश्वर वाई० जे० पटेल समिति द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या-क्षेत्रों में ही प्राथमिक कक्षाओं से विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण संबंधी अध्ययन के एक भाग के रूप में आरम्भ करने की सिफारिश की गई है । राज्य सरकारों से इन निचली कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण को पर्यावरण संबंधी अध्ययन के रूप में आरम्भ करने का अनुरोध किया है।

(ख) अधिकतर राज्यों ने इन सुझावों का स्वागत किया है और बहुत से राज्यों ने पहल ही अपनी पाठ्यचर्या में परिवर्तन कर लिये हैं और इन निचली कक्षाओं में, विज्ञान शिक्षण अध्ययन के रूप में आरम्भ कर दिया है । विद्यालयों ने थोड़ी लागत में विज्ञान किटें उपलब्ध कराने और विज्ञान के सिद्धांत प्रदर्शित करने हेतु स्थानीय सामग्री से कम खर्चीले विज्ञान उपकरण तैयार करने के काम में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने कम खर्चीली विज्ञान किटें भी तैयार की है ।

दादरा और नागर हवेली में अध्यापकों की पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिये मानदण्ड

7887. **श्री आर० आर० पटेल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली में अध्यापकों की पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पदोन्नतियों के बारे में अध्यापकों में बहुत असन्तोष व्याप्त है और वे अपने काम में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) शिक्षकों की पदोन्नति प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों के लिए निर्धारित भर्ती तथा पदोन्नति नियमों द्वारा नियंत्रित होती है । शिक्षकों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्यतः तीन साल में एक बार किया जाता है । स्थानान्तरणों का आदेश देते समय यह सावधानी बरती जाती है कि जिन शिक्षकों ने क्षेत्र के असुगम अन्दरूनी भागों में नियत अवधि तक कार्य कर लिया हो, उन्हें अधिक लोकप्रिय स्थानों पर लाया जाता है तथा लोक प्रिय स्थानों पर कार्य कर रहे शिक्षकों को क्षेत्र के असुगम अन्दरूनी स्थानों पर ले जाया जाता है ।

(ख) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित शिक्षकों से पदोन्नतियों के संबंध में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Decline in Gur Prices

7888. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the prices of 'Gur' considerably declined in the months of January, February and March, 1978 as compared to its prices during the corresponding months last year and whether this has had an adverse effect on sugarcane growers ;

(b) if so, the extent to which the prices of 'gur' declined in January, February and March, 1978 as compared to the prices thereof last year ;

(c) whether Government have given orders to the Food Corporation of India to procure 'gur' in order to improve the prices thereof ; and

(d) the impact thereof on the prices of 'gur' ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A comparative statement showing wholesale prices of gur at selected centres in the country during the months of January, February and March, 1977 and 1978 is attached (Statement-I) **[Placed in Library. See No. L.T. 2178/78]**. Another statement showing wholesale daily prices of gur prevailing in the month of April, 1978, upto the 15th at 4 centres where FCI is making purchases of gur is attached (Statement-II). **[Placed in Library. See No. L.T. 2178/78].**

(c) Yes, Sir.

(d) The position is being watched very carefully. The exact impact of gur purchases by FCI could be assessed only after some time.

Employees having working knowledge of Hindi

... †7890. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of employees, category-wise in the Ministry at present and the number of employees, out of them who have working knowledge of Hindi or have acquired proficiency therein ;

(b) the number of employees, who have working knowledge of Hindi or have acquired proficiency therein, doing noting and drafting in Hindi ;

(c) the reasons for not doing noting and drafting in Hindi by the other such employees ; and

(d) whether such employees have been given orders for doing noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Preparing of Draft/Note in Hindi in the Ministry

†7889. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of sections under his Ministry/Department at present and the number of sections, out of them, where more than 80 per cent employees possess the working knowledge of Hindi ;

(b) the number of sections in which notes and drafts are prepared in Hindi and the reasons why it is not being done in the remaining sections ; and

(c) whether clear instructions have been issued in respect of preparing notes and drafts in Hindi in all the sections and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Wtlfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Manuals/Forms used in Ministry

†7891. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of manuals and forms used in the Ministry/Department;

(b) the number out of them translated in Hindi and of those published in diglot form ;

(c) the reasons for not translated or publishing in diglot form the rest of them ; and

(d) the time by which they are likely to be prepared in diglot form ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

प्राइवेट प्रेसों के माध्यम से मुद्रण कार्य कराया जाना

7892. **श्री सरत कार :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की छपे हुए फार्मों और अन्य मुद्रित सामग्री की सप्लाई कर ने के लिए कुछ प्राइवेट प्रेसों को भी आदेश दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रेसों के नाम क्या हैं और सरकार के छपाई संबंधी कार्य उन्हें सौंपने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पद्धति को बन्द करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) उन गैर-सरकारी मद्रणालयों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रण का कार्य दिया गया । मुद्रण कार्य केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों में ही गैर-सरकारी मुद्रणालयों को दिया जाता है जब सरकारी मुद्रणालय अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं और मांग कर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित असमर्थ समय के भीतर उसे पूरा करने में असमर्थ होते हैं या जब कार्य किसी विशेष प्रकार का होता है जिस के लिये इन मुद्रणालयों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भाग (ख) में दिये गये कारणों से गैर-सरकारी मुद्रणालयों में स्थानीय मुद्रण को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है ।

विवरण

उन मुद्रणलायों के नाम जिन्हें मुद्रण निदेशालय के जरिये मुद्रण कार्यादेश (1-4-1977 से 31-3-1978 तक) दिये गये हैं

1. मैसर्स महाकवि बुक बाइन्डिंग हाऊस, 256 हौज काजी, दिल्ली ।
2. मैसर्स चनाव बुक बाइन्डिंग हाउस, 3351, कूचा काशमीरी, दिल्ली ।
3. मैसर्स शाहदरा प्रिंटिंग प्रैस, के-18, नवीन शाहदरा, दिल्ली ।
4. मैसर्स गोवर्धन सन्स प्राइवेट लि०, मायापुरी , नई दिल्ली ।
5. मैसर्स रायल बाइंन्डिर्स, ई-3081, मोहल्ला दासन, दिल्ली ।
6. मैसर्स प्रिन्टिगं प्रैस इन्स्टीट्यूट फार दी डौफ, नई दिल्ली ।
7. मैसर्स दी एज़ांज़ प्रिन्टिर्ज़, 18–जकारिया स्ट्रीट, कलकत्ता ।
8. मैसर्स बीना प्रिटिन्ग प्रैस, घाट रोड, नागपुर ।
9. मैसर्स बरिन्दरा प्रिन्टर्ज, 2216–हरध्यान सिंह, रोड, नई दिल्ली ।
10. मैसर्स टिचरज़ बुक स्टाल, कलकत्ता ।
11. मैसर्स हैडवे लियोग्राफिक कम्पनी, कलकत्ता ।
12. मैसर्स दी रिलायक्ष प्रिंटिंग वर्क्स, कलकत्ता ।
13. मैसर्स चित्र गुप्ता प्रैस, कलकत्ता ।
14. मैसर्स दास प्रैस, कलकत्ता ।
15. मैसर्स ए० टी० प्रैस, कलकत्ता ।
16. मैसर्स ग्लोब प्रिन्टर्ज, कलकत्ता ।

हरियाणा से गेहूं तथा चावल के भंडार बाहर निकालने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध

7893. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि हरियाणा के गोदामों में केन्द्र के खाते में जमा गेहूं तथा चावल के भण्डारों को बाहर निकाला जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हरियाणा में 1978 के रबी वसूली अभियान की सुविधा हेतु खाद्यान्नों के स्टाक को पहले ही काफी काम पर दिया गया है । 31-3-1978 को हरियाणा राज्य सरकार/हाफेड के पास केवल लगभग 13 हजार मीटरी टन गेहूं का स्टाक था । भारतीय खाद्य निगम के पास अब लगभग 7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों (गेहु और चावल) का स्टाक है। अनुमान हे कि अप्रैल, 1978 के अन्त को हरियाणा राज्य सरकार/हाफेड–भा०खा० नि० के पास कुल भण्डारण क्षमता 16.65 लाख मीटरी टन थी।

हरियाणा से प्रायोजित खाद्यान्नों के मासिक अन्तर-राज्यीय संचलन को लगभग 1 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर प्रति मास लगभग 1.2 लाख मीटरी टन करने की दिशा में पर्याप्त कार्यवाही की गई थी । व्यस्ततम अवधि (मई और जून, 1978) के दौरान गेहूं के संचलन के लिए खाद्यान्नों क प्रायोजित संचलन दोनों रेल और सड़क द्वारा प्रत्येक मास में 15 लाख मीटरी टन होने की संभावना है ॥

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

7894. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री सी० आर० महाटा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अपनी मांगों, जिनमें चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर और बोनस तथा मकान किराया भत्ता दिया जाना भी शामिल है, पर जोर देने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में अपना निर्णय कब तक देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : दो वर्ष पहले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमान तथा उनकी सेवा की शर्तों में व्यापक संशोधन हुआ था। जब कभी वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में और सुधार करने की कोई मांग की जाती है तब भारतीय खाद्य निगम, जो कि एक स्वायत्त निगम है, के प्रबन्ध तथा यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा भी उन पर विचार किया जाता है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर के बारे में कर्मचारियों की मांग का संबंध है, निगम का प्रबन्ध यह महसूस करता है कि पदोन्नति का कोटा पहले ही 10 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत कर देने के बाद उसमें और वृद्धि करना वांछनीय नहीं होगा। उसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले सम्भावी प्रभाव की दृष्टि में वर्ष 1975-76 के लिए बोनस के स्थान पर अनुग्रह पूर्वक अदायगी की मांग को स्वीकार्य नहीं पाया गया है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाता है वह सरकारी कर्मचारियों तथा कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए अनुमेय भत्ते से पहले ही काफी बहतर है ।

यंत्रीकरण और उसका गायों और बैलों पर प्रभाव

7895. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकरण , जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हैं, के कारण बैल आवश्यक नहीं रहा है और कृत्रिम गर्भाधान के प्रचलन से सांड़ को बूचड़खाने भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है ;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जब किसान के लिए बैल किसी काम का नहीं रह गया है तो हमारे देश में गायों को रखने का काम कठिन और असम्भव हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समस्या का वास्तविक और ठोस समाधान करने की स्थिति में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अधिकांश कृषि जोतें छोटे आकार की हैं अतः ट्रैक्टरों के प्रयोग में इतनी वृद्धि नहीं हो सकती कि भारवाही पशुओं का महत्व ही समाप्त हो जाये। वस्तुतः देश में विशेष रूप से गहन भू-प्रयोग को शुरु किए जाने से भारवाही पशुओं के प्रयोग में वृद्धि होने की सम्भावना है। कृत्रिम गर्भाधान शुरु होने के फलस्वरुप फालतू होने वाले सांड़ों से भारवाही पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नही होता।

राज्यों को घटिया किस्म के चावल और गेहूं की सप्लाई के बारे में शिकायतें

7896. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिनसे घटिया किस्म के चावल और गेंहूं की सप्लाई किये जाने के बारे में केन्द्र को गत तीन वर्षों में शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) प्रत्येक राज्य से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को क्या उत्तर दिया गया ;

(ग) प्रत्येक राज्य में घटिया किस्म के कारण राशन की दुकानों से कितनी मात्रा में गेहूं अथवा चावल वापिस लिया गया ;

(घ) दिल्ली में अच्छी किस्म का चावल सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि गत अनेक महीनों से दिल्ली में घटिया किस्म का चावल सप्लाई किय जा रहा है ? ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए गये चावल के बारे में अधिकांश शिकायतें आई० आर०-8 चावल (मध्यम किस्म का) के देने के कारण हुई हैं। यह चावल थोड़े से उपभोक्ताओं को ही स्वीकार्य है । तथापि, इस प्रकार सप्लाई किया गया जो चावल है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किस्म संबंधी निर्दिष्टयों के अनुरूप है। भारतीय खाद्य निगम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चावल का जो स्टाक निर्दिष्टयों के अनुरूप न हो उसे देने से पहले साफ/ठीक कर लिया जाए।

दिल्ली स्थित आउटरम लाइन्स और हडसन लाइन्स पर पुनर्वास

7897. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सवे कैम्प के निवासियों का एक शिष्टमंडल अपने प्रतिनिधियों के साथ उनसे आउटरम लाइन्स और हडसन लाइन्स पर पुनर्वास के बारे में मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के प्रश्न पर उनके द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस क्षेत्र के पुनर्वास की समस्या क्या है ;

(घ) क्या यह योजना क्रियान्विती के लिए दिल्ली नगर निगम को भेज दी गई है ; और

(ङ) इस योजना की क्रियान्विती के लिए दिल्ली नगर निगम को कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां

(ख) यह सहमति हुई थी कि किंग्जवे पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण से पुनः दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:—

(i) मूल योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले दृष्टि में रखा गया था हडसन लाइन्स आउटरम लाइन्स के मकानों और बैरकों में रह रहे उन विस्थापित व्यक्तियों, को विकसित प्लाट दिए जाने चाहिए जिन्हें पहले भाई परमानन्द कालोनी और मुखर्जी नगर I और II में प्लाट नहीं दिए गए थे ।

(ii) हडसन लाइन्स/आउटरम लाइन्स में उपलब्ध लगभग 106 एकड़ भूमि को प्रयोग में लाया जाना चाहिए ; इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन के पास इस समय इन्दिरा विकास कालोनी में उपलब्ध लगभग 29 1/2 एकड़ भूमि भी दी जानी चाहिए।

(iii) मुखर्जी नगर कालीनी में 200 प्लाटों से घिरी हुई लगभग 16 एकड़ भूमि जो अभी तक उपलब्ध नहीं की जा सकी है उसे भी अब उपलब्ध किया जाना चाहिए ; और

(iv) अनधिवासियों को 40 वर्ग गज की दर से जहांगीर पुरी में भूमि उपलब्ध की जानी चाहिए।

उक्त सुझावों के संबंध में इस धारणा से सहमति दी गई थी कि दिल्ली नगर निगम निम्न व्यवस्था करेगा:--

(i) इन्दिरा विकास कालोनी में 29.5 एकड़ भूमि का दिया जाना ;

(ii) उन विस्थपित व्यक्तियों को स्थानातरित करना जिन्हें डा० मुखर्जी नगर में प्लाट आवंटित किए गए थे परन्तु उन्होंने आउटरन लाइन्स/हडसन लाइन्स के मकानों को खाली नहीं किया था ; और

(iii) प्लाटों के आंवंटन और मकानों के निर्माण के बीच की अविध के लिए 1400 परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करना।

(ग) हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वहां पर 1352 पात्र विस्थापित परिवार हैं जिन्होंने किंग्जवे पुनर्विकास योजना के अधीन अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया है।

(घ) 17-4-78 से योजना के कार्यान्वयन का कार्य दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ङ) इस योजना के लिए, 1962 में दिल्ली नगर निगम को 190 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई थी। इस राशि में से 175 लाख रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष पात्र परिवारों के पुर्नवास के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अब विस्तृत योजना तैयार की जाएगी और उन्हें अतिरिक्त राशि देने के प्रश्न पर सरकार द्वारा यथा समय विचार किया जाएगा।

भांडागारों के बारे में राज्य सरकारों से वार्षिक प्रतिवेदन

7898. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये भांडागारो में केन्द्र ने कुल कितनी पूंजी लगा रखी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन भांडागारों के बारे में कई राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को 1976-77 तक समीक्षा सहित वार्षिक प्रतिवेदन नहीं मिले थे ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से मिली वार्षिक प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन भांडागारों के प्रबन्धकों द्वारा की गई उन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले भाण्डागारों में केन्द्र पूंजीनिवेश में सीधे भाग नहीं लेता है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भाण्डागार निगम को धनराशि देता है जो कि राज्य भाण्डागार निगम की ईक्वटी पूंजी में भाग लेता है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम की राज्य भाण्डागार निगमों की शेयर पुंजी में पूंजी निवेश 31 मार्च, 1978 को 12.35 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) : वर्ष 1976-77 तक वार्षिक रिपोर्ट छ: राज्य भाण्डागार निगमों अर्थात् गुजरात हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा तैयार कर ली गई है। विभिन्न राज्य निगमों के बारे में स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) : आन्ध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम के काम काज के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत अनियमित नियुक्तियों, कार्यालय गाड़ी का दुरुपयोग, प्रशासनिक त्रुटियों आदि के बारे में थी। आन्ध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गई है जिसे इस मामले में उपर्युक्त कार्यवाई करना है।

विवरण

सभी राज्य भाण्डागार निगमों की वार्षिक साधारण बैठक की अद्यतन स्थिति बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य भाण्डागार निगम का नाम	वार्षिक साधारण बैठक कब तक हुई	वार्षिक साधारण बैठक होने	
			का वर्ष	तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश	1975-76	1976-77	29-4-78
2.	आसाम	1973-74	1974-75	19-4-78
3.	बिहार	1970-71		
4.	गुजरात	1976-77		
5.	हरियाणा	1976-77		
6.	केरल	3976-77		
7.	कर्नाटक	1976-77		
8.	महाराष्ट्र	1976-77		..
9.	मध्य प्रदेश	1975-76	..	..
10.	मेघालय	अस्तित्व में आने से कोई वार्षिक साधारण बैठक नहीं हुई (21-1-75)		
11.	उड़ीसा	1975-76		..
12.	पंजाब	1975-76		
13.	राजस्थान	1976-77		
14.	तमिलनाडु	1974-75		
15.	उत्तर प्रदेश	1975-76	..	..
16.	पश्चिमी बंगाल	1974-75	1975-76	12-5-78

टेहरी बांध

7899. डा० बसन्त कुमार पंडित :

डा० रामजी सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैहरी उच्च बांध को अनुमोदन और मंजूरी दे दी और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या यह सच है कि बांध स्थल जलाशय क्षेत्र और भागीरथी नदी-तल का स्त्रवण-क्षेत्र कांगड़ा भूकम्प क्षेत्र की भूकम्प रेखा सात और आठ के बीच पड़ते हैं और जहां भूकम्प आने की सम्भावना है ;

(ग) भूकम्पी गतिविधि की जांच के लिए क्या एहतीयाती कार्यवाही की गई है किन अन्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दलों और तकनीशियनों से परामर्श लिया गया है; और

(घ) क्या सरकार इस बांध के लिए स्थल के गलत चयन के बारे में विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनियों और कड़े जन-विरोध से अवगत है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, 1 जून 1972 में।

(ख) हिमालय का भू-भाग प्रवण है।

टैहरी बांध-स्थल 1905 के कांगड़ा के भूकम्प क्षेत्र की रेखा सात और आठ के बीच स्थित है।

(ग) बांध स्थल का चुनाव भारतीय-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की सिफारिश पर किया गया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और रुड़की विश्व-विद्यालय के विशेषज्ञों के अलावा, प्रसिद्ध बांध विशेषज्ञ

और भू-वैज्ञानिक प्रो० जे० बी० कुक और डा० एल० मुल्लर के साथ भी बांध की उपयुक्तता के बारे में परामर्श किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ, श्री याकोवलाव ने भी बांध-स्थल का दौरा किया है और साकफिल बांध के निर्माण का अनुमोदन किया है।

बांध-स्थल पर शिलाओं की कम्पन-विशेषताओं का अध्ययन करने और बांध का गतिक माण्डल अध्ययन करने का भी विचार है ताकि भूकम्पीय प्रभाव को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले भूकम्पीय फैक्टर के बारे में फैसला किया जा सके।

(घ) जनता की ओर से विरोध किया गया है लेकिन बांध-स्थल के चुनाव के बारे में किसी विशेषज्ञ से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ;

सर्कस

7900. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सर्कस फेडरेशन ने सरकार को हाल में अपनी शिकायतों और मांगों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) इस प्रचीन कला और खेलकूद के विकास, प्रोत्साहन और प्रगति के लिए उनका विभाग किस प्रकार से सहायता दे रहा है ; और

(ग) क्या सरकार सर्कस कला को मान्यता प्राप्त करने और उसके लिए पुरस्कार देने के तथा विदेशों को भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, हां।

(ख) सर्कस राज्य का विषय है। तथापि, सरकार वास्तविक सर्कस कम्पनियों के बारे में मण्डलियों और उनके सामान आदि के आवागमन के लिए रेल सम्बन्धी रियायत मंजूर करके मनोरंजनात्मक कार्य-कलाप के रूप में सर्कसों को प्रोत्साहन देती रही है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे मनोरंजन-करों के भुगतान में छूट-देकर, साधारण से किराए पर सर्कस के खेलों के लिए खुले मैदान आंवटित करके, कानून व व्यवस्था बनाएं रखने में खाद्ययात्रों और अन्य आवश्यक के कोटे के अस्थायी आवंटन में सहायता देकर सर्कसों को प्रोत्साहन दे।

(ग) सघं से सर्कस कलाकारों और मण्डलियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में उसके प्रस्ताव के विस्तृत ब्यौरे तैयार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि सरकार उस पर विचार कर सके।

जहां तक विदेशों में पर्यटनों के प्रायोजन का सम्बन्ध है, है, 1978 के दौरान लुसाका में जाम्बिया व्यापार मेले में भाग लेने के लिए एक भारतीय सर्कस के दौरे की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत-श्री लंका सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीलंका को एक भारतीय सर्कस प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्व-भारती का भविष्य

7901. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भारती के बारे में पश्चिम बंगाल के अनेक महत्वपूर्ण लोगों द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस वक्तव्य में किन मुख्य बातों पर बल दिया गया है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की उन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा विश्व-भारती के मामलों में मार्च, 1978 में एक वक्तव्य जारी किया गया था।

(ख) इस वक्तव्य में जिन मुख्य मुद्दों पर बल दिया गया है वे इस प्रकार है :—

(1) पाठ भवन, कला भवन, संगीत भवन, हिन्दी भवन, चीना भवन और विद्या-भवन नामक जो भवन स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किए गए थे उनकी प्राचीन प्रतिष्ठा और गौरव बहाल किया जाए।

(2) दक्षिण-पूर्व एशियाई केन्द्र जैसे भवन जिन्हें रवीन्द्रनाथ ठाकुर का बनाने का प्रस्ताव था किन्तु जिन्हें अपने जीवन काल में वे बना नहीं सके, उन्हें बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं।

(3) सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्व-भारती, जो एक अनूठी संस्था है अपना विशेष स्वरूप न खो दे और अपने आदर्शों, जो कि इसके महान् संस्थापक निर्धारित किए गए थे, विमुख न हो जाए।

(ग) सरकार के साथ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस वक्तव्य में निहित भावनाओं की पूर्ण रूप से सराहना करते हैं तथा इस विश्वविद्यालय के प्रति भावना संस्थापक के आदर्शों को प्राप्त करने के सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय पाठ भवन और शिक्षा सत्र जिसमें उनके पुस्तकालय भी शामिल हैं, के विकास पर अधिक बल दे रहा है। संगीत भवन, कला भवन और विद्यार्थीभवन के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। । दक्षिण पूर्व ऐशियाई केन्द्र की स्थापना करने की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध आरोप

7902. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री दिल्ली स्थिति जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच के निष्कर्ष क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जी।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री की प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इतिहास के शिक्षकों का चयन

7903. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मामलों के विशेषज्ञों के रूप में कार्य करने के लिए अनेक विशेषज्ञ सीधे नियुक्त किये हैं, अथवा विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए विदेशी मामलों के विशेषज्ञों को मनोनीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके चयन की कसौटी क्या है ;

(घ) शिक्षकों के रूप में चयन के लिये उन विशेषज्ञों के मनोनीत करने की क्या प्रक्रिया; और

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इतिहास के शिक्षकों के चयन के लिये विशेष समितियों के मनोनीत करने के बारे में अन्य तथ्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) इतिहास के अध्यापकों के चयन के लिये ऐसी कोई "विशेष समितियां" तो नहीं हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संविधियों में अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों की व्यवस्था है। प्रत्येक चयन समिति में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा विधान तथा संविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ मनोनीत किए जाते हैं।

विश्वविद्यालयों का बन्द होना

7904. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छात्रों के आन्दोलन के कारण पिछले कुछ सप्ताहों में कई विश्वविद्यालय बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से विश्वविद्यालय प्रभावित हुए हैं और आन्दोलन के मुख्य कारण क्या थे तथा विश्वविद्यालयों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले चन्द हफ्तों में बिहार के अधिकतर एवं उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय अर्थात् इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, पंतनगर स्थित और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हिंसा तथा अव्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में मुख्य कारण नौकरियों में पिछड़ी जातियों में स्थान आरक्षित करने से संबंधित प्रश्न था । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के मामले में मैडिकल कालेज में आरक्षण की मांग और बाद में रेक्टर पर आक्रमण विश्वविद्यालय बन्द करने के कारण थे। पंतनगर विश्वविद्यालय, खेतहर श्रमिकों के प्रदर्शन और इन पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से प्रभावित हुआ । परीक्षाएं स्थगित करने और कुलपति को हटाने जैसी मांगे भी थीं । विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों की जांच करने और उन्हें तुरन्त दूर करने हेतु कदम उठाने के लिए सभी राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध किया गया है। उन्हें उपयुक्त मशीनरी स्थापित करने को भी सलाह दी गई है जिससे वह स्थिति पर बराबर नजर रख सकें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटी समस्याएं बड़े झगड़ों का रूप न ले लें, समय पर कार्यवाई कर सकें।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मानसिंह रोड़ पर होटल के लिए स्थान का अनियमित रूप से आबंटन

7905. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिंह रोड पर पांच स्टार होटल के निर्माण के लिए एक बड़ी होटल कम्पनी के नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अनियमित ढंग से अबंटित की गई भूमि के बारे में जांच रिपोर्ट इस बीच सरकार को मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो मामले का संक्षेप में ब्यौरा क्या है और जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जून, 1976 में, नई दिल्ली नगर पालिका ने कम्पनी के साथ औपचारिक करार किए जाने की प्रत्याशा में एक प्रसिद्ध होटल कम्पनी को 1, मान सिंह रोड़, नई दिल्ली में एक प्लाट दिया था। करारनामे दिसम्बर, 1976 में निष्पादित किए गए थे। दिनांक 11-5-1975 के टाइम्स आफ इंण्डिया में एक सूचना प्रकाशित हुई थी जिसमें इसके लेन-देन में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली प्रशासन ने इस लेन-देन के बारे में जांच करवाई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य जांच-परिणाम निकाले :—

(1) शर्तें अनुचित रूप से होटल कम्पनी के हक में हैं ।

(2) इस मामले पर कार्रवाई करते समय वित्तीय औचित्य की प्रक्रियाओं और मानदण्डों का उल्लंघन किया गया है ।

(3) इस योजना को पास करवाने में नई दिल्ली नगरपालिका के कुछ अधिकारियों आदि की सांठ-गांठ प्रतीत होगी है ।

(4) इस मामले पर सी० बी० आई० की सलाह से विचार किया जा रहा है। इस मामले से संबंधित कुछ अधिकारियों को अन्य आरोपों के आधार पर पहले निलंबित किया जा चुका है।

सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए कार्य के लिए 'भोजन' कार्यक्रम

7906 श्री मनोरंजन भक्त

श्री चित्त बसु :

श्री अहमद एम० पटेल

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़े, मध्यम और छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों में 'कार्य के लिए भोजन' कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को क्या सहायता दी जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) व (ख) कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम अप्रैल, 1977 में शुरू किया गया था और इसे 1978-79 में जारी रखा जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को खाद्यान्नों, मुख्यतः गेहूं तथा माइलों, के रूप में सहायता सुलभ की जाती है ताकि वे चालू योजना तथा योजनाभिन्न स्कीमों, महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की नई मदों तथा लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाब मुरू करने के लिए अपने संसाधनों को बढा सकें । कार्यों की श्रेणियों में जो योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र हैं, ये शामिल हैं—वृहत, मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ सुरक्षा, निकास तथा जलाक्रांति निर्माण कार्य, सरकारी और सामुदायिक भूमि पर भू तथा जल संरक्षण और वनरोपण कार्य, सड़कें जिनमें राजपथ शामिल हैं, सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में मध्यवर्ती तथा मुख्य नालियों, खेत की नालियों क निर्माण तथा समतल करना आदि, सरकारी तथा स्थानीय निकायों जिनमें पंचायतें शामिल हैं, से संबंधित पाठशाला भवनों तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण बशर्ते राज्य बजट में ऐसी योजनाओं पर व्यय के लिए पहले की तरह प्रावधान किया जाता है।

योजना को आधारभूत ढांचों का विकास करके गरीब ग्रामीणों को लाभप्रद रोजगार दिलाने तथा उनके पोषाहार और आय स्तरों में सुधार करने तथा खाद्यान्नभण्डारों के उपयोग के माध्यम से स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें फिलहाल योजना को कार्यान्वित कर रही हैं।

योजना के अन्तर्गत, खाद्यान्नों, मुख्यत: गेहूं तथा माइलो, को राज्य सरकारों के लिए योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए विशिष्ट कार्यों के कार्यान्वयन में लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी की आंशिक या पूर्ण अदायगी करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकारों को अपने बजट में अतिरिक्त प्रावधानों को दिखाकर अपनी अतिरिक्तता दर्शानी पड़ती है। विभिन्न राज्यों को वर्ष 1977-78 के दौरान 204,580 मी० टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था। अप्रैल, 1978 के दौरान 1,17,000 मी० टन और खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। 1977-78 और 1978-79 के दौरान राज्यों को आबंटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाली सूची संलग्न की गई है।

विवरण

1977-78 और 1978-79 के वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा

राज्य	इनके दौरान की गई आवंटित मात्रा (मी० टन) 1977-78		1978-79	
	गेहूं	माइलो	गेहूं	माइलो
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	1,000	—
2. असम	7,500	—	—	—
3. बिहार	30,000	—	15,000	—
4. गुजरात	—	—	10,000	—
5. हिमाचल प्रदेश	940	—	—	—
6. कर्नाटक	1,000	1,000	5,000	—
7. केरल	6,000	—	—	—
8. महाराष्ट्र	11,940	450	—	—
9. मध्य प्रदेश	10,000	—	10,000	—
10. उड़ीसा	30,000	—	15,000	—
11. पंजाब	8,000	—	—	—
12. राजस्थान	6,000	—	10,000	—
13. त्रिपुरा	—	—	1,000	—
14. उत्तर प्रदेश	42,000	400	25,000	—
15. पश्चिम बंगाल	51,200	—	25,000	—
योग	2,04,580	1,850	1,17,000	—

Demands made during farmers' council on 11th March, 1978

7907. **Shri Dharmasinbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in the Ministry of Agriclture and Irrigation attended the Farmers' conference organised by the Gujarat Farmers' council in Bardoli on the 11th March, 1978 and if so, the details of resolution adopted in theConference and nature of demands submitted to Government ; and

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government on these demands and when indicating the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir. One resolution was regarding affilitation of the Gujarat pany and the third was about the instability of price received by cotton growers.

(b) The matter for the supply of defective Tractors was referred to the Ministry of supply. As regards instability of price of cottno, the matter is under consideration.

Government Employees living in Government Houses, while owning

7908. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the department-wise number of officers who are living in Government quarters though they have their own houses and the number of officers who have rented their houses for Government offices and the amount of rent being received by them; and

(b) the rent at market rates of the quarters which they are living and the amount of rent being charged from them including that on furnitures and decorations ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Propagation of work in Hindi in the Ministry

7909. **Shri Birendra Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of class I and class II officers and employees engaged in propagation of Hindi and publication of Hindi literature in his Ministry and its attached and subordinate offices, their conditions of service and the qualifications in Hindi of the officers having administrative control on them ;

(b) whether it is a fact that some administrative officers having little knowledge of Hindi do not understand the problems of the employees doing Hindi work and of the Hindi sections, due to which employees doing Hindi work have to encounter a good deal of inconvenience ; and

(c) the department-wise details of the steps taken to remedy this situation and to keep the employees doing Hindi work under the control of the senior Officers of Hindi ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) The Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Survey of Water Logged areas in Terai of U.P.

7910. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Agricuture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Geological survey of India has conducted a survey of the water logged areas in the Terai areas of Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the full details of the report in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

मत्स्य नौकाओं का आयात

7911. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित रक्षा शिपयार्ड द्वारा देश में ही मत्स्य नौकाओं के निर्माण की इच्छा प्रकट करने के बावजूद सरकार ने मत्स्य नौकाओं का आयात करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : : (क) और (ख) : 200 मील के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता और अन्य देशों को हमारे संसाधनों को उपयोग में लाने से रोकने के विचार से भारत सरकार ने जनवरी, 1977 में आयात, चार्टर संयुक्त उद्यम और देशी निर्माण द्वारा 140 अतिरिक्त मछली पकड़ने के पोतों को शुरू करने का निर्णय लिया था । एक अन्तर-मंत्रालयीय बैठक में जिसमें रक्षा उत्पादन, आर्थिक कार्य, भारी उद्योग विभागों और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि थे, 40 जलयानों का देश में ही निर्माण करने के लिये विचार कया गया था, जिसमें से 30 पोतों के लिए उन पार्टियों द्वारा आदेश दिए जाने थे, जिनको इस योजना के अन्तर्गत अपने वायदे को पूरा करने के लिए मैक्सीकन ट्रालर्स आयात करने की अनुमति दी गई थी। स्थिति की आवश्यकता, देशी निर्माण की तत्काल सम्भाव्यताओं और अन्य सम्बद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित विभागों से सलाह करके मछली पकड़ने के जलयानों को आयात करने का निर्णय लिया गया है ।

Land Erosion

7912. **Shri Amarsinh V. Rathwa** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the fast land erosion in the Adivasi areas (extensions) is rendering the fertile land useless and whther there is any Scheme to accord priority to check the erosion thereof ; and the amount of expenditure proposed to be incurred thereon ; and

(b) whether any scheme has been formulated to check the land erosion in the Adivasi areas or in the low-yielding areas ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) Yes, Sir. Among other sectors, land development and soil conservation is given priority in tribal areas of the States. A tentative outlay of Rs. 11.26 crores is expected for 1978-79 on land development and soil conservation programmes under Tribal Area Development Programme Tribal Sub-Plan and centrally sponsored scheme of soil conservation in the catchments of river valley projects. In addition, a Central Sector scheme of Pilot Projects for Control of Shifting Cultivation has been launched from August, 1977 with 100 per cent Central assistance in the States/ Union Territories of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Orissa with a view to control soil erosion by weaning away the tribal population from the ppractice of shifting cultivation. Tentative allocation of Rs. 90 lakhs has been proposed for 1978-79 under this scheme.

Religious and Historical Places of Ancient Culture

†7913. **Shri Amarsinh V. Rathwa** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of centrally protected religious and historical places of ancient culture in India and full details thereof ;

(b) the expenditure proposed to be incurred on repairs, protection and development of those religious and historical places of ancient culture and the names of those places ;

(c) whether the Central Government have any scheme to renovate religious and historical places of ancient culture and if so, the names thereof and the expenditure involved therein indicating full details in this regard ; and

(d) the details of the programme chalked out to include those places of ancient culture in the course taught in schools ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander) : (a) The number of centrally protected monuments and sites in India is 3472.

(b) The expenditure proposed to be incurred on repairs and developments of centrally protected monuments and sites during 1978-79 is Rs. 2,17,94,000.

A list giving the names of places where these monuments are situated is appended. [Placed in Library See No. L.T.—2179/78].

(c) Under the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 the Central Government undertakes the repairs and development of all the centrally protected monuments and sites.

(d) There is no programme to include the preservation and development of monuments and sites in the course taught in schools.

दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति

7914. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त सम्पत्तियों को गन्दी बस्ती विभाग के साथ दिल्ली नगर निगम को अन्तरित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक सम्पत्तियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है और गत अनेक वर्षों से मरम्मत तक नहीं की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सम्पत्तियों को इनमें रह रहे व्यक्तियों को बेचने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री राम किंकर**) : (क) से (ङ) : दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन कुल 16541 निष्क्रान्त सम्पत्तियां अर्जित की गई थीं। इनमें से 12041 सम्पत्तियों का निपटान हस्तान्तरण/नीलाम द्वारा किया गया था, 3200 सम्पत्तियां दिल्ली नगर निगम को गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन हस्तान्तरित कर दी गई थीं और लगभग 1300 सम्पत्तियों का निपटान करना शेष है। अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि शेष उपलब्ध सम्पत्तियों को, "जैसी हैं, जहां हैं, के आधार पर" कुछ शर्तों के अधीन उनके वर्तमान कब्जेदारों को पेशकश करके निपटान कर दिया जाए ।

गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन निगम को हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियां, गन्दी बस्ती सफाई विभाग सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण को फरवरी, 1974 में हस्तान्तरित कर दी गई थी। निष्कान्त सम्पत्तियां जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं और जो गन्दी बस्ती विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है, वे दिल्ली नगर निगम को इसलिए हस्तान्तरित नहीं की गई हैं कि उन्हें उनके वर्तमान कब्जेदारों को पेशकर के अलावा से तत्काल निपटान किया जा सके। इन सम्पत्तियों की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी गन्दी बस्ती विभाग को है जो कि उनका किराया वसूल कर रहा है।

नई दिल्ली स्थित गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यताप्राप्त स्कूल

7915. **श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे मान्यताप्राप्त स्कूल कितने हैं जो सहायता-प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) ऐसे स्कूलों में पढ रहे बच्चों के मापा-पिताओं/संरक्षकों के तथा ऐसे स्कूलों के अध्यापकों के सामने क्या कठिनाइयां और समस्याएं हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों में बदलने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) (मिडिल और माध्यमिक विद्यालय) :

(ख) समय समय पर की गई शिकयतें के अनुसार इन विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस अत्यधिक है और इन विद्यालयों द्वारा नियुक्त अध्यापक भी अपनी सेवा शर्तें से सामान्यत सन्तुष्ट नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) स्कूल सहित किसी भी प्राइवेट संस्था को सहायता लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तथापि मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय यदि सरकार से वित्तीय सहायता लेना चाहते हो तो वे सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास आवेदन भेजने के लिए स्वतन्त्र हैं।

कान्वेन्ट/पब्लिक स्कूलों को विदेशी मिशनों, एजेन्सियों से धन प्राप्त होना

7916. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कान्वेन्ट/पब्लिक स्कूल विदेशी मिशनों एजैन्सियों आदि से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त कर रहे हैं और यदि हां तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या है ; और

(ख) क्या देश में समान प्राथिमिक शिक्षा पद्धिति आरम्भ करने के लिए सरकार ने इन स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने हेतु किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार द्वारा कान्वेन्ट /पब्लिक स्कूलों को लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार को दी गई कानूनी राय के अनुसार ऐसे कान्वेन्ट /पब्लिक स्कूलों को, जिन्हें अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित किया जाता

है, नियंत्रण में लेने की किसी भी ऐसी कार्यवाई से भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (झ) का अतिक्रमण होगा और गैर-अल्पसंख्यकों के स्कूल के मामले में किसी भी ऐसे कदम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (छ) का सधारणत: अतिक्रमण होगा।

Alleged bungling in publication of text books

†7917. **Shri Hahi Lal:** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item regarding bungling of lakhs of rupees in the publication of text books appearing in the Nav Bharat Times, dated 23rd February, 1978; and

(b) if so, Government's reaction thereto and measures adopted and proposed to be adopted to check such sort of corruption?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) Government have seen the news item which relates to the publication and distribution of new 10+2 textbooks of NCERT. The revised edition of textbooks in Physics, Chemistry, Biology and Mathematics had to be brought out due to substantial change in contents and in the emphasis and organisation of the material. The revised edition of two Geography books for classes IX-X had to be undertaken as these are entirely different from earlier books. The revised edition of language books in Hindi and Sanskrit for classes IX-X have not yet been published. Sufficient notice of the change in textbooks for classes I, III. VI, IX and XI for the session 1977-78 was given to the various Boards of Secondary Education and the Publications Division of the Information and Broadcasting, the national distributors for NCERT text books and other publications. Regarding new books for Classes IX-X, a letter was sent to the Sales Emporia of Publications Division in November, 1976. Further, in January 1977 NCERT advertised the change over to the new books in leading newspapers all over India.

Since the publication and distribution of new textbooks was a gigantic task the NCERT had to entrust its 50 new textbooks to private publishers for publication and distribution on its own schedule of printing rates and according to approved pricing formula. Regarding the distribution of NCERT Text-books assigned to the private publishers, each private Publisher has his own distribution network and the books are distributed by the publishers themselves to the retail trade.

Zamindari System in States

7918. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Zamindari System still exists in some of the States in some parts of the States in the country;

(b) if so, the names of the States and the places in the States where this social evil exists and the reasons for not achieving it so far; and

(c) when this evil system is likely to be abolished in the country ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (c) Before Independence, permanently-settled Zamindari system obtained in Bihar, West Bengal and parts of Andhra Pradesh, Assam, Orissa and Tamil Nadu. Temporarily-settled Zamindari system obtained in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and parts of Assam, Orissa and Rajasthan. Immediately after Independence, high priority was given to the abolition of Zamindari-system and the Zamindari system as such for all practical purposes has been abolished and more than 20 million cultivators have been brought in direct contact with the State. Of the remnants of intermediary system, a few jagirs and inams continue. The details are being collected and steps are being taken for their abolition.

Break-up of category of farmers in States

7919. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise categories of farmers such as landlords, sharecroppers, adivasis and other farmers in the country ; and

(b) whether the Central Government propose to advise the State Governments to make statutory arrangements for charging uniform land revenue from the same category of farmers in all the States ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Information about cultivators, including Adivasi-cultivators is available in the General Census Report of 1971. Information on lease-holds is from the Agricultural-Census of 1970-71. Two statements are accordingly appended.

(b) The subject of land revenue assessment comes under the purview of State Governments as per the Constitution. The land-revenue is fixed at the time of settlement or resettlement generally on the basis of the productivity of land, after taking into consideration such factors as soil classification, irrigation facilities, nature of crops grown etc.

The rate of land revenue is related to the land and not to the persons owning, or holding it, and is generally payable only by the 'raiyat' or 'landholder' and not by sharecroppers, etc.

Statement I
1971 Census —Cultivators

States	Total		Scheduled Tribes (Adivasis)	
	Male	Female	Male	Female
INDIA	68,910,236	9,266,471	6,749,580	1,668,911
Andhra Pradesh	4,78p,487	1,009,214	223,350	58,889
Assam	2,299,503	110,847	395,043	79,023
Bihar	7,156,192	423,556	927,044	134,518
Gujarat	3,173,204	446,793	570,020	158,360
Haryana	1,261,054	41,554	—	—
Himachal Pradesh	589,555	313,718	32,690	24,937
Jammu & Kashmir	832,544	57,447	—	—
Kerala	1,039,331	67,332	17,824	1,989
Madhya Pradesh	6,537,112	1,547,631	1,648,671	423,559
Maharashtra	4,919,924	1,617,451	403,867	157,267
Manipur	167,038	81,442	62,457	67,271
Meghalaya	176,144	132,834	160,448	129,046
Karnatka	3,596,610	476,269	20,557	5,0,2
Nagaland	98,474	104,867	97,229	104,622
Orissa	3,219,678	148,347	862,543	63,021
Punjab	1,661,020	4,133	—	—
Rajasthan	4,570,690	654,606	477,725	87,902
Tamil Nadu	4,026,578	581,209	50,695	11,003
Tripura	219,251	16,041	93,551	13,571
Uttar Pradesh	14,515,674	1,282,192	96,978	16,626
West Bengal	3,842,793	112,117	275,926	20,735
A. & Nicobar	6,166	102	2	—
Arunachal Pradesh	105,903	105,257	98,557	101,077
Chandigarh	2,494	12	—	—
Dadra N. Haveli	14,670	10,678	13,937	10,344
Delhi	31,447	749	—	—
Goa Daman & Diu	45,586	19,524	462	139
Lakshadweep	4	—	4	—
Pondicherry	16,160	549	—	—

Statement
Agricultural Census—1970-71

State	No. of leased-in operational holdings	
	Partly owned & Partly rented.	Wholly taken on rent.
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	3,56,307	3,06,975
Assam	1,67,698	3,05,781
Bihar	13,576	16,733
Gujarat	45,490	31,501
Haryana	60,609	1,09,024
Himachal Pradesh	1,45,518	86,760
Jammu& Kahsmir	2,02,560	2,27,746
Karnataka	1,63,866	2,33,176
Kerala	77,188	1,88,846
Mahdya Pradesh	62,123	46,912
Maharashtra	2,51,505	1,51,418
Manipur	4,831	3,066
Meghalaya	23,400	24,950
Nagaland	2,936	—
Orissa	1,67,260	1,02,503
Punjab	84,631	1,79,340
Rajasthan	1,91,053	2,02,980
Tamil Nadu	2,49,808	(Included under 2)
Tripura	32,472	55,673
Uttar Pradesh	74,535	(Included under 2)
West Bengal	5,10,974	89,515
A. & Nicobar	323	323
Arunachal Pradesh	154	10
Chandigarh	226	531
Dadra & N. Haveli	642	6,935
Delhi	1,677	4,333
Goa Daman & Diu	16,402	37,363
Lak-sha dweep	2,446	5,820
Pondicherry	2,246	5,820
INDIA	27,63,000	28,38,00?

Re-Disturbances in the Precincts of Shah Commission

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : Three letters have been received by us. It has been threatened that Justice Shah would be killed on 22nd. Such letters have been handed over to the Home Minister, but no action has been taken.

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमांड हार्बर) : शनिवार को वकीलों का रवैया आपत्तिजनक था। और **संजय गांधी.....

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Unsocial persons were posted in a pre-planned and pre-though manner at the premises of Shah Commission. The same drama is played at Tis Hazari Court. Even the police does not act. Even if it is

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

Sanjay Gandhi or Indira Gandhi. (*Interruptions*).

Nobody is entitled to create hindrance, in the working of courts or commissions of enquiry. These people want to create anarchy in the country. I want to give notice that either the police should act or else we would have to take action.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले ही नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : स्टेशन मास्टरों ने कार्य पर हड़ताल कर रखी है। रेलवे प्रशासन उन्हें दबाने के यत्न में है । यह अत्यन्त विषम-स्थिति है । इसका समाधान किया जाना चाहिए । आन्दोलन एक सप्ताह से चल रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 22 अप्रैल 1978 को शाह आयोग के कक्ष में, श्री संजय गान्धी, श्रीमती मेनका गान्धी, उसकी सास, तथा श्री खुशवन्त सिंह ने बहुत से गुंडों की मदद से उपद्रव की स्थिति पैदा कर दी थी। उपद्रव के बाद शीशे टूटे हुए थे तथा फर्नीचर नष्ट कर दिया गया । पुलिस ने केवल 8 गुंडों को पकड़ा शेष के जाने दिया गया । दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार सभा को आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होने दी जायेंगी।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : नियम 377 के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जीरो आवर को रोजमर्रा का कार्य बना दिया है ।

क्या नियम 56 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदस्य पूरा पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा उद्देश्य यही है कि नियम 377 के अधीन कार्यवाही को व्यवस्थित करना है। यह नियमों के अनुसार है ।

श्री बसन्त साठे : जब यह पता चला कि शाह आयोग में संजय गान्धी पेश होंगे, इसलिए कुछ गुंडे लोग पहले से ही वहां पर उपस्थित थे। संजय गान्धी के आते ही इन लोगों ने मुक्के-बाजी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि यह लोग कौन हैं ? वहां बैठे लोग **....

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री बसन्त साठे : यह आर० एस० एस० के व्यक्ति थे जिन्होंने पहले कुलपति को पीटा था। यही लोग शाह आयोग में गुंडापन फैला रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : :इसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री बसन्त साठे : **

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब एक पक्ष एक बात कहता है तो दूसरे को अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री बी० पी० मंडल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 352 के अधीन ऐसे मामले को नहीं उठाया जा सकता जो न्यायालय में पड़े हों।

**अध्याक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the chair.

श्री साठे ने शाह आयोग का मामला उठाया है । **

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री बसन्त साठे : श्री संजय गान्धी गवाही देने के लिए वहां गये थे। उन्होंने उसे पीटने की चेष्टा की । क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि उन्हें संरक्षण दिया जाये **

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता।

श्री बसन्त साठे : श्री शाह श्री संजय का संरक्षण देने में विफल रहे हैं । पुलिस तथा श्री चरण सिंह मिले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले संजय पर हमला करने गये थे ।

दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टरों द्वारा कामबन्दी के बारे में
RE-STAY IN SHUTTLE BY STATION MASTERS ON THE SOUTHERN RAILWAY

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैंने रेल दुर्घटना के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। मैं समझती हूँ कि रेल मंत्री हस्ताक्षेप करके स्टेशन मास्टरों के आन्दोलन का समाधान निकालेंगे। स्टेशन मास्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है । मंत्री महोदय कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें।

श्री ओ० वी० अलगेसन (अकोनस) : मैं श्री कल्याण सुन्दरम तथा श्रीमती पार्वती कृष्णन के साथ सहमत हूँ। स्टेशन मास्टरों के आन्दोलन से यात्रियों को बहुत कठिनाई हुई है । मुझे पता चला है कि दक्षिण रेलवे के 150 स्टेशन मास्टरों को निलम्बित कर दिया गया है तथा 37 स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को गिरफ्तार किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही ध्यान दिलाया है ।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : The House should take serious note of the situation developing in Delhi courts for the last one month. I have received a letter saying that disorder would be created in the Shah Commission as well as the Tis Hazari Courts. I have shown the letter to the Prime Minister, the Home Minister and brought it to the knowledge of I.G.P. yet these elements come to the courts in a planned manner and tried to disrupt their work. Government should take strong action against those who want to create chaotic condition in the country.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
Papers laid on the Table

वर्ष 1978-79 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्री मोरार जी देसाई की ओर से : (1) वर्ष 1978-79 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-2152/78]

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunched as ordered by the chair.

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन में रूपभेद के बारे में विवरण

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन में कतिपय रूपभेदों सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-2153/78]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975-76 के लेखे, सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, के लेखापरीक्षित लेखे

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरुआ) : मैं **श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र** की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :—

(3) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण)* की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2154/78)

(4) (एक) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1975-76 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2155/78]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2156/78]

इस्पात और खान मंत्रालय का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुन्डा): मैं वर्ष 1978-79 के लिए इस्पात और खान मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2157/78]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी संशोधन, नियम, 1978, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (7वां संशोधन) नियम, 1978 आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ —

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी पहला संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति, जो दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सा० सां० नि० 228(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2158/78]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 473 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2159/78]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 229(ङ) तथा 230(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2160/78]

(10) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1978 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(52)/77-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।
(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2161 78)

(11) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन (अप्रैल, 1977) (हिन्दी संस्करण**) की एक प्रति।

(12) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन (भाग 1) (अक्तूबर 1977) (हिन्दी संस्करण**) की एक प्रति।

(13) उपर्युक्त (11) और (12) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करणों के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2162/78]

(14) वर्ष 1978-79 के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2163/78]

(15) वर्ष 1978-79 के लिए संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी-2164/78)]

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (43वां संशोधन) विधेयक, 1977 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

18 अप्रैल, 1978 को बम्बई के निकट हुई रेल दुर्घटना

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : Sir, I call the attention of the Ministry of Railways to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"Serious train accident near Bombay on 18th April, 1978".

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि बम्बई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बमई रोड स्टेशन के निकट 18-4-78 को लगभग 20.07 बजे 7-डाउन बम्बई-अहमदाबाद जनता एक्सप्रैस और 537 डाउन चर्चगेट-विरार स्थानीय बिजली गाड़ी के बीच हुई टक्कर के सम्बन्ध में 19 अप्रैल, 1978 को सदन में, मेरे सहयोगी रेल राज्य मंत्री द्वारा एक बयान पहले ही दिया जा चुका है।

इस दुर्घटना के दुखद समाचार के मिलते ही सहायता सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करने और दुर्गटना की परिस्थितियों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए मैं 19 अप्रैल, को प्रातः दुर्गटना स्थल के लिए रवाना हो गया था।

स्थानीय गाड़ी को चर्चगेट-विरार स्वचल दोहरी लाइन विद्युतीकृत खंड पर नैगांव और बसई रोड स्टेशनों के बीच फाटक सं० 36 बी के फाटक सिगनल के समीप रोक लिया गया था। क्योंकि एक गैंगमैन ने जिसने पटरी की झलाई में कुछ खराबी पायी थी, खतरे का संकेत दिया था। जब स्थानीय गाड़ी चलने वाली थी तब जनता एक्सप्रैस पीछे से आयी और स्थानीय गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी, जिसके फलस्वरूप स्थानीय गाड़ी के सबसे पीछे वाले दो सवारी डिब्बे एक दूसरे में धंस गये। यह बड़े अफसोस और दुख की बात है कि इस दुर्धटना में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें 29 महिलाएं और एक पुरुष था, और 60 व्यक्ति घायल हुए। घायल व्यक्तियों को बम्बई और बेसिन स्थित विभिन्न अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है।

दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर मैंने तत्काल ये आदेश दिये कि पोस्ट मार्टम की सख्त प्रक्रियाओं में देर न लगे और संतप्त परिवारों को लाशें शीघ्र दे दी जाये। यह काम उसी दिन दोपहर एक बजे तक पूरा हो गया था। मैं उन सभी अस्पतालों में गया जहां घायल व्यक्ति भर्ती थे और उनकी की जा रही चिकित्सा के बारे में पूछताछ की। मैंने विभिन्न अस्पतालों के प्राधिकारियों को आदेश दिये कि घायलों की अच्छी चिकित्सा की जाये और यह कि उनकी दवा दारू और उपचार पर होने वाला तमाम

खर्च रेल विभाग वहन करेगा। यह जानकर कुछ सान्त्वना मिली है कि सभी घायल व्यक्तियों की हालत सुधर रही है और दुर्घटना की तारीख से अब तक अस्पतालों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

चूंकि बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त पश्चिम अंचल ने जो पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, 21 अप्रैल से इस दुर्घटना की सांविधिक जांच शुरू कर दी है, अतः मैं दुर्घटना के बारे में विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन, यह कहना चाहूंगा कि इस दुर्घटना में किसी तोड़-फोड़ का सन्देह नहीं है।

दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान मैंने दुर्घटना के बाद राहत कार्यों की शुरूआत के बारे में पूछताछ की और यह पाया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर बम्बई सैन्ट्रल और बान्द्रा रेलवे स्टेशनों से चिकित्सा और सहायता गाड़ियां दुर्घटना स्थल पर पहुंच गयी थीं। इस बीच, पश्चिम रेलवे का एक मंडल, चिकित्सा अधिकारी कुछ मिनटों के भीतर ही वहां पहुंच गया था और उसके तत्काल बाद कुछ स्थानीय डाक्टर भी वहां पहुंच गये थे।

चिकित्सा और सहायता कार्यों में स्थानीय डाक्टरों तथा समीप की बस्तियों के निवासियों ने बहुमूल्य सहायता दी।

मृतकों के रिश्तेदारों को तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी थी और आनुषंगिक खर्च के लिए कुल मिलकर 60,400 रुपये का भुगतान किया गया था। यह राशि दावा आयुक्त द्वारा दावों की जांच पड़ताल के बाद हताहतों को दी जाने वाली सामान्य क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को 50,000 रु० का और घायलों को चोट की प्रकृति के अनुसार निर्धारित दरों पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस दुर्घटना के होने से कुछ दिन पहले मैंने सदन में पिछले तीन महीनों में रेल दुर्घटनाओं में कमी के रुख का और विशेष रूप से रेल-पथ पर गश्त करने के कारण तोड़-फोड़ की वजह से दुर्घटनाओं की पूर्ण रूप से समाप्ति का जिक्र किया था। खेद का विषय है कि यह दुर्घटना उस समय हुई जबकि स्थिति में सुधार होना आरम्भ हुआ ही था। इससे केवल यह पता चलता है कि अभी भी भारी सतर्कता की आवश्यकता है। शोक सन्तप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हुए, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि रेलों पर संरक्षा उपायों में और अधिक कड़ाई बरतने में कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

Shri Harikesh Bahadur : We cannot close our eyes towards the increasing number of rail accidents. My experience is that that all the Government officers of Railway Department are not working efficiently. It is unfortunate that all the officers of Railway Administration have turned corrupt and dishonest. I would request the hon. Minister to re-structure the Railway Board so as to streamline the Railway Administration.

Official of P.A.C. and G.R.P., who are posted in the train for the security of passengers work carelessly. I hope that the hon. Minister will pay its attention towards the deteriorating position of Railway Administration.

I want to make one more suggestion that the Chairman of the Railway Board should be a public man. There should be some members in the Railway Board from public.

Prof. Madhu Dandavate . Attention will be paid to the complaint made by the member. Additional Commissioner, Railway safety is conducting enquiry into this accident. I assure the hon. member if any officer is found guilty for this accident, we will take strong action against him. No body will be condoned.

I also visited that place and I saw that signals were properly working. The drivers might be wrong to some extent, but it can not say anything definite, because the enquiry is going on. The persons found responsible for this accident will be severly punished.

श्री आर० के० महालगी : (थाना) : यह भयानक रेल दुर्घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है जिसमें रेल सम्पत्ति का मृतकों के संबन्धियों को दिया जाने वाला मुआवजा भी सम्मिलित है

दूसरे क्या यह सही है कि घायलों में से अधिकांश लोगों की टांगे टूट गईं ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना की जांच कब तक पूरी हो जायेगी और क्या दुर्घटना के कारणों से सभा को अवगत किया जायेगा ? चौथी बात यह है कि क्या इस दुर्घटना को रोका जा सकता था ? मंत्री जी ने कुछ महीने पहले एक उच्च शाकि दुर्घटना जांच समिति नियुक्त की है यह समिति रेल मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन पेश कब करेगी ताकि समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुल कितनी हानि हुई है। मैं उन्हें बता दूं कि कुल हानि 8.28 लाख रुपये की हुई है जहां तक मुआबजा देने का संबन्ध है, दावा आयुक्त द्वारा दावों की पुष्टि करने के पश्चात् मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। सामान्यतः अधिकतम मुआवजा 15 लाख रुपये दिया जाता है। मृतकों के अतिरिक्त घायलों को भी कुछ मुआवजा दिया जाता है।

रेल सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने घोषणा की है कि दस दिनों के अन्दर एक अंतरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया जायेगा जब अंतरिम प्रतिवेदन आयेगा तो मंत्री उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे।

लोक सत्ता में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उस पर मैंने ध्यान दिया है और उसका अनुवाद करके उसके उद्धरण मैंने संविधि आयोग को भेज दिए हैं। मैंने अधिकारियों से समग्र जानकारी इकट्ठी करने तथा उसे आयोग को सौंपने के लिए कहा है।

दुर्घटना जांच समिति के अध्यक्ष इन्यायमूर्ति श्री सिकरी हैं। स समिति ने तेजी से अपना काम करना आरम्भ कर दिया है। इस समिति में संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्य, कुछ वैज्ञानिक, कुछ क्नोलॉजिस्ट तथा रेल अधिकारी हैं

Shri Ram Vilas Paswan (Hazipur) : The Hon. Railway Minister furnished figures about the railway accidents on the 16th November, 1977. According to him during the period from April to October 1977, 202 people died, 505 people injured and 515 train accidents took place. At the same time the Hon. Minister assured the other House that detailed enquiry will be conducted of all the train accidents. The Minister has taken a number of steps to check the railway accidents, but even then these accidents are taking place. The Minister should tell the House as to what are the reasons of these accidents. I agree, you are doing your best to check these accidents, but even then the accidents are taking place. I want to know whether saboteirs have hand in these accidents ?

So far as officers are concerned, I have told you a number of trains that your implementing machinery is same, which was in the past during the Congress regione you formulate new schemes, you evolve new policies, but they do not implement them properly. Therefore, I want to tell the Minister that if any officer is found guilty, the enquiry against him should not be conducted by another officer, but there should be some other agency to enquire into that. At present you simply dismiss the person responsible for train accident. The punishment is not enough. Such person should be given capital punishment. Some rule should be framed in this regard.

Prof. Madhu Dandavate : Action has been taken against 328 railway employees during the Calendar year 1977 for all the train accidents took place uptil now.

So far as Capital punishment is concerned, the Additional Commissioner of Railway safety fixes the responsibility. But if there is some criminal offence, there is another way to take action in such cases.

There are two reasons of accidents. The first reasons is the activities of sabotage and the second reasons is failure on the part of the railway employees. To check the accidents caused by sabotage, we have deployed 25,000 patrolling men along with railway track.

I do not want to fix responsibility on any body. The ex-railway Minister is present here. He knows that there is need for renewal of 5500 route kilometre railway track. The defective railway track sometimes becomes cause of the accident. Besides this, the maintenance is also absolutely necessary. For this purpose we need 570 crores of rupees. I have we will get more funds through Planning Commission so that we may take in hand the renewal work of railway tracks.

The traffic density has considerably increased for the last 30 years. In 1952-53, there was 304.1 million train kilometre traffic and in 1977 it has increased to 525.85 million train kilometre. I am not satisfied merely with bringing down the accidents in the last 25 years by 50 per cent. I will be happy if the accidents are completely eliminated. We have a very complex railway system. 11,000 trains are running every day. We are trying our best to bring down the number of accidents.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : (बडागरा) : हम अन्य बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हमतो यात्रियों की सुरक्षा चाहते हैं । यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है

उन्होंने जो आंकड़े आदि दिए हैं, उनसे वह हमें यह विश्वास नहीं दिला सके कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। उनकी कार्य पद्धति पूर्णतया असफल रही है । इस मामले में अग्नि शमक दल वहां कई घंटों तक नहीं पहुंचा पहले तो रेल कर्मचारियों ने कहा कि अग्नि शमक दल की कोई आवश्यकता नहीं थी किन्तु बाद में उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हुई चिकित्सा गाड़ी जो बांद्रा स्टेशन से वहां 45 मिनट में पहुंच सकती थी, वह 4 घंटे बाद पहुंची। ये महत्वपूर्ण बातें हैं इससे पता चलता है अकस्मात घटने वाली घटनाओं के मामले में आपकी पद्धति तत्काल कैसे कार्य करती है ।

दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण भी हो सकती हैं तथा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भी हो सकती हैं । कर्मचारियों की असफलता का एक कारण उन पर अधिक कार्य का दबाब भी हो सकता है । उनकी कार्य करने की दशाएं संतोषजनक नहीं हैं । भारतीय रेल प्रशासन की यह परम्परा रही है कि उन्होंने कभी भी कर्मचारियों की दशा पर ध्यान नहीं दिया । यदि कर्मचारियों से अधिक घंटे काम लिया जायेगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमता कम होगी इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी अधिक लोगों की भर्ती करेंगे ? क्या वह काम के घंटे कम करके 8 घंटे करेंगे ? ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हों। क्या वे कार्मिक संघों के नेताओं, संसद सदस्यों, सामाजिक तथा अन्य संस्थाओं के यात्रियों की सुरक्षा से हमेशा के लिए सम्बद्ध रखेंगे जिससे इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि दुर्घटनाओं के प्रति मैं उदासीन नहीं हूं। एक प्रकार की दुर्गटनाओं पर तो काबू पा लिया गया है परन्तु दूसरी अभी भी बनी हुई हैं।

जहां तक लोको रनिंग कर्मचारियों के कार्य के घंटों का सम्बन्ध है उन्होंने 10 घंटे का कार्य करने के लिए समझौता कर लिया है । लेकिन लोको रनिंग कर्मचारियों की और बहुत सी कठिनाइयां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जहां तक कार्मिक संघों तथा अन्य एजेंसियों का दुर्घटनाओं की समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास करने वाले संस्थानों के साथ संगठन करने का सम्बन्ध है, हमने कार्मिक संघों से अपने मत व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया है । सभी कार्मिक संघ हमें अपना पूर्ण सहयोग और ठोस सुझाव दे रहे हैं कि दुर्घटनाएं किस तरह रोकी जा सकती हैं

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

7वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमड हार्बर) : मैं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम —अन्तर्देशीय जल परिवहन, उद्देश्य और नदी सेवाएं— पर सरकारी, उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कुछ दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने के बारे में की गई मांग के बारे में अध्यक्ष का विनिर्णय

SPEAKER'S RULING RE-DEMAND FOR LAYING CERTAIN DOCUMENTS ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय की मांगों पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में जब यह कहा था कि श्री भुट्टो तथा श्रीमती गांधी के बीच हुई शिमला वार्ता में एक गुप्त समझौता हुआ था, तो उस समय सदन के अनेक सदस्यों ने उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की मांग की जिसके आधार पर विदेश मंत्री ने यह कहा था। अपनी मांग के समर्थन में कुछ लोगों ने नियम 368 को उद्धृत किया जो कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 370 को उद्धृत किया। मंत्री तथा कई अन्य सदस्यों की धारणा थी कि इन दोनों में से किसी भी नियम के अन्तर्गत मंत्री महोदय को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । मंत्री महोदय ने आगे बताया कि उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना भी लोकहित में नहीं होगा ।

मेरा भी यही विचार है कि नियम 368 के अन्तर्गत सभापटल की मेज पर दस्तावेजों को रखने की मांग नहीं की जा सकती । नियम 368 को लागू करने से पूर्व मंत्री महोदय को राज्य के किसी दस्तावेज का हवाला देना होता है। प्रस्तुत मामले में मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य के दस्तावेज का हवाला नहीं दिया है। यदि हमारे समक्ष मंत्री महोदय ने राज्य के किसी दस्तावेज का हवाला दे भी दिया होता, तो भी यह मामला नियम 368 के उपबन्ध (2) के अन्तर्गत आता, मन्त्री महोदय ने कोई हवाला नहीं दिया है। मंत्री महोदय ने तो केवल अपने शब्दों में उस राज्य को दस्तावेज का सारांश प्रस्तुत कर दिया जिसे कि उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने किसी पत्र का हवाला नहीं दिया है। अतः नियम 368 को इस मामले से सम्बद्ध बच्चों के सन्दर्भ में यहां बिलकुल लागू नहीं किया जा सकता ।

जहां तक नियम 370 का सम्बन्ध है, इसे तभी लागू किया जा सकता है जब कि मंत्री महोदय ने सरकार के किसी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा दिये गये परामर्श या राय को प्रकटन किया है। प्रस्तुत मामले में मंत्री महोदय ने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई राय या परामर्श का प्रकटन भी नहीं किया है दूसरी ओर मंत्री महोदय ने तो विभिन्न दस्तावेजों के अध्ययन तथा विभिन्न लोगों के साथ हुई अपनी बातचीत के आधार पर, कुछ अपने ही निष्कर्षों के आधार पर यह बात कही है। अतः नियम 370 को भी इस पर लागू नहीं किया जा सकता।

यह प्रश्न किन-किन परिस्थितियों में मंत्री महोदय को उस दस्तावेज को सभापटल पर रखना पड़ता है जिसका उल्लेख उन्होंने सदन में उत्तर देते समय या चर्चा का उत्तर देते समय समय किया हो, ऐसा प्रश्न है जिस पर मेरे पूर्वाधिकारियों ने भी अनेक मामलों में अपने विनिर्णय दिये है। उनका निरन्तर यह मत रहा है कि इस बात का निर्णय करने का पूरा दायित्व सरकार या सम्बद्ध मंत्री को ही होता है कि किसी दस्तावेज को सभापटल पर रखना लोक हित में होगा या नहीं। अतः सम्बद्ध दस्तावेजों को सभापटल पर रखने सम्बन्धी सदस्यों की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : नियम 370 की व्याख्या करते समय बहुत ही संकलित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों के आम हितों की अवहेलना की गई है। मंत्री महोदय ने सुनिश्चित रूप से यह कहा कि उन्होंने सभी सम्बद्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सम्बद्ध जानकारी वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत भी की है। यदि यह ठीक है तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री की पोल खोली जानी चाहिये। यदि यह सत्य नहीं है तो किसी को भी मंत्री द्वारा इस सदन का प्रयोग लोगों को धोखा देने वाली मंच के रूप में नहीं करने दिया जाना चाहिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बय्या : इस मामले में केवल देश के लोगों की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व की रुचि उत्पन्न हो गई है। अतः यह अनिवार्य है कि विदेश मंत्री इस मामले के बारे में देश तथा संसद् को अंधेरे में न रखे। यदि उनके पास इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सम्पूर्ण सदन तथा देश को उसके बारे में विश्वास में लेना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहाड़ी) : देश को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिये। संदेह की भावना उत्पन्न हो गई है अतः सरकार को विरोधी दल के नेता को अपने विश्वास में लेना चाहिये।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : इस बारे में पहले ही विनिर्णय है कि जब कभी सदन में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाये जो सदन में उपस्थित न हो तो उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति भी ली जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश मंत्री ने अध्यक्ष से इसकी मंजूरी ली थी।

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सदन में किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार से देशद्रोही का स्पष्ट आरोप लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नया प्रश्न उठाया गया है। मैंने इस पर विचार नहीं किया है। परसों किसी ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है और जब कोई दूसरा अवसर आये तो सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं और फिर मैं इस पर विचार करूंगा।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : It is not necessary to give notice of intention to level allegations against any former Minister or Prime Minister in the House because such allegations are levelled daily in the House. However, if some Member wants to level any allegation against any officers of the Government, such a notice is necessary.

About Simla Agreement, it had been reported in the press that the talks between the former Prime Minister and Shri Bhutto had failed but later on the agreement was signed. I would like to know as to how this happened.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the chair)

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULES 377

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कथित निर्णय

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : मैं पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर आसाम में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने के निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह न केवल उस क्षेत्र के लोगों के लिए ही बल्कि समूचे देश के लिए चिन्ता का विषय है।

इसके अतिरिक्त इस कदम से उस क्षेत्र के लोगों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो रही है कि केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं लेना चाहती क्योंकि सरकार का उस क्षेत्र के प्रति उपेक्षित रवैया अभी भी बना हुआ।

तत्काल कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि उस क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन न रुके या कम न हो। क्योंकि कच्चे तेल भण्डारों के समीप एक नई परिशोधनशाला का निर्माण किया जा रहा है। इससे उन पिछड़े क्षेत्रों को सहायता मिलेगी और देश के पेट्रो-रसायन उद्योग में इस क्षेत्र को भी स्थान मिल सकेगा।

(दो) राजकोट डीजल तेल इंजीनियरी उद्योग के समक्ष उपस्थित कथित निर्णय

Shri Dharam Singh Bhai Patel (Porbandar) : I want to draw the attention of the House to the crisis faced by the diesel oil engine manufacturing industry of Rajkot as a result of the cancellation by the U.P. Government and U.P. Land Development Bank of the quality mark of diesel oil engine manufactured in Rajkot.

About one lakh diesel oil engines are manufactured in Rajkot every year and 20,000 labourers are engaged in that industry. Out of this number, 30,000 are sold in Uttar Pradesh alone. Now the cancellation of the quality mark by the State Government with effect from 22-3-78 has created a difficulty for the small, factories of that region. The Rajkot Engineering Association has sent a telegram to the Central Minister of Industry asking for the continuance of the recognition. Let the Central Government issue necessary direction to the Government of U.P. and the Land Development Bank there so that the industry can be saved.

(तीन) केन्द्री भंवडागारण निगम, नई दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों द्वारा भूखहड़ताल किये जाने का समाचार

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : केन्द्रीय भांडागारण निगम, टेक खण्ड डिपो (ओखला, नई दिल्ली) में संविद् श्रम प्रणाली के अन्तर्गत इस डिपो की स्थापना के समय से बड़ी संख्या में गरीब श्रमिक खाद्यान्नों को लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं। संविद् श्रम (विनियम तथा उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार) यह प्रणाली 31 अक्तूबर, 1977 को समाप्त हुई है। 7 दिसम्बर, 1977 से ये श्रमिक एक के बाद एक भूख हड़ताल पर हैं।

श्रमिकों को उनकी मजूरी, जो कि लगभग 50,000 रुपये बैठती है, नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य अधिकार भी नहीं दिये गये हैं। जिससे इन लोगों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के अतिरिक्त कार्य ठप्प हो जायेगा

तथा कई जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी। कृषि मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए तथा उन्हें आश्वासन दिया जाना चाहिए कि जिन सुविधाओं के वे अधिकारी हैं, उन्हें वे सारी सुविधायें दी जायेंगी।

(चार) चुंगी समाप्त करने के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णय का समाचार

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : In the conference of the State Chief Ministers held in Vigyan Bhawan, New Delhi on the 18th January, 1977 the Transport Minister had given an assurance on behalf of the Central Government that fifty per cent of the loss to the States resulting from the abolition of Octroi would be made up by the Central Government by way of financial assistance. But this assurance is not being fulfilled. Madhya Pradesh has abolished octroi and as a result of it, the State Government has lost revenue worth Rs. 16.50 crores. According to the above assurance the Central Government should have given financial assistance to the State Government to make up that loss. But the matter is being delayed. This is not proper. It is the moral duty of the Cenral Government to give assistance to the State Government. The matter should be expedited.

(पांच) विशेषज्ञ समिति द्वारा ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये आगरा के ताप बिजली घरों को बन्द करने की सिफारिश

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह बात खेदजनक है कि प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि आगरा किले के निकट 10 मेगावाट के जो दो तापीय बिजली घर हैं वे सल्फर-डाईआक्साईड तथा अन्य प्रदूषण वस्तुओं द्वारा ताजमहल को खतरा पैदा कर रहे हैं। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि ताज के उत्तर-पश्चिम में कोई भी प्रदूषण पैदा करने वाला उद्योग स्थापित न किया जाये।

ताजमहल के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा सरकार के ताजमहल को सुरक्षित रखने के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि तापीय बिजली घरों को किसी दूर स्थान पर बदलने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये और हमारा यह सुझाव भी है कि कोयले पर आधारित लोकोमोटिवों को भी आगरा के मार्शलिंग यार्ड में काम करने की अनुमति न दी जाये।

अनुदानों की मांगें 1977-78

DEMANDS FOR GRANTS 1977-78—*contd.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGASION—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान को लेते हैं। श्री कासर।

श्री अमृत कासर : (पणजी) : मैं यह महसूस करता हूँ कि मत्स्य विभाग के साथ बहुत अन्याय हुआ है। काजू की फसल और नारियल के बागानों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

वर्ष 1977-78 के प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मत्स्य उत्पादन में गिरावट आई है और वर्ष 1976-77 के दौरान यह उत्पादन पहले तीन वर्षों की तुलना में कम था। इसका एक कारण प्रदूषण बताया जाता है। लेकिन इसका कारण प्रदूषण ही नहीं है। इसका मुख्य कारण इस

क्षेत्र में अत्यधिक यंत्रीकरण का होना है । रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मछली उत्पादन को बनाये रखने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । यह जनता सरकार की नीति है । सरकार श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देगी । जब मत्स्य उद्योग में यंत्रीकरण की नीति चल रही है तो क्या हम उस सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं ? यह यंत्रीकरण चल रहा है और राजसहायता, अनुदान तथा ऋण उन बड़े-बड़े व्यापार गृहों, खान मालिकों, बहु-राष्ट्रिकों आदि-आदि को दिये जा रहे हैं, जो ट्रालर खरीद सकते हैं। ये औद्योगिक गृह, खान मालिक तथा बहु राष्ट्रिक तो छोटी किश्तियां भी खरीदते हैं । ये इनसे मछलियां नहीं पकड़ते बल्कि झींगा मछली पकड़ते हैं, जिसका निर्यात होता है और महंगे दामों में बिकती है। नागरिक पूर्ति मंत्री ने कहा है कि श्रिम्पस, लैबर्स्टरप, प्रात आदि वस्तुओं का निर्यात होता है क्योंकि इनकी खपत देश के अंदर नहीं है । लेकिन इन वस्तुओं का निर्यात हमारी कीमत पर हो रहा है ।

मत्स्य सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार तथा राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार हिंद महासागर में मछलियों की 2000 किस्में हैं जबकि वाणिज्यिक कार्यों के लिये केवल एक दर्जन मछलियों की किस्मों का उपयोग किया जा रहा है । इनमें से दो तिहाई किस्में तटों के आसपास ही पायी जाती हैं और अब सारी यंत्रीकृत किश्तियां तटों के आसपास ही मछलियां पकड़ती हैं।

मत्स्यपालन अधिनियम 1893 बहुत पुराना है । जब यह अधिनियम पास किया गया था तो उस समय कोई भी यंत्रीकरण नहीं था और उस समय मछली का निर्यात नहीं किया जाता था । अतः इस अधिनियम को शीघ्र समाप्त कर दिया जाये । राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। यदि यह यंत्रीकरण अगले 5 या 6 वर्ष तक जारी रहा तो इसके बाद हमें कोई मछली नहीं मिलेगी और देश भर में इसकी कमी हो जायेगी।

राज सहायता उन्हीं लोगों को दी जाय जो परम्परा से यह धंधा करते आये हैं। यदि इन परम्परागत मछुओं को बचाना है तो एकाधिकार गृहों को तटों के निकट आने की अनुमति न दी जाये । इन मछुओं की सहकारी समितियों को भी राज सहायता दी जाये।

गोआ में पिछले दो वर्षों से लगातार काजू की फसल टूटती आ रही है । इस संघ राज्य क्षेत्र में 6000 से 8000 लोग काजू पैदावार का काम करते हैं । इस वस्तु के लिये कोटा सिस्टम लागू करने हेतु गत वर्ष वाणिज्य मंत्री को एक आवेदन पत्र दिया गया था जो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि गोआ की जनसंख्या का 1/8 भाग इस व्यवसाय पर निर्भर करता है ।

रिपोर्ट में नारियल बोर्ड के बारे कुछ नहीं कहा गया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने काजू पौधों की पोषक क्षमता को बढ़ाने के लिये अनुसंधान किया था। यदि केन्द्र द्वारा किए गए अनुसन्धानों को इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जाए तो काजू की फसल जीवित रह सकेगी और यह नष्ट नहीं होगी। वहां मुख्य समस्या अधिक वर्षा होना और मिट्टी का कम उपजाऊ होना है । अतः इस क्षेत्र की मिट्टी की जांच की जाए इसके लिए तटीय क्षेत्र में मिट्टी अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं जो समस्या का हल खोजा जाए । तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस दिशा में किया गया कार्य सराहनीय है । परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहा है, वहां अनुसंधान कर्मचारियों के बजाए प्रशासनिक कर्मचारी बढ़ाए गए हैं। इसे छोटे-छोटे एककों में बांट इसके काम को विकेन्द्रित किया जाए और उन्हें दो विभिन्न भागों में स्थापित किया जाए ।

Shri Y. P. Shastri (Rewa) : The Minister of Agriculture deserves congratulations for giving proper place and importance to agriculture. About 74 per cent of the population of the country still depends upon agriculture today and therefore, it is the primary duty of the Government to attach top-most priority and make largest allocation of expenditure for increasing agricultural production. But the question is

whether there has been any real progress in the field of agriculture so far and how far it has benefited the poor farmers. According to the survey of Reserve Bank that was made two years ago, the benefit of progress in the field of agriculture has reached only 15 per cent of the people who have a land valuing more than Rs. 50,000 and the rest of 85 per cent of the population depending upon agricultural is still in the poor condition as they were earlier. It is the opinion of eminent agricultural economists that the benefit of various schemes such as DPAD and SMFDA schemes have not reached the small and marginal farmers. All ceiling laws have proved useless and no benefits have reached the landless people. It is said that land will be distributed among landless people and disparities will be removed. But not a single inch of land has been given to landless people. Thus, it can be said that it is the greatest fraud of the 20th century. Even the I.L.O. expert has said in his report that all ceiling legislation enacted in Asian countries have hardly reduced the inequalities and they have remained ineffective because they have never been implemented.

Therefore, measures should be taken to improve the conditions of farmers and for this purpose a Committee should be appointed to plug all the loopholes in the ceiling laws to abolish Benami transfers of land and to implement the ceiling laws in an effective way.

It is a matter of satisfaction that is proposed to spend Rs. 1764 crores on agriculture this year as against Rs. 490 crores last year, and an expenditure of Rs. 740 crores was proposed to be incurred on irrigation in the next five years but it has to be borne in mind that this large expenditure will benefiit only a microscopic section of landless people who live in almost 6 lakhs of villages in the countryside, because all the benefits of these will be grabbed by rich farmers and agriculturists. So, what is necessary is that landless people should be given lands and cheap tractors and tubewells should be installed for providing irrigation facilities to them. They should be given fertilisers at cheaper price and incentive to updertake intensive cultivation. Sub-soil water is not being utilised to the fullest extent and this underground water can be better utilised by installation of more tubewells. So, Government should devote more attention to the installation of maximum number of tubewells so that poor people can use water for irrigation.

No irrigation tax should be imposed on small farmers, who possess four or five acres of land. Due attention should be paid to remove regional imbalances in regard to providing irrigational facilities.

Not a single district of Madhya Pradesh has been selected for integrated rural development or intensive cultivation development scheme. Similarly, not a single flood control scheme or drought relief scheme has been proposed for Madhya Pradesh.

Land reforms must be implemented within a period of one year and land should be taken away from big zamindars and distributed among small/marginal farmers.

Shri Mahi Lal (Bijnor) : The agricultural scientists, farmers and the agricultural workers deserve congratulations for attaining self-sufficiency in the production of wheat, paddy, sugarcane and other produce. But the fact cannot be denied that the benefits of most of our agricultural schemes has not reached our 66 per cent small and marginal farmers which actually work on the fields.

An impression has gained ground that only the rich and well-to-do farmers are the real owners of the land and those who till the land have no right on the land. Only such big farmers today indulge in atrocities on Harijans and landless workers. If the Government do not take measures to end this kind of situation, the atrocities on the weaker sections of the society will not be lessened. Therefore, Government should take immediate measures to hand over the land to those who actually till the land. Government should declare that they will give top-most priority to the enforcement of land reforms. In this connection, the Minister should study the report of the Mangaldeo Visharad Committee with a view to making radical changes in the system of distribution of land among the landless people and weaker

sections of the society in the rural sector. Its recommendations should be immediately implemented and the entire scheme should be completed in a phased manner with a time-bound programme.

While formulating future schemes, it should be borne in mind that there is lesser expenditure of the Government on the administrative machinery.

Farmers should be involved in the formulation of irrigation schemes and minor irrigation schemes should be formulated on a large scale.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का एक तिहाई भाग कभी भी मौनसून पर निर्भर करता है । 1160 लाख हैक्टर कृषियोग्य भूमि में से 430 लाख हैक्टर सिंचाई योग्य भूमि में से केवल 190 लाख हैक्टर भूमि की ही सिंचाई की जाती है । यह हमारे देश में चल रहे कृष्णा नदी के जल के बंटवारे तथा अन्य जल सम्बन्धी विवादों के परिणाम स्वरूप हो रहा है । अतः सरकार को एक रष्ट्रीय जल नीति बनानी चाहिए जिसके फलस्वरूप कम जल वाले क्षेत्रों को अधिक जल उपलब्ध कराया जा सके।

जहां तक बड़ी नदियों के जल के बंटवारे सम्बन्धी विवादों का सम्बन्ध है, कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र-प्रदेश के बीच विवाद चल रहा है । यह राज्य आपस में कोई समझौता कर पाने में असफल रहे और अन्ततः यह मामला एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया जिसने दिसम्बर, 1973 को अपना निर्णय दिया । उस निर्णय में बताया गया है कि फालतू जल आन्ध्र-प्रदेश को सिंचाई के लिए दिया जायेगा । इस करार को दृष्टिगत रखते हुये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की है। अब मंत्री महोदय ने सदन को बताया है कि इस समय उन के समक्ष केवल मद्रास को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की ही योजना है । भूतपूर्व आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की थी कि रायलसीमा क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली नहर के साथ ही पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कटिबद्ध है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आन्ध्र-प्रदेश सरकार पर यह योजना त्याग देने के लिए दबाव डाला है तथा उससे केवल मद्रास शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाली योजना की भी मंजूरी दी है । हमारा क्षेत्र सूखाग्रहत क्षेत्र है जहां कि केवल 17 से 22 इंच वार्षिक वर्षा होती है। अनेक गांव के समक्ष पीने का पानी प्राप्त करने की विषम समस्या है । अतः जब तक इस योजना को मंजूरी देकर इस पर कार्य नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र को सूखे से नहीं बचाया जा सकता।

जनता दल ने उस क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को यह आश्वासन दिया था कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जायेगा । इसलिए उस योजना को शामिल किया जाना चाहिये और केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से सम्बद्ध योजनायें भेजने के लिए कहना चाहिये ताकि उन्हें छोटी पांच वर्षीय योजना में शामिल किया जा सके। यदि सरकार कोई राष्ट्रीय जल नीति बनाती है तो उससे देश की बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ कर उनके जल का उपयोग करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। गोदावरी नदी को कृष्णा से, गंगा को ब्रह्मपुत्र से तथा गंगा को कावेरी नदी से जोड़ने की योजनायें हमारे समक्ष आई थीं। इन बड़ी नदियों को जोड़ने का काम एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने के बाद ही किया जा सकता है । इस प्रकार से उपलब्ध होने वाले व्यापक जल संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकेगा ।

जनता सरकार ने कहा है कि सिंचाई के एक राष्ट्रीय योजना बनाई जायेगी और इसपर लगभग 25,000 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। आज भी हमारी खेतीयोग्य भूमि का एक तिहाई भाग सूखाग्रस्त रहता है । इस क्षेत्र में सिंचाई की जानी चाहिए । राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा अन्य कई राज्यों

में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य है कि ये सभी क्षेत्र सिचाई कार्य के अन्तर्गत लाये जायें।

नदियों में फालतू जल उपलब्ध होता है। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि रायलसीमा के लोगों के लिए यहां का जल उपलब्ध किया जाये। डी०पी० ए० वी० कार्यक्रम तथा छोटे और सीमान्त किसान विकास कार्यक्रम से दक्षिण के राज्यों में वहां की जनता को बहुत अधिक लाभ पहुंचा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भूमि सुधार कार्य बहुत सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया है। पिछली सरकार की प्रगतिशील नीतियों से ही खाद्यान्नों के मामले में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाये हैं। देश में गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के मामले में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है। एक समय था जब मूल्य को गन्ने से निकलने वाली चीनी की मात्रा के साथ जोड़ा जाता था और यह फार्मूला अपनाया जाता था, लेकिन अब इस फार्मूले को त्याग दिया गया है। लेकिन अकुशलता और अनुत्पादन के लिए लाभ दिया जा रहा है और किसान को अधिक उत्पादन करने के लिए दण्डित किया जा रहा है। इस नीति को छोड़ना चाहिए और एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए। यह धारणा पहले से ही विद्यमान है कि यह सरकार दक्षिण के साथ भेद भाव बरत रही है। इस सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रीय असन्तुलन ठीक किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों में पैदा किए गए गन्ने के लिए भी न्यूनतम मूल्य और लाभकर मूल्य मिले।

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi) : It has been claimed that 40 per cent of the total budget has been earmarked for agriculture and rural development. This 40 per cent also includes the money allotted for fertilizer production and Rs. 213 crores allocated for an item of health and family welfare. Thus this figure of 40 per cent is misleading. Actually only 31 per cent of the budget would be spent on agriculture.

At present agriculture is not regarded as an industry and prices of agricultural commodities are not fixed taking into account the cost of production. While the prices of sugar, cloth and tobacco products are fixed taking into account the cost of production, prices of sugarcane, cotton and tobacco are not fixed on this basis. Thus the farmers and rural people suffer. The Government should reconsider the entire policy of fixing price of agricultural produce.

There are different irrigation rates depending upon the mode of irrigation. But the price of agricultural produce for which this water is utilised is the same. This policy is highly unjust. These should be uniform irrigation rate irrespective of the mode of irrigation.

It is being claimed that this year there would be record production of wheat. It is estimated that this production would be 12 crore tonnes. If we make calculations on the basis of figures of irrigated land and unirrigated land, there appears to be something wrong either with the figure of estimated production or of irrigated land. Thus we are caught up in the cobweb of statistics and did not know the correct position.

(श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई)

(Smt. Parvathi Krishnan in the chair).

There is 10 acres of fellow land which can be brought under cultivation. Steps should be taken to make use of that land.

The whole question of fixing prices of agricultural products and industrial goods should be given fresh consideration. A proper price policy should be evolved so

that farmers get proper price for their produce. Also banks should be asked to advance loans to farmers against foodgrains so that they can keep foodgrains with them and sell them when they get proper price.

श्रीमती रशीदा हक चौधरी (सिलचर) : हमारी लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसलिए यदि हम वास्तव में देश से निर्धनता दूर करना चाहते हैं तो फिर हमें किसी अन्य बात की ओर नहीं बल्कि कृषकों के हित तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की ओर ध्यान देना होगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश में कृषि के विकास की ओर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है जितना कि दिया जाना चाहिए । किसानों को प्रायः कहा जाता है कि वे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का अधिक उत्पादन करें किन्तु उन्हें संगठन से अपेक्षित सहायता नहीं मिलती । मंत्रालय के बजट में इस संगठन के लिए किया गया प्रावधान बहत ही अपर्याप्त है । इससे अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि यह किसानों को कृषि ज्ञान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

चावल तथा धान दो महत्वपूर्ण खाद्यान्न हैं । दुर्भाग्य से सरकार ने इन दो फसलों के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण नीति अपना ली है । दक्षिण में चावलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है किन्तु दक्षिण के धान उत्पादकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । मंत्री जी को यह भेदभाव समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम को चलाने की लागत बहुत अधिक है । सरकार को इस संगठन के वर्तमान प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिएं और इसे किसान प्रधान बनाना चाहिए । हमें अपने किसानों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीके सिखाने चाहिएं ताकि वे अपने उत्पादन का भण्डारण समूचे वर्ष समुचित ढंग से कर सकें ।

देश के समूचे पूर्वी क्षेत्र में चावल उगाए जाते हैं किन्तु इस क्षेत्र में जितनी भी चावलों की मिलें हैं, वे पुरानी हैं, और उनका उत्पादन काफी कम है । सरकार को इन चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ।

राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता है । सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना नितान्त आवश्यक है कि किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज ठीक समय पर तथा समुचित मूल्य पर उपलब्ध किए जायें ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरक, विशेषकर रासायनिक उर्वरक बहत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । रसायन उर्वरकों के समुचित उपयोग के बारे में किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए ।

पूर्वी क्षेत्रों में चीनी का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता । यदि गन्ने की खेती बारी-बारी से की जाये तो कृषकों को उससे लाभ हो सकता है ।

यद्यपि समूचा पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर, पर्वतीय क्षेत्र वन सम्पदा की दृष्टि से बहुत धनवान है, किन्तु इस सम्पत्ति का समुचित उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । सरकार को इस सम्पत्ति के सम्पूर्ण तथा समुचित उपयोग के बारे में विचार करना चाहिए ।

देश के वन्य जीव को समृद्ध करने के सरकार के प्रयास सराहनीय नहीं रहे हैं । गडा तथा अन्य जानवर गेम शरणस्थल में रखे हुए हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर स्थित है । जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो इससे कई जानवर मर जाते हैं । सरकार को इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और देश के बहमूल्य वन्य सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ।

आसाम के चाय बागानों के मुख्यालय कलकत्ता में स्थित हैं । इसके फलस्वरूप आसाम सरकार को कर नहीं मिल रहा है जो कि इन मुख्यालयों द्वारा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त हमारे राज्य के शिक्षित नौजवानों को रोज़गार के अवसर नहीं दिये जाते हैं ।

पूर्वी क्षेत्र में बाढ नियंत्रण उपाय करने की परमावश्यकता है । वर्षा ऋतु के दौरान आसाम को बाढ़ों के कारण भारी हानि का सामना करना पड़ता है । सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजना आरम्भ की है किन्तु यह परियोजना केवल नाममात्र की है । इसमें सन्देह है कि बिना विदेशी सहायता के यह परियोजना कार्यान्वित की जायेगी । अमरीका के राष्ट्रपति श्री कार्टर तथा ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री कलाहन ने भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा बंगलादेश में नदियों पर बाढ़ नियंत्रण करने के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की इच्छा जाहिर की है । आशा है कि यह योजना सफल होगी और इससे पूर्वी क्षेत्र में समृद्धि का युग आरम्भ होगा ।

बरक बांध परियोजना पिछले एक दशक से सरकार के पास परीक्षण का विषय बनकर रह गई है । यदि इस परियोजना को पूरा कर दिया जाये तो फिर निचले आसाम तथा कछार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस परियोजना पर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाये ।

सरकार को समूचे पूर्वी क्षेत्र के विद्युतीकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त पन-बिजली उत्पादन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए वहां बड़ी मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया है ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : वर्षा तथा बर्फ से पिघले पानी को समुद्र में जाने नहीं दिया जाना चाहिये । उस पानी को सिंचाई के लिये कई जलाशयों में जमा किया जाना चाहिये ।

ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को तीस्ता नदी द्वारा गंगा में मिलाना चाहिये और गंगा को नहरों द्वारा विन्ध्या को लाया जाना चाहिये और इसे कई स्टेजों में दक्षिण की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तथा तापती, उड़ीसा की महानदी, वैत्तरणी, स्वर्णरेखा तथा अन्य नदियों में पम्पों से फेंकना चाहिये ताकि समूचे क्षेत्र की सिंचाई हो सके । इस परियोजना को पूरा करने के लिये 35–40 वर्ष लगेंगे । ऐसा करने से देश के सारे पानी का उपयोग सिंचाई के लिये हो जायेगा ।

उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहां केवल एक ही परियोजना अर्थात् हीराकुण्ड परियोजना में 1,30,000 व्यक्ति विस्थापित हुए और सरकार ने उनके पुनर्वास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जिसके फलस्वरूप उनमें से कुछ लोग भिक्षा मांगने के लिये मजबूर हो गये हैं ।

वहां एक रेंगपली परियोजना भी चल रही है । ब्राह्मणी नदी पर बांध भी बनाया जा रहा है । इस परियोजना में 80,000 लोगों की जमीन जलमग्न हो जायेगी और वे विस्थापित हो जायेंगे । इन 80,000 लोगों ने निश्चय कर लिया है कि वहां से जाने की बजाए मरना पसन्द करेंगे । उन्होंने इस सदन को एक याचिका भी प्रस्तुत की है । उन्होंने उड़ीसा सरकार के उच्चतम अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन किया है । उड़ीसा सरकार उनके पुनर्वास के लिये उचित कदम नहीं उठा रही है । यदि हम उनके पुनर्वास के लिये उचित कदम नहीं उठाते तो ये लोग भी अपने स्थान से एक इंच भी हिलने वाले नहीं हैं । इस मामले को लेकर इस वर्ष आन्दोलन का भय है और वे सम्भवतः काम नहीं चलने देंगे । यदि राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, इन लोगों के जन्म-सिद्ध अधिकारों को सुरक्षित करने की ओर उचित ध्यान नही देती तो सरकार को एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । यह उनके जीने और मरने का प्रश्न है ।

उड़ीसा सरकार कहती है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां बहुत जमीन है । मंत्री महोदय को उड़ीसा सरकार को पत्र लिखना चाहिये कि आरक्षित वनों के पेड़ काटकर उन्हें जमीन दी जाये । राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को विस्थापित लोगों को जमीन देकर उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

यदि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार लोगों के जन्मसिद्ध अधिकारों को नहीं देखती तो इससे सरकार कठिनाई में पड़ सकती है । यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है ।

मंत्री महोदय उड़ीसा सरकार को चिट्ठी लिखकर यह अनुरोध करें कि जंगल को काटकर विस्थापितों को जमीन बांट दी जाए । इन विस्थापितों को मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाने चाहिए । सरकार को विस्थापितों के पुनर्वास में विशेष रुचि लेनी चाहिए ।

Shri Kacharu Lal Hemraj Jain : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : कोरम की घन्टी बजाई जाए ... अब कोरम हो गया है ।

Shri Bhagat Ram (Phillour) : There is no difference between the agricultural policy of the Janta Government and the previous Congress Governments. The agriculture policy is in favour of rich farmers and big industrialsts. It is against the interests of cultivators and agricultural workers. Condition of tillers of land is bad. The landless people are not getting land. Nothing is being done to carry out land reforms. Minimum wage is not being ensured to agricultural workers. Farmers are not getting remunerative price for their produce.

The condition of cane growers is very bad. Sugar mills are not purchasing sugarcane. Sugarcane is being burnt. Sugar mill owners have been given full freedom to loot the cane growers. Old sugar mills should be modernised and all the sugar mills should be nationalised. No subsidy should be given for export of sugar. That money should be given to help the cane growers so that consumption of sugar in the country increase. The dual policy in regard to sale of sugar should be given up and the sale of entire sugar produced in the country should be controlled. Mill owners should be made to pay the dues of cane growers.

The Punjab Government have requested the Central Government to sanction setting up of five sugar mills. This demand of the Punjab Government should be conceded.

Cotton growers are also not getting proper price for their produce. Middlemen loot the growers. Working Capital of cotton corporation of India is not adequate. It should be increased so that the corporation could purchase cotton from the growers and prevent middlemen from exploiting the growers.

Jute growers and tobacco growers are also not getting remunerative price for their produce. Steps showed be taken to ensure proper price for jute and tobacco growers.

Wheat growers and paddy growers also do not get support price because the Food Corporation of India and other agencies do not make adequate purchases at the time of harvesting. Steps should be taken to see that wheat and paddy growers get proper price for their produce.

Abolition of zonal restrictions an movement of foodgrains is against the interests of farmers as well as consumers. The policy is in the interest of big farmers and middlemen zonal restrictions should be reintroduced.

Production of foodgrains has increased but per capita consumption of foodgrains is declining. The common people have no purchasing power. Land reforms should be implemented so that purchasing power of people in rural areas increase.

*श्री ननजेश गौंडा (हसन) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं । कृषि क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करने के प्रयासों के लिये मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं । देश के किसानों को पर्याप्त सुरक्षण देने के लिये कृषि को प्राथमिकता देने की मुझे बहुत प्रसन्नता है ।

कहा जाता है कि कुल 800 सिंचाई परियोजनाओं में से 450 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और 350 परियोजनायें पूरे होने की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रही हैं । कुछ परियोजनायें तो 20 वर्ष पहले शुरु की गयीं और कुछ 15 वर्ष पहले और ये अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं । काम की धीमी गति और कम वित्तीय व्यवस्था के कारण ही इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है ।

मेरे जिले में भी 20 वर्ष पहले एक परियोजना शुरू की गयी थी और प्रतीत होता है कि इसे पूरा करने में 40 वर्ष का समय लगेगा । अन्तरराज्य जल-विवादों के कारण भी इस प्रकार का विलम्ब और बढ़ा है । मैं चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाये और अन्तर्राज्य जल-विवाद अधिक समय तक लम्बित नहीं रखे जाने चाहिएं ।

एक कृषक के रहन-सहन का स्तर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी से भी खराब है । किसान को तो एक समय को रोटी भी निश्चित नहीं होती । 30 वर्ष की आज़ादी ने उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं किया ।

किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । उनके पास मार्केटिंग की कोई भी सुविधा नहीं है जिसके फलस्वरूप उनका शोषण बिचौलिये करते हैं । उनके कृषि कार्यों के लिये पर्याप्त ऋण सुविधायें नहीं मिलती । हमें देश में कृषि विकास की ओर अधिकाधिक ध्यान देने का प्रयास करना चाहिये ।

कृषि मूल्य आयोग ने देश के किसानों के साथ न्याय नहीं किया है । कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय उन्होंने खेती की लागत पर विचार नहीं किया । आयोग में किसानों के हितों का कोई भी महत्व नहीं होता । बड़े-बड़े अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं । लेकिन उन्हें कृषि की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं होती । कृषि मूल्य आयोग के समूचे ढांचे को बदला जाना चाहिए । इस आयोग में कृषकों के ऐसे प्रतिनिधि भी होने चाहिये जिन्हें खेती पर आये व्यय आदि की पूरी जानकारी हो । उसी दशा में किसानों को उचित मूल्य मिल सकेंगे ।

Shri Kacharu Lal Hemraj Jains (Balaghat) : There is no doubt that in the field of agricultural research some very good work has been done in our country. The only thing that has not got to be ensured is that the work done do not remain lying in the research centres. It has to be communicated to the farmers and gainfully utilised. Only then we would be able to increase our production in order to feed our growing population.

During the last 10 years there are many occasions when there was scarcity of foodgrains and we had to import the same. There were famines also and relief work were undertaken. But in those relief works we never thought of constructing tanks for irrigation purposes. The Janata Party had pomised to the people that irrigation facilities would be provided in rural areas. It is high time the Agriculture Minister pay attention to it. Priority should be given to small irrigation schemes as they would also provide employment to a large number of our unemployed people.

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

So far as the Food Corporation of India is concerned, there are some serious irregularities going on there and they have to be rectified. For example, when food-grains are purchased the quality is duly checked. But when the same is issued to the consumers from the godowns then the quality is different. The Minister should pay immediate attention to this irregularity.

Another irregularity is in regard to the purchase of jute bags. Last year the Ministry purchased jute bags at a rate much higher than the market rate and thus the capitalists are benefited to the extent of 10 crores. This kind of wasteful expenditure has got to be stopped and the money thus saved should be spent on the development of rural areas and agriculture.

With these words, I support the Demands for Grants relating to Ministry of Irrigation and Agriculture.

श्री अमृत नहाटा (पाली) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान राजस्थान के दस जिलों हरियाणा के दो जिलों तथा गुजरात के एक जिले में फैले रेगिस्तान की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । पिछले 30 वर्षों के दौरान भारतीय रेगिस्तान पर 500 करोड़ रु० व्यय किये जा चुके हैं । फिर भी रेगिस्तान की समस्या वैसी की वैसी ही है । जिसका कारण भारतीय रेगिस्तान की समस्याओं के बारे में केन्द्रीय और राज्य प्रशासनों में जानकारी का न होना है ।

रेगिस्तान की एक बड़ी समस्या पेय जल का न होना है । करोड़ों रुपये व्यय किये जा चुके हैं । कुछ ट्यूब वैल भी लगाये गये हैं । लगभग 35 या 40 प्रतिशत गावों को पाइपलाइन द्वारा पेय-जल उपलब्ध किया जा रहा है लेकिन मुझे इस बात का भय है कि आगामी 10, 15 वर्षों के दौरान ये जल-स्रोत सूख जायेंगे । जोधपुर को आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल न होने के कारण खाली करना पड़ेगा ।

भारतीय रेगिस्तानों के लिये पानी का एकमात्र साधन हिमालय है जो राजस्थान नहर द्वारा आयेगा । यदि राजस्थान नहर को भारतीय रेगिस्तान के लिये उपयोग में न लाया गया और हम पानी का यूं ही दुरुपयोग करते रहे तो हमें रेगिस्तान से खतरा बना रहेगा ।

राजस्थान नहर की दूसरी स्टेज द्वारा इस रेगिस्तान में सिंचाई का प्रस्ताव है । अनुमान है कि इससे 80 लाख या एक करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी । यह अनुमान निराधार है । इससे राजस्थान नहर की दूसरी स्टेज से, जैसे कि यह आज है, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई नहीं हो सकेगी ।

फसल के लिए जल का व्यापक रूप से प्रयोग करने के बजाये गहनता या तीव्रता से प्रयोग करने चाहिए । मरुभूमि में हरा भरा, फल आदि उगाने के लिए पानी को व्यापक रूप से फैलाना चाहिए । और इसी प्रकार पीने के प्रयोजन एवं औद्योगिक उपयोग में लाना चाहिए ।

नहर बकशर तक ले जानी चाहिए इससे हमारी सीमा पर यह नहर सुरक्षा का कार्य भी करेगी । इस नहर के द्वितीय चरण में इसे फसल के लिए उपयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । नहर के दोनों ओर अन्त तक जाने वाली मुख्य नहर से हम छः या सात नहरें निकाल सकते हैं जो मरुस्थल के उस पार उत्तर से दक्षिण तक पाइपलाइनों के माध्यम से निकाली जा सकती हैं । अतः हम इन सातों लिफ्ट नहरों के दोनों किनारों पर हरियाली या कृषि के साथ फार्म बना सकते हैं और मुख्य नहर के दोनों किनारों पर लोग हरा भरा और फलों की खेती कर सकते हैं । इन सात या आठ लिफ्ट नहरों के माध्यम से मरुभूमि की सम्पूर्ण जनसंख्या यहां बसकर अपना जीवन-निर्वाह कर सकती है । और फिर समूची अर्थ-व्यवस्था दूध, फल और अन्न की पैदावार में परिवर्तित हो सकती है । इसमें 10 वर्ष की अल्पावधि में ही लाखों एकड़ भूमि में हल चलाये बिना ही कृषि हो सकती है ।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान नहर के दूसरे चरण की इस समस्या पर अधिक विस्तार से चर्चा की जाये और तभी दूसरे चरण में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय किया जाये ।

हमारे देश की स्थल सेना के बारे में बातचीत की गई है । मुझे इसकी संकल्पना का कोई ज्ञान नहीं है । लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सेना तैयार की जाये । हमारे देश में लगभग 70 लाख एकड़ भूमि खारी या रेह वाली है । यह बंजर भूमि है और इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है । वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जिपसम के सीधे प्रयोग से ये बंजर भूमि ठीक हो सकती है । यह कार्य किया जाना चाहिए ।

लगभग 110 लाख एकड़ भूमि उबड़-खाबड़ या दर्रे वाली है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात की नदियों के किनारों पर है । इस भूमि को केवल समतल किया जाना है । क्या हम इस लाखों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अपनी युवक सेना को संगठित नहीं कर सकते और क्या यहां खेती करने के लिए लोगों को नहीं बसा सकते ?

उपलब्ध वर्तमान खेती फार्म प्रौद्योगिकी के और विकसित होने से प्लाटों का क्षेत्रफल और कम हो जायेगा । हमारे देश में गहन खेती के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है । यदि एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ भूमि हो और 10 व्यक्तियों के प्रत्येक के पास 10 एकड़ भूमि हो तो एक व्यक्ति की 100 एकड़ की जोत के बजाये इन 10 व्यक्तियों की भूमि में अधिक पैदावार होगी । यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है । अब हमारे देश के लिए भूमि सुधार अत्यावश्यक है ।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी) : भारत में 16.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है और इसके 27 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है । 160 लाख हेक्टेयर भूमि में नदी, जल, टैंकों, कुंओं तथा नलकूपों एवं पानी के अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है । जल के अन्य स्रोतों से 240 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है । अतः 11.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां मौसम या वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है । अतः देश में नदियों के उपयोग करने योग्य जल के प्रवाह का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार को जल संसाधनों के विकास और उपयोग करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय जल नीति बनाना वांछनीय रहेगा । जल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और अनिर्णीत पड़े विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए उपयुक्त विधान बनाया जाये या संविधान में संशोधन किया जाये ।

सरकार किसानों में अनुसंधान कार्य और फार्म प्रौद्योगिकी का प्रचार करने में असफल रही है । इसीलिए अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम है ।

हमारे किसान वसूली नीति से अत्यन्त अप्रसन्न हैं । 1965 में गठित कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो गया है । इस आयोग में अर्थशास्त्री अधिकांशतः शहरी ही हैं और इनकी शहरी उपभोक्ताओं में ही रुचि रहती है । एक त्रिपक्षीय आयोग गठित किया जाना चाहिए जिसमें अधिकारी, उपभोक्ता और किसान सम्मिलित हों । यह केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी गठित किए जाने चाहिए ।

धान की वसूली नीति भी एक दूसरा शोचनीय पहलू है । गेहूं का मूल्य 112.50 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि धान का मूल्य केवल 77 रुपये प्रति क्विंटल है । जनता सरकार ने खाद्यान्नों पर राजसहायता में बहुत तेजी से कटौती की है । चावल की तुलना में गेहूं के राजसहायता मूल्य में बहुत कम कटौती की गई है ।

अतः केन्द्र को धान के लिए अधिक राजसहायता देनी चाहिये और खरीद मूल्य अधिक रखा जाये ।

उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बाढ़ तथा अधिक कीट वाले क्षेत्रों में तीन परिचालन चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने हैं । ऐसे केन्द्र तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में क्यों स्थापित नहीं किये जाते ?

यह हास्यास्पद एवं खेदजनक बात है कि विदेशी किसानों की रुई और तिलहन के लिए राजसहायता दी जा रही है । आप तो स्थानीय किसानों को मिटाना चाहते हैं । यह राजसहायता तो देशी किसानों को दी जाये ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले ।

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिर्च के प्रमुख उत्पादक हैं । लेकिन किसानों को अपना मूल्य मिलने की कोई गारन्टी नहीं और वे लाइसेंसप्राप्त व्यापारियों की दया पर निर्भर हैं ।

पशु बीमा योजना को सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सभी किसानों के लिए लागू किया जाये ।

जिलावार दुग्ध विकास की अधिक योजनाएं लागू की जायें । शीत दुग्ध केन्द्र और दुग्ध उत्पाद एकक स्थापित किये जायें । सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पशुधन के लिए रियायती दरों पर चारे और दवाइयों की व्यवस्था की जाये ।

30 अश्व शक्ति तक के ट्रेक्टरों पर उत्पादन शुल्क घटाया जाये ताकि किसान खेती को आधुनिक बनाएं और बहुफसल प्रणाली से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके ।

निर्यात बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने के बहाने से गरीब मछेरों को तंग किया जा रहा है और बड़े एकाधिकारियों को मैकिसकन ट्रालर दिये जा रहे हैं । इस मामले में राज्यों से सलाह नहीं ली जाती । इन गरीब मछेरों के हितों का ध्यान रखा जाये ।

***श्री पी० वी० पेरियासामी** (कृष्णागिरी) : यह दुःख की बात है कि देश में 1900 एकड़ कृषि योग्य भूमि में से केवल 430 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं हैं और शेष 1470 एकड़ भूमि वर्षा पर निर्भर है । देश के दक्षिण भाग में प्रतिवर्ष सूखा पड़ता रहता है । सरकार को इस निरन्तर रहने वाली समस्या का समाधान निकालना चाहिये ।

रासायनिक खाद के मूल्य 1973 के मुकाबले 1978 में 50% बढ़े हैं जबकि कृषि उत्पाद इस गति से नहीं बढ़ा है । ऐसी स्थिति में कृषक से अपनी उपज बढ़ाये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती । धान का खरीद मूल्य कम है । धान के लिए राजसहायता में कमी 97% तक कर दी गई है जबकि अन्य अनाजों के मामले में यह केवल 1% है । इस असमानता का क्या कारण है ?

दक्षिणी भारत विशेषकर तमिलनाडु से मिर्च और केले का निर्यात किया जाता है । केला निगम किसानों की भलाई नहीं कर रहा । उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता । मिर्च का निर्यात बढ़ाने हेतु एक मिर्च निगम बनाया जाये । केला निगम को सक्रिय बनाया जाये जो किसानों के लिए अधिक लाभदायक बने ।

उत्तरी भारत में गन्ना उत्पादकों को 180 रु० प्रति टन मूल्य मिलता है जबकि दक्षिण में यह मूल्य केवल 80 रुपये है । किस आधार पर देश के दो भागों के लिए यह मूल्य रखे गये हैं ।

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

ग्रामीण विद्युत निगम की भांति ग्रामीण जलपूर्ति निगम भी बनाया जाये ताकि किसानों को पानी नियमित रूप से मिलता रहे । पानी जमा करने हेतु निगम को परकोलेशन टैंक, ओवरहेड टैंक तथा अन्य छोटे बड़े टैंक बनाने चाहियें । यह संगठन देश के भूगत जल संसाधनों का भी पता लगाये ।

उपज बढ़ाने के लिए एक कुएं और दूसरे कुएं के बीच की पूरी और भूगत जल के लिए बेवाकी प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था खतम की जाये । ज़मीन के नीचे के जल की खोज के लिए बिजली की मोटरें, पम्प सेट लगाने के लिए राजसहायता दी जाये और कीटनाशी दवाएं न्यूनतम मूल्य पर मिले ।

किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता । जैसे मूंगफली प्रति बोरी 50 रु० में बिकती है जिससे लागत भी पूरी नहीं होती । लेकिन बीज बोने के समय बिचौलिये 200 रु० प्रति बोरी के हिसाब से बीज देते हैं । ये बिजाई की मूंगफली पंचायत यूनियनों द्वारा वितरित की जाय और एकड़वार मुंगफली दी जाये । उसका मूल्य भी घटाकर कम से कम खरीद मूल्य के बराबर किया जाये ।

Shri Surendra Bikram (Shahjhanpur): I rise to support the demands for grants presented by the hon. Minister of Agriculture.

All the industries on the earth are run within their four walls and under roofs and can be insured also against risks, while the agriculture industry is the only industry which is carried on in open and has no protection against the vagaries of nature. It is, therefore, necessary that crop insurance scheme be introduced at the earliest.

It is a good feature of a budget that Rs. 150 crores have been provided for new schemes of Agriculture.

श्री एन० के० शेजवालकर पीठासीन हुए ।

Shri N. K. Shejwarkar in the chair

Agriculture has no protection against the vagaries of nature. It is, therefore, necessary that crop insurance scheme be introduced at the earliest.

Only big farmers are deriving benefit out of the big schemes. It is therefore, necessary that training centres should be opened to acquaint the small farmers with the schemes fully.

Cooperative stores should be opened at each village level or block level to make available the articles of agricultural utility to the farmers easily and at cheaper rates. Efforts should also be made to bring down the increasing prices of tractors, improved ploughs, thrashers etc.

Encouragement in various forms should be given to farmers for animal husbandry, poultry farming etc.

Some kinds of birds are beneficial to agriculture as their food is small insects which are harmful for the crops. But some varieties of these birds have either been exported or they are being killed or caught by hunters even during the closed season. This should be stopped in the interest of agriculture. Minor irrigation schemes should be given priority so that small farmers could be benefited by them.

Legislations regarding ceiling of land should be implemented strictly.

The sugarcane growers in U.P. are facing a great difficulty for want of adequate market for their produce. Immediate necessary action should be taken in this regard to save them from financial difficulties.

Huge tanks should be constructed on waste lands and all sorts of incentives be given for the development of fishery industry.

Sugarcane Research Centre at Shahajahanpur, U.P. has done good work. More assistance should be provided to it to enable it to work more and in a better way.

Rice of high-yielding varieties is not good in taste. More experiments should be conducted to develop high yielding varieties of delicious rice.

There is great shortage of good breed cattle in U.P. Necessary action should be taken in this regard early.

Shri Bateshwar Hem Ram (Dumka) : I rise to support Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. The condition of small farmers in very pitiable. During the eight months in a year they remain without work. Government is not giving any financial assistance to the farmers in hilly areas for levelling the land. Therefore, Government should issue instructions for giving finacial assistace to those who can level the forest lands for making them cultivable. As a result, the number of farmers in hilly areas is going down. Government propose to cultivate other crops where no crops other than paddy crop can be grown.

There are several regions in Bihar where areas of land are so small that no crops could be grown there. Therefore, Government should undertake schemes of consolidation, without which the condition of farmers could not be improved.

The poor landless people must be given some lands, so that they could earn their livlihood. Unless the actual tillers of the land are given lands, their condition could not be improved.

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : I rise to support the Demands for Grants of Ministry of Agriculture and Irrigation. Water is most essential for the vocation of agriculture. The previous Government had made an allocation of Rs. 1032 crores for supply of water but this Government have only made a provision of Rs. 1164 crores. It cannot be denied that bureaucracy has done appreciable work in regard to supply of water to Punjab and Haryana. During the last 30 years, 5 crores of acres of land has been brought' under irrigation and there has been least corruption in this case, the result of which is today quite apparent in Punjab today.

It is very strange that hon. Agriculture Minister is not aware of the total production of onion and garlic in the country. It is all the more strange that the price of wheat has been fixed Rs. 112.50 per quintal. Regarding loan, a sum of Rs. 796 crores was given by the nationalised banks to agricultural sector whereas loan of Rs. 5,383 crores was given to big industries. How strange is the functioning of our Government. 70 per cent population of our country depends for its livelihood on agriculture whereas more loan facilities are given to industries.

Water is the most essential for the vocation of agriculture. The previous Government had made an allocation of Rs. 1032 crores for supply of water. But it is strange that this Janata Government, which is said to be the Government of farmers, has made a provision of only Rs. 1.164 crores. It cannot be denied that bureaucracy has done appreciable work with regard to supply of irrigation facilities to Punjab and Haryana. During the last 30 years more than 5 crores of acres of land has been brought under irrigation. The results of this achievement are evident from the production of crops in both the states. My submission is that similar steps should be taken in other states also.

It may also be pointed out that the price fixed for his produce is not fair. It is strange that rich people are getting the maximum benefit of the loan facilities being extended by the nationalised banks. It is a matter of concern that poor farmers are being deprived of even most necessary investment.

I may once again remind the House that our entire economic backwardness is mainly due to lack of proper irrigation facilities to which very scanty allocation has been made. This must be looked into by Janata Government.

Two scientists of Indian Council for Agricultural Research Committed suicide. A welknown expert of agriculture and technology is sitting there. In his administrative control, the talented scientists are not getting their due in their respective research works. The dying declarations made by those scientists had certain very strange and adverse remarks about Mr. Swaminathan. So my last submission is that the affairs of the Council should be thoroughly looked into and deserving and capable people should be provided ample opportunities. The retiring scientists should be allowed to return because there is not dearth of scientists in the country.

Shri Ram Sagar (Saidpur) : The agricultural scientists of the country have done a wonderful job for the advancement of agriculture in the country for which I want to congratulate them. I would also like to congratulate the Agriculture Minister for the budget presented by him because it is for the first time that in 3 years a rural oriented budget has been presented. The economic condition of a farmer in the country reflected the poverty or the prosperity of that country. The previous Government had not only raised the slogan of green revolution, but the farmer of this country remained poor till today. If there is real sincerity in the mind of Agriculture Minister for the farmers then maximum possible facilities should be made avaliable to the farmers. If that is done, our country will attain self-sufficiency in the field of agriculture.

My other submission to the Agriculture Minister is that the price of wheat should be fixed at Rs. 125 per quintal. To fix a price lesser than that would be an injustice with the farmers. The number of purchase centres of farmers produce should be increased. There must be an insurance of agricultural produce.

Lastly I may submit that the report of Mangaldeo Vishrad Committee should be implemented in Uttar Pradesh.

Shri Ram Dhari Shastri (Padrauna) : All these years rural areas have been neglected and more attention has been paid to cities and people living there. In 1951, the per capita income of those who depended on agriculture was 197.50 paise which has come down to 195.50 paise in 1977. On the other hand, income of those who depended on industries has gone up considerably.

Nationalised Banks have advanced only 10 per cent of their loans to agriculture. Again only 14 per cent of electricity produced in our country is given to agriculture. All this shows how agriculture and rural areas have been neglected all these years. During the Congress regime, expenditure on agriculture had never exceeded 22 per cent.

It is said that 40.25 per cent of the budget has been allocated for agriculture. But if we go into the matter deeply, it would be found that only 11 per cent of the budget has been earmaked for agriculture proper. So even the present Government is paying more attention to cities than villages.

Procurement price of wheat has been fixed at 112.50. This is very low. Proper price should be fixed for agricultural produce after taking into account the cost of production. Representatives of farmers should be included in the Agricultural Prices Commission.

The Government should give electricity, water and fertiliser to farmers at cost price. Then only we would be able to develop our agriculture.

Crop insurance should be introduced. That is essential to safeguard the interests of farmers who have to incur huge losses when their crops are destroyed.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निज़ामाबाद) : कृषि मंत्री उचित समय पर सही कदम लेने के लिए बधाई के पात्र हैं । यदि उन्होंने चीनी का लेवी मूल्य न बढ़ाया होता तो अब तक समूचा चीनी उद्योग नष्ट हो गया होता । उन्होंने खांडसारी मिलों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क में भी रियायत दी

है । अब कारखाने अधिक गन्ना खरीदने की स्थिति में हैं । मंत्री जी को सभी कारखानों पर दबाव डालना चाहिए कि वे खेतों में पड़े प्रत्येक गन्ने का रस निकालें । यदि इसके लिए कुछ और रियायत भी देनी पड़े तो मंत्री जी को उस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि गन्ना उगा लिया गया है और वह खेतों में पड़ा हुआ है ।

गुड़ का मूल्य घट गया है । मंत्री जी ने कई वक्तव्य दिए हैं कि भारतीय खाद्य निगम कुछ गुड़ खरीद रहा है । किन्तु कई स्थानों पर उन्होंने गुड़ खरीदने के लिए गोदाम नहीं खोले हैं । निज़ामाबाद में गुड़ 60 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है । इसका न्यूनतम मूल्य 80 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए ताकि इससे अगले वर्ष भी अधिक गन्ने का उत्पादन करने में सहायता मिल सके । यदि गन्ना उत्पादकों की इस वर्ष सहायता नहीं की गई तो वे अगले वर्ष गन्ना नहीं उगायेंगे और अगले दो या तीन वर्षों में गन्ने का अकाल पड़ जायेगा ।

चीनी का स्टाक बना लिया गया है, सरकार को 15 लाख टन चीनी का निर्यात कर देना चाहिए । यदि सरकार को 30 या 50 करोड़ रुपये का कुछ घाटा भी होता है तो भी कोई विशेष बात नहीं है । क्योंकि बहुत शीघ्र ही हम चीनी के निर्यात से 500 करोड़ रुपये कमा लेंगे । राज्य व्यापार निगम को चीनी निर्यात का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम के लिए यातायात तथा अन्य चीजों की दरें 1965 में निर्धारित की गई थी और उनमें अब तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हल्दी तथा अन्य कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाना चाहिए क्योंकि वे वस्तुएं देश में जरूरत से अधिक मात्रा में हैं ।

Chowdhary Balbir Singh (Hoshiarpur) : The Hon'ble Minister deserves to be congratulated for paying more attention to rural sector. He also deserves congratulations for a settlement about Thien Dam, work on which has now started. But the amount of Rs. 5 crores earmarked this year for this purpose is inadequate. It should be increased adequately to expedite the construction of the dam.

It is necessary that the farmer should be paid a fair price of his produce. The agricultural inputs put in by the farmers should be taken into consideration while paying to the farmers the price of their agricultural produce. The procurement price for wheat for this year has been fixed at Rs. 112.50 by the government. This is not remunerative. It should have been at least Rs. 125.

The Government have now asked the farmers to grow less sugarcane. It would result in scarcity of sugarcane in the next year. This is not proper. The farmers should be given all encouragement for whatever they want to produce and it is the duty of the government to see that their produce finds a market in the country.

The work of storage of foodgrains should be entrusted to private agencies in place of Food Corporation of India. It will result in reduction of cost of storage from Rs. 32 to Rs. 15.

Shri V. G. Hande (Nasik): The Janata Government is also pursuing the policy of the previous Government as regards agriculture as they have also not treated agriculture as an industry.

The first problem about agriculture is cost of production and payment of a remunerative price to the farmer for his agricultural produce. In 1974-75, the procurement price of wheat was Rs. 105 per quintal. Since then the prices have gone up by 37 per cent while the procurement price this year has been fixed at Rs. 112.50 only. How can then the farmers be encouraged to raise agricultural production ? It is therefore necessary to treat agriculture also as an industry and fix price of agricultural produce on the basis of its cost of production, to make it remunerative to the farmer.

There are different prices fixed for sugarcane and sugar in different regions. It is not proper. Like wheat, the whole country should be treated as one zone as regards fixation of prices of sugarcane and sugar. The prices of sugarcane and sugar should be fixed on a scientific basis. There are also different irrigation rates in different states. It is not desirable. There should be uniform rates for irrigation throughout the entire country.

Shri Bega Ram Chauhan (Ganganagar) : In Rajasthan, in the district Ganganagar, to which I belong, there is very good land for agricultural purposes; the previous Government conducted survey of this area several times and it had assured that the Nauhar Feeder and Sidmukh canals would soon be provided in that area. But till today, no attention has been paid to the provision of these canals. If irrigation facilities are given, the land there will yield hundreds of tonnes of foodgrains. Therefore, immediate steps should be taken to provide these two canals.

Drinking water is not available in several villages of Nauhar and Bhadra tehsils in Ganganagar district. Arrangements should be made on an urgent basis to solve this problem.

In Bhompura village of Raisingh Nagar tehsil in Rajasthan, refugees from Pakistan have been settled and some land has been given to them but there is no water for irrigation and no canal has been provided. Even though the Centre had asked the State Government in 1977 to take up the work of Bhompura minor canal, nothing has been done so far.

The Government should see that irrigation works in Rajasthan are taken up and implemented quickly.

Shri Sukhendra Singh (Satna) : The Minister of Agriculture deserves to be congratulated for having fulfilled the promise of the Janata Party that it would give the highest priority to agriculture, if it came to power.

Vindhya Pradesh is the most negelcted region of Madhya Pradesh. The agriculturist there is still facing the same old problems and difficulties. There is no irrigation facility worth the name in that area.

In his own district of Satna there is the river Sone. The Government have announced that Banasagar dam would be constructed on that river which would provide irrigation facilities not only to Satna and Sidi districts but also to some areas of U.P. and Bihar. But there is resentment in Satna district because some land there would be submerged under water when the dam is constructed. We are not opposed to the dam but we want the Government to announce that so many villages would be submerged and that the people would be given proper compensation and they would be rehabilitated.

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिती के बारे में प्रस्ताव—जारी

Motion re : Law and Order situation in the Country—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा 20 अप्रैल 1978 को पेश किये निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर आगे विचार आरम्भ करते हैं :—

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों में विधि तथा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, जो चिन्ताजनक है, विचार करती है ।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा बढ़ती हुई हिंसात्मक घटनायें निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति के लिय चिंता का कारण है तथा वह सरकार के लिए तो और भी अधिक चिंता का कारण है क्योंकि उसका दायित्व सरकार पर ही आता है । परन्तु क्या यह सब कुछ

सरकार की गलतियों के कारण ही हो रहा है ? हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा। सरकार को इसके लिए जिम्मेदार तभी ठहराया जा सकता है यदि उसने चिंता को बढावा देने के लिये कुछ किया हो या जहां कहीं भी हिंसा हुई हो, वहां कोई कार्यवाही नहीं की हो। इस मामले में हमें केन्द्र सरकार के दायित्व को समझ लेना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राज्य सरकारों का है तथा इस कार्य में उनकी सहायता करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है, परन्तु यह सहायता राज्यों को मांगनी पड़ती है। निस्संदेह केन्द्र शासित प्रदेशों में यह दायित्व केन्द्र सरकार का ही होता है।

कुछ क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं। क्या सरकार ने इन्हें भड़काने, प्रोत्साहन देने या उनसे निपटने के लिये कुछ किया है ? उदाहराणार्थ हम अमृत्सर में निरंकारियों, अाकालियों तथा कुछ सिखों के बीच हुए झगड़े को ही लेलें। यह दो दलों के बीच अचानक भड़क उठा और सरकार ने इसे निपटा दिया, और अभी भी निपटाने का प्रयत्न कर रही है ताकि यह फिर न हो। इस प्रकार की हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि निरंकारी अपने धर्म को मानते है, तो इन्हें ऐसा करने का अधिकार है परन्तु उन्हें दूसरे लोगों को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म को दूसरे धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं है।

अब सम्भल का मामला लीजिए। यह साम्प्रदायिक दंगा हुआ जहां कि क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों ने उस क्षेत्र के अल्प संख्यक लोगों पर हमला कर दिया। परन्तु सरकार ने जिस ढंग से इस दंगे पर काबू पाया यह उसी का परिणाम ही है कि यह देश में कहीं और आगे नहीं फैला है। क्या इससे यह पता नही चलता कि सरकार इनके साथ उचित ढंग से निपटने का प्रयत्न कर रही है ?

पंतनगर में जो कुछ हुआ वह बहत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि लोग पुलिस वालों पर हाथा पाई करते हैं तथा कानून का उल्लंधन करते है, तो फिर क्या होता है ? मैं इसके बारे में और अधिक कुछ नही कहना चाहता क्योंकि इस मामले की न्यायिक जांच की जा रही है।

हम यह नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे आन्दोलन या विरोध को जो वास्तव में अहिंसापूर्ण हो तथा सच्चे मायनों में सत्यागृह हो, उसे सख्ती के साथ कुचल दिया जाये। हमने इस प्रकार के निदेश दिये हुए हैं। परन्तु यदि उन आदेशों का पालन नहीं किया जाता और यदि किसी ने उनका उल्लंधन किया है और हमें इसकी सूचना दी जाती है तो हम निश्चय ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

लोकतंत्र में लोगों को विरोध प्रकट करने का अधिकार होता है। मैं श्रमिक वर्ग या लोगों के अन्य किसी वर्ग के विरोध प्रकट करने के अधिकार से इंकार ही करता। परन्तु यह विरोध इस प्रकार के सत्याग्रह के रूप में होना चाहिये जिसकी शिक्षा हमें गांधी जी ने दी थी। यदि सत्यागृह इस प्रकार का होता है तो पुलिस उनके मामले में किसी भी प्रकार का हिंसात्मक हस्ताक्षेप नहीं करेगी।

श्रमिक असंतोष भी है। मुझे श्रमिक असंतोष के इस प्रकार के दो या तीन मामलों की जानकारी है जहां हड़तालियों ने हिंसात्मक कार्य करने आरम्भ कर दिये। यदि हड़ताली, हड़ताल करना चाहते हैं तो उन्हें हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। परन्तु उन्हें हड़ताल भी कानून के अनुसार करनी चाहिए परन्तु फिर भी यदि वह कानून के अनुसार नहीं भी करते परन्तु हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। परन्तु यदि वह हिंसा पर उतर आते हैं तो फिर क्या किया जाना चाहिये ? ऐसी स्थिति में पुलिस को हस्ताक्षेप करना पड़ता है तथा यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हिंसा को कम से कम हिंसा के साथ समाप्त कर दिया जाये।

हमें किसी घटना विशेष से राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये। यदि हमने गलती की है तो हम उसे मानने के लिए तैयार है। यदि सरकार अपने दायित्वों का पालन करने में असफल रही है तो मैं उसके लिये अपने आपको बचाना नहीं चाहता। मैं अकुशल ढंग से सरकार चलाने के पक्ष में भी नहीं हूं।

हमें देश में व्याप्त स्थिति को देखना है और यदि न्यायालयों में लोग इस तरह का संकट पैदा करते हैं तो फिर पुलिस ने क्या करना है ? पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कर रही है । यदि दो पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो दोनों को ही समुचित ढंग से निपटा जायेगा ।

हमें यह सुनिश्चत करने का प्रयास करना चाहिए कि यदि कुछ लोग बेवकूफी करते हैं तो दूसरों को नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसी स्थिति का सामना सही तथा समुचित ढंग से किया जा सकता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि हम साथ-साथ बैठें और इन स्थितियों को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय निकालें। हरिजनों या अल्प संख्यकों के मामले में मैं सभी पक्षों के नेताओं का सम्मेलन बुलाना चाहता हूं और यह देखना चाहता हूं कि इस समस्या को सदैव के लिये समाप्त करने के लिये हम क्या कुछ कर सकते है । सभी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही एक अनिष्ट कार्य है । और मैं यह सुनश्चित करना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

किन्तु यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हम परस्पर बैठकर एक दूसरे पर दोषारोपण न करें । हमें तरीके निकालने होंगे तथा आचार संहिता तैयार करनी होगी जिसे हम अपने संयुक्त प्रयासों से लागू कर सकते हैं क्योंकि यह केवल पुलिस द्वारा ही लागू नहीं की जा सकती ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैंने यह प्रस्ताव इस आशय से पेश किया है कि उस राष्ट्रीय समस्या का हल ढूंढने के लिये प्रयास तथा कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में आन्दोलन प्रतिरोधों, हिंसा, उत्पीड़न तथा तोड़फोड़ की स्थिति पर ध्यान दिया गया था। इस सभा की बैठक शुरू होने के बाद क्या हुआ ? अप्रैल के महीने को संकटमय महीना कहा जा सकता है । एक के बाद दूसरी कई घटनायें घटित हुई हैं । हमारे समक्ष विश्रामपुर में हरिजनों पर अत्याचार, अमृतसर में झगड़े, सम्भल पंतनगर, तमिलनाडु, हैदराबाद और बेलाडिल्ला में झगड़े-किसाद की घटनायें हैं ।

मुझे आशा थी कि गृह मंत्री इस प्रकार की वृद्धि को स्वीकार करेंगे और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सभा को विश्वास में लेने का प्रयास करेंगे । दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

क्या दिल्ली का कोई भी संसद सदस्य यह दावा कर सकता है कि शहर में अपराधों की संख्या में कमी हो रही है ? यहां पर बहुत से मामले हुए हैं। वे व्यक्तिगत मामले हैं । व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तियों को संरक्षण नहीं मिला है । हमें सभी जगह यह शिकायत सुनने को मिल रही है ।

इसके अलावा एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आक्रमण करने के भी मामले हैं। हरिजनों पर अत्याचार और साम्प्रदायिक ढंगों के भी मामले हैं । प्रधान मंत्री ने अमृतसर में हुई घटना के बारे में उल्लेख किया है। इस बारे में दो अलग-अलग बातें कही गई हैं। जब किसी धार्मिक वर्ग द्वारा सरकार की सदाशयता पर हमला किया जाता है तो न्यायिक जांच करना अनावश्यक होता है ताकि सन्देह दूर किया जा सके ।

सम्भल घटना के बारे में मुख्य आरोप यह है कि पुलिस निष्क्रिय रही है । अतः एक वर्ग पर दूसरे वर्ग ने हमला किया। लोगों को नुक्सान हुआ और दुकानें जलाई गईं।

हरिजन महसूस करते हैं कि वे असहाय हैं । उनके असहायपन के बारे में न केवल एक वर्ग ने अपितु विभिन्न वर्गों ने उस सभा में आवाज उठाई । उनमें घोर निराशा की भावना हैं। क्योंकि हमें यह बताया गया है कि ये मामले घोर अपराधियों के एक गिराह ने घोर अपराधियों के दूसरे गिरोह पर हमला करने से सम्बन्धित हैं । हमें यह तस्वीर दी गई जिसके फलस्वरूप जिन लोगों की हत्या की गई उनके परिवारों में घोर निराशा महसूस की ।

तीसरी प्रकार के मामले आन्दोलनों तथा प्रतिरोधों के हैं और ऐसे ही मामले बेलाडिल्ला और पन्त-नगर में हुए। विभिन्न दलों के लोग पंतनगर गये है और उन्होंने जो कुछ भी वहां हुआ उसे देखा है। इसका बचाव करने का प्रयास किया गया है । अतः अब स्थिति यह है और कमजोर वर्गों पर हमलों और साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी बढ़ रहे अपराधों के बारे में सरकार अपना कोई उत्तरदायित्व महसूस नहीं कर रही है।

प्रधान मंत्री ने श्रमिक संघर्ष के बारे में उल्लेख किया है। परन्तु एक नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है। प्रवृत्ति यह है कि जब कभी कोई हड़ताल होती है तो यह शर्त लगाई जाती है कि हड़ताल वापस लेने पर ही वार्ता की जायेगी। यही रुख श्री राजनारायण ने अपनाया, यही स्वयं प्रधान मंत्री ने अपनाया और यही रुख श्री बीजू पटनायक ने अपनाया। इससे लोग निराश हो गये। जनता पार्टी के घोषणापत्र में दो मूल घोषणायें की गई थीं-एक यह थी कि लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक शान्तिपूर्ण आन्दोलन के अधिकार की गारंटी नहीं दी जाती और दूसरी यह थी कि प्रतिरोध के अधिकार की गारंटी सम्बन्धी राजनीतिक चार्टर। क्या शान्तिपूर्ण आन्दोलन और प्रतिरोध के अधिकार को मानने वाली सरकार को यह कहने का अधिकार है कि आप पहले हड़ताल वापस लो तभी वार्ता की जायेगी ? इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार इस प्रकार का संघर्ष नहीं चाहती और उस संघर्ष के रहते वे वार्ता नहीं करना चाहते।

उनको यह सिखाया गया है कि अपने वरिष्ठों को प्रसन्न रखो।

जनता सरकार का दृष्टिकोण नौकरशाही का दृष्टिकोण है। लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा है, उन्हें नृशंसता पूर्वक मौत के घाट उतारा जा रहा है फिर भी जनता सरकार उदासीन बैठी है। मानवता यह कहती है कि जनता सरकार को इसका विरोध करना चाहिये। बेलाडीला और पंतनगर में जो हुआ, वह कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं थी। देश में नई घटनाएं घट रही हैं।

श्री चरणसिंह की नौकरशाही प्रवृत्ति से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। जिन परिवारों के लोग मरे हैं, वे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनको नृशंसतापूर्वक मारा गया।

प्रधानमंत्री का दार्शनिक दृष्टिकोण कोई समस्या हल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं।

राजनीतिक दलों का काम लोगों की कठिनाईयों को दूर करना है। सरकार की श्रम नीति सफल नहीं हुई। लोगों का सरकार की श्रम नीति से विश्वास घटता जा रहा है। सरकार कहती है कि उसने पूरी आजादी लोगों को दी है। वस्तुतः यह आज़ादी चोर बाजारी करने वालों और तस्करी करने वालों को मिली है यदि हरिजन लोग, कृषक लोग अपनी कठिनाईयों को लेकर संघर्ष करते हैं, तो हमारा दल उनका साथ देगा। आजकल कमजोर वर्गों का दमन किया जा रहा है। सरकार इस स्थिति पर सोच विचार करे और स्थिति का पूरा सर्वेक्षण करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिस्थापना प्रस्ताव को मतदान के लिये रखने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है।

श्री वी० पी० मंडल : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 1 वापस लेना चाहता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The substitute Motion was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute Motion was put and Negatived

Shri Hukam Dev Narain Yadav (Madhubani) : I would like to withdraw my motion.

प्रतिस्थापन प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The substitute Motion was, by leave, withdrawn

श्री पवित्र मोहन प्रधान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव, सभा की अनुमति वापस लिया गया

The substitute Motion was, by leave, withdrawn

Shri Ram Bilas Paswan (Hajipur) : I withdraw my Motion.

प्रतिस्थापन प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978/5 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 25th April, 1978/5 Vaisakha, 1900 (Saka).

MGIPRRND—II—16 LSS/78—19-10-78—210